नवम माला, खंड 6, अंक 49

शुक्रवार, 25 मई, 1990
4 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 25 मई, 1990/4 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

का

## शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
|---|---|---|
| 21 | 2 | "रासा सिंह रावत" के स्थान पर "प्रो० रासा सिंह रावत" पढ़िये। |
| 39 | नीचे से 2 | "रीतालाल" के स्थान पर "रीतलाल" पढ़िये। |
| 54 | 5 | "आदिवासी" के स्थान पर "अनिवासी" पढ़िये। |
| 59 | 4 | "राजेश्वरी" के स्थान पर "राजशेखर" पढ़िये। |
| 59 | नीचे से 2 | "श्रौर" के स्थान पर "और" पढ़िये। |
| 61 | 16 | "मणिकराव" के स्थान पर "माणिकराव" पढ़िये। |
| 83 | 14 | "केम्मना" के स्थान पर "केम्मन्ना" पढ़िये। |
| 89 | नीचे से 7 | "युननाइटेड" के स्थान पर "युनाईटेड" पढ़िये। |
| 111 | 5 | "सन्त" के स्थान पर "सनत" पढ़िये। |
| 122 | 18 | "हरीशंकर" के स्थान पर "हरिशंकर" पढ़िये। |
| 130 | 14 | "कर्यदल" के स्थान पर "कार्यदल" पढ़िये। |
| 134 | 10 | "हरीशंकर" के स्थान पर "हरि शंकर" पढ़िये। |
| 150 | 16 | "पूंजीगत का सामान" के स्थान पर "पूंजीगत सामान" पढ़िये। |
| 164 | 5 | "रज्य-वार" के स्थान पर "राज्य-वार" पढ़िये। |
| 175 | 1 | "इपात" के स्थान पर "इस्पात" पढ़िये। |
| 176 | 7 | "इपात" के स्थान पर "इस्पात" पढ़िये। |
| 207 | नीचे से 10 | "शात्री" के स्थान पर "शास्त्री" पढ़िये। |
| 212 | 7 | "पोठदुखे" के स्थान पर "पोटदुखे" पढ़िये। |

# विषय–सूची

नवम माला, खंड 6, | दूसरा सत्र 1990/1911–12 (शक)

अंक 49, | शुक्रवार, 25 मई, 1990/4 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर: | 2–24 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या: 986 से 990 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर: | **24—220** |
| तारांकित प्रश्न संख्या: 991 से 1007 | 24—39 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या: 10401 से 10633 | 39—220 |
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | 220–224 |
| श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह | 221 |
| प्रो० एन० जी० रंगा | 221 |
| श्री लाल कृष्ण आडवाणी | 221—222 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | 222 |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | 222 |

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

| | पृष्ठ |
|---|---|
| डा० तम्बि दुरै | 223 |
| श्री नानी भट्टाचार्य | 223 |
| श्री इब्राहीम सुलेमान सेट | 223 |
| प्रो० सैफुद्दीन सोज | 223 |
| कुमारी मायावती | 224 |
| श्री चित्त बसु | 224 |

# लोक सभा

शुक्रवार, 25 मई, 1990/4 ज्येष्ठ, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

**श्री वसंत साठे** : क्या मैं समूची सभा से अनुरोध कर सकता हूं। एक गम्भीर मामला उठाया गया है। आज साप्ताहिक 'दिकरंट' में कश्मीर के राज्यपाल द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने कश्मीर के सभी मुसलमानों को आतंकवादी बताया है और कहा है, "सबसे पहले मैं उन्हें समाप्त करना चाहता हूं"...

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : अभी आप प्रश्न-काल चलने दीजिये।

[अनुवाद]

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री ( श्री पी० उपेन्द्र)** : आज हम कश्मीर पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

**श्री वसंत साठे** : मैं प्रश्न-काल को निलंबित करने के लिये नहीं कह रहा हूं? मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्न-काल के पश्चात सबसे पहले कश्मीर पर चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### गेहूं की भूसी का निर्यात

*986 श्री के. एस. राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं की भूसी का निर्यात करने के लिये कोई विशेष प्रक्रिया बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण को इस मामले में अधिक शक्तियां दी गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरगिल श्रीधरन)** । (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

### विवरण

क) से (ग) गेहूं की भूसी को आयात एवं निर्यात नीति भाग-ग की सूची 2 भाग ख की अनुसूची । में एक ऐसी मद के रूप में दर्शाया गया है, जिसके निर्यात पर वार्षिक उच्चतम सीमा की शर्त है । इस मद की उच्चतम सीमा रिलीज करने की क्रियाविधि प्रति वर्ष निर्धारित की जाती है ।

वर्ष 1989-90 में गेहूं की भूसी के लिये उच्चतम सीमा 10,000 मी. टन थी जिसका कार्य कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को सौंपा गया था और इसके लिये पिछली आयात और निर्यात नीति खण्ड II के पैरा 12 (3) के अनुसार एक विशेष क्रियाविधि निर्धारित की गई थी । इस सम्बन्ध में संक्षिप्त मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

वर्ष 1990-91 के लिये गेहूं की भूसी के निर्यात की सीमा और क्रियाविधि अभी अधिसूचित की जानी है ।

**अनुबंध**

वर्ष 1989-90 में गेहूं की भूसी के निर्यात के लिये "विशेष" क्रियाविधि (सी०मी०आई०एण्ड ई० द्वारा 31.1.90 को जारी किये गये आदेश 31.3.90 तक वैध)

यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नीति-पुस्तिका के खण्ड 1 के पैरा 12 (3) की शर्तों के अनुसार गेहूं की भूसी के निर्यात के लिये एक विशेष क्रियाविधि तैयार की जाए :—

(I) गेहूं की भूसी के निर्यात के लिये उच्चतम सीमा निर्धारित करने का कार्य कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली (एपीडा) को दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

(II) निर्यातकों को अपनी संविदाओं का पंजीकरण कराना होगा जिसके समर्थन में एपीडा के साथ 100% अपरिवर्तनीय साख पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(III) निर्यात नीति 1988-91 (भाग II) के खण्ड VI में निर्धारित नियमों के अनुसार निर्यातक एक बैंक गारंटी एपीडा को प्रस्तुत करेंगे जो सरकार के पक्ष में बांड के जरिये अपरिवर्तनीय साख पत्र के एक प्रतिशत एफ.ओ.बी. मूल्य के बराबर होगी।

(IV) एपीडा किसी भी निर्यातक को कुल उच्चतम सीमा के 10% से अधिक आबंटित नहीं करेगा।

(V) उक्त शर्तें पूरी करने पर एपीडा, पहले-आओ-पहले-पाओ आधार पर निर्यातकों को उच्चतम सीमा की स्लिप जारी करेगा, जिसमें पूरे ब्यौरे दिये होंगे, जैसे निर्यातक का नाम, आदेश और अपरिवर्तनीय साख पत्र की संख्या तथा तारीख, स्वीकृत मात्रा, एफ.ओ.बी. मूल्य और गन्तव्य स्थान।

(VI) एपीडा सम्बन्धित पत्तन लाइसेंसिंग अधिकारियों को बैंक गारंटी सहित रिलीज सलाह भेजेगा, जो एपीडा से यह प्राप्त करने के बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि 48 घंटों के अंदर निर्यात लाइसेंस जारी किया जाये और यह 31 मार्च, 1990 तक वैध होगा।

(VII) समूचा निर्यात, निर्यात-लाइसेंस की वैध अवधि के अन्दर ही किया जायेगा। ऐसा न करने पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(VIII) दिनांक 31 मार्च, 1990 के बाद संविदाओं का कोई पंजीकरण नहीं होगा और न ही एपीडा किसी निर्यात की अनुमति देगा, चाहे उच्चतम सीमा अप्रयुक्त ही रह गई हो।

ज्यों ही उच्चतम सीमा पूरी हो जाती है, एपीडा इस तथ्य की जानकारी वाणिज्य मंत्रालय, ई पी. (एग्री-II) अनुभाग को देगा।

**श्री के० एस० राव** : मैंने मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये जवाब को देख लिया है। समाचार पत्रों में पहले ही सूचना प्रकाशित हो चुकी है। कुछ और बातों के साथ उसी बात को दोहराया गया है।

यह देखा गया है कि शुरूआत में उच्चतम सीमा 10,000 टन निर्धारित की गई है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सीमा किसी वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित की गई है क्योंकि देश में गेहूं और भूसी का पर्याप्त उत्पादन होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा गेहूं उत्पादकों को बेहतर मूल्य देने की मंशा पर आधारित है अथवा मात्राओं की उपलब्धता पर ?

**श्री अरंगिल श्रीधरन** : 10,000 मीट्रिक टन की यह सीमा कृषि मन्त्रालय के खाद्य विभाग

तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहमति से निर्धारित की गई है।

हम जब कभी किसी वस्तु का निर्यात करते हैं तो हमारा मुख्य बल विदेशी मुद्रा अर्जन पर होता है। इस मामले में भी हम इसका ध्यान रखेंगे।

**श्री के० एस० राव** : आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या निर्यात के लिये उपलब्ध कुल मात्रा पर विचार किया जाता है अथवा नहीं। मैंने एक स्पष्टीकरण चाहा था।

मेरा दूसरा प्रश्न चावल की भूसी के सम्बन्ध में है, आन्ध्र प्रदेश में चावल की भूसी से तेल निकालने वाली मिलें अनेक बार इसकी कमी महसूस करती हैं। चावल की भूसी, खल तथा तेल के निर्यात की क्षमता भी बहुत अधिक है। इससे पहले चावल मिल मालिकों के संघ तथा धान उत्पादकों ने सरकार से निवेदन किया है कि उन्हें इन्डोनेशिया, बंगलादेश आदि देशों से, जहां यह सस्ती दर पर उपलब्ध होती है, चावल की भूसी के आयात की अनुमति दी जानी चाहिये तथा वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि देश में इतने ही मूल्य के बराबर विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जाती है तथा यह मिल मालिकों के अतिरिक्त राष्ट्र के हित में है। यदि मंत्री महोदय की मंशा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये उच्चतम सीमा 10,000 टन निर्धारित करने की है तो चावल मिल मालिकों को चावल की भूसी के आयात तथा तेल और खली के निर्यात की अनुमति देकर पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा की जा सकती थी। सरकार ने चावल के आयात के सम्बन्ध में कोई निणय को क्यों नहीं लिया है?

**श्री अरंगिल श्रीधरन** : माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न दोहराया है। कृषि मन्त्रालय गेहूं की भूसी जैसी वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में निर्णय करता है। हम केवल उनकी मांगें और सहमति प्राप्त करते हैं।

जहां तक चावल की भूसी का सम्बन्ध है, तत्काल जबाब देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। प्रश्न गेहूं की भूसी से संबंधित है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि देश मे चावल की भूसी के आयात पर रोक लगी हुई है।

**श्री ए० चार्ल्स** : मैं जानता हूं कि प्रश्न वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बन्धित है। लेकिन फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि गेहूं की भूसी का भारत में खाद्य प्रसंस्करण एककों द्वारा उचित ढंग से प्रसंस्करण किया जाये तो हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या खाद्य प्रसंस्करण विभाग को उचित निर्देश दिए जायेंगे ताकि गेहूं की भूसी का कच्चे माल के रूप में निर्यात करने के बजाए इसके प्रसंस्करण की संभावना को सुनिश्चित किया जा सके और इसका संसाधित भोजन के रूप में आयात किया जा सके?

**श्री अरंगिल श्रीधरन** : गेहूं की भूसी का दो कार्यों के लिये प्रयोग किया जाता है। एक पशुओं के भोजन में दूसरा खाद्य के रूप में। हमने भारत में इस संभावना की जांच नहीं की है। हम माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री एम. बागा रेड्डी : विगत वर्ष के निर्यात के लिये 10,000 टन गेहूं की भूसी का कोटा निर्धारित किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह लक्ष्य पूरा किया जायेगा अथवा नहीं। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अरंगिल श्रीधरन : 1989-90 में निम्नलिखित दो कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये परंतु आयात नहीं किया गया—

(1) आशा प्योर मिनाकेमा (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई।

(2) आर.ई.पी.एल. इन्जीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

1989-90 में निर्यात प्रभावी नहीं हो सका। पहली कम्पनी ने निर्यात लाइसेंस नहीं लिया है और दूसरी कम्पनी ने निर्यात लाइसेंस की वैधता के कार्यकाल में वृद्धि की मांग की है।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव : मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस देश में छोटे छोटे उद्योग चलाने के लिये राईस ब्रान की आवश्यकता है, जो निर्यात नहीं हो पाते हैं उस आधार पर हिन्दुस्तान में कोई मिल, उद्योग चलाना चाहते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री अरंगिल श्रीधरन : मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में इस सभा में बताया था कि देश में चावल की भूसी के निर्यात पर रोक है इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता।

### निर्यात में कृषि उत्पादों का अंश

*987. श्री बापूभाई देशमुख : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) वर्ष 1990-91 के लिये कितना निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार की नीति क्या है;

(ख) इस लक्ष्य में कृषि वस्तुओं के निर्यात का कितना अंश है; और

(ग) कुल निर्यात में कृषि पर आधारित उद्योगों का अंश बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) वर्ष 1990-91 के लिये वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य 36,000 करोड़ रुपये है। इस नीति का उद्देश्य मुख्यतः औद्योगिक क्षमता में सुधार करके निर्यातों को व्याव-

सायिक रूप से अर्थक्षम बनाना, प्रतियोगी कीमतों पर कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना अवस्थापना को सुदृढ़ करना तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बागान और समुद्री उत्पाद सहित कृषि मदों का योगदान कुल लक्ष्य का 15% से 16% तक होने का अनुमान है।

(ग) कृषि मदों के निर्यात बढ़ाने के लिये मूल नीति में निर्यात बेशी माल सृजित करना, मूल्य वर्धित रूपों में निर्यात को बढ़ावा देना, आयातक देशों में ग्राह्यता बढ़ाने के लिये क्वालिटी और पैकेजिंग में सुधार करना, अनुसंधान एवं उत्पाद विकास और साथ ही विपणन संवर्धन, सांविधिक बोर्डों/प्राधिकरणों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा क्वालिटी नियंत्रण अभिकरणों के जरिए क्वालिटी कंट्रोल और संस्थागत सहायता का प्रावधान बनाए रखना शामिल होगा।

[हिन्दी]

**श्री बन्धूभाई देशमुख** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया 1990-91 में निर्यात का लक्ष्य 36 हजार करोड़ रुपये है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1989-90 में यह लक्ष्य कितना था और गत वर्ष की तुलना में यह रकम ज्यादा है या कम है और उन मुद्दों में जो योगदान है उसमें कौन-कौन-सी चीजें शामिल हैं ?

[अनुवाद]

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : 1989-90 में 27,682 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जबकि 1988-89 में यह 20,302 करोड़ रुपए था। रुपये के सन्दर्भ में हमारी विकास दर 36 5 प्रतिशत तथा अमेरिकी डालर के संदर्भ में 15.7 प्रतिशत है। आंकड़े बहुत अधिक हैं, मैं उन्हें पढ़ सकता हूं परन्तु इसमें समय लगेगा। भारत के निर्यात में अनुमानतः 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक 1990-91 के लिए जिसमें हमने 36,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है, कुल निर्यात का सम्बन्ध है, कृषि तथा समुद्री उत्पादों का 15.88 प्रतिशत निर्यात हुआ है जो 5,610 करोड रुपये के बराबर है।

**प्रो० के० वी० थामस** : महोदय, समुद्री उत्पादों का निर्यात एक ऐसा प्रमुख स्रोत है जिसके द्वारा हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। मन्त्री महोदय बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि समुद्री उत्पादों की दो प्रमुख समस्यायें हैं। पहली, मछली पकड़ने में विदेशी नौकाओं का इतना प्रयोग किया जा रहा है कि हमें 5% मछलियां भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिये सरकार स्वदेशी मछली पकड़ने की नौकाओं के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ? दूसरी, हमारे कुछ निर्यातक गुणवत्ता के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे निर्यात की कुछ मदें, जिन्हें विदेशों को भेजा जाता है, वापस लौट आती हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दो बातों की—पहली मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं और दूसरी निर्यात की जाने वाली मछलियों की गुणवत्ता की जांच करेगी।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : माननीय सदस्य ने कुछ बड़ी तर्क संगत बातें कही हैं। हमारे सामने कुछ समस्याएं दूसरे देशों की मछली पकड़ने की नौकाओं, जो हमारे समुद्री क्षेत्र में आती थीं, के

सम्बन्ध में है। परन्तु यह गम्भीर समस्या नहीं है। इनका प्रतिशत बहुत कम है। विगत कुछ वर्षों में हमने कुछ नौकाओं को जब्त कर लिया है। परन्तु हमारे पास मछली पकड़ने की नौकाओं की कमी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्री उत्पादों में झींगा मछली का निर्यात होता है। जहां तक झींगा का सम्बन्ध है, यह देश में हो खारे पानी में पैदा की जा रही है। जहां तक निर्यात का संबध है, यदि आप समुद्री उत्पादों के निर्यात पर ध्यान दें तो आप यह समझ सकते हैं कि विगत वर्ष उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। वैसी वृद्धि नहीं हुई है जैसी हम चाहते थे। उसके लिये हम बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य बाजार जापान और अमेरिका हैं। अमेरिका के साथ हमारी कुछ समस्यायें गुणवत्ता के संबंध में हैं। हम अपने निर्यातकों को समझा रहे हैं कि उन्हें प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण बनाये रखना चाहिये। समुद्री उत्पादों में गुणवत्ता नियत्रण की समस्या केवल हमारे सामने ही नहीं है बल्कि अन्य देश भी इससे ग्रस्त हैं। यदि आपकी दो से लेकर तीन प्रतिशत तक समस्या है तो यह सहनीय है। यदि यह पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो यह बड़ी गम्भीर समस्या हो जाती है। कुछ उपाय किये गये हैं। गुणवत्ता योजना का पालन न करने वाले निर्माताओं से इसके अनुपालन के लिये कहा गया है।

**श्री नानी भट्टाचार्य** : महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सभा को सूचित करें कि क्या इस निर्यात लक्ष्य का मूल्यांकन 36,000 करोड़ रुपये है ? मसाले और बागान समेत कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में क्या विचार है ? यह पहला भाग है। दूसरे, पूर्वी यूरोप तथा अन्य देशों को निर्यात की संभावना का पता लगाते तथा लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल ही में वहां की ताकतों के एकीकरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया है।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : जहां तक कृषि उत्पादों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को विगत तीन वर्षों के आंकड़े बताना चाहता हूं। उत्पादों का उल्लेख करते समय हम बागान और समुद्री उत्पादों को भी शामिल कर लेते है। 1988-89 में 3,556 करोड़ रुपये के उत्पाद का निर्यात हुआ था। विगत वर्ष हमने 4,434 करोड़ रुपये के उत्पाद का निर्यात किया गया। चालू वर्ष में हमारा निर्यात 5610 करोड़ रुपये है। यदि आप प्रत्येक उत्पाद जैसे मसाले, काजू, तम्बाकू, दालें, खली के आंकड़े चाहते हैं, तो वह मैं आपको दे सकता हूं। यदि आप 36,000 करोड़ रुपये में से प्रतिशत निर्यात के सम्बन्ध में देखें तो कृषि उत्पादों का कुल निर्यात प्रतिशत, कुल निर्यात का 15.88 प्रतिशत है। जहां तक पूर्वी यूरोप में आये बदलाव का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि इससे हमारे निर्यात पर मूलतः असर पड़ेगा। हमें किसी समस्या का अंदेशा नहीं है। जो भी बजट हमने निर्धारित किया है, उसमें हमने पूर्वी यूरोप को भी ध्यान में रखा है। ऐसे देश बहुत कम हैं जो हमसे दुर्लभ मुद्रा में व्यापार करना चाहते हों। हमने यह कहा है कि यदि वह दुर्लभ मुद्रा में भुगतान करना चाहते हैं तो हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। अतः किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री नवलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से लहसुन की खेती का जा रही है, उसका लागत मूल्य और उसका जो बीज है, वह लगभग 5000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बैठता है

परन्तु जब किसान उसको बाजार में बेचने जाता है तो उसको 190 रुपए से लेकर 400-500 रु० क्विंटल का भाव मिल रहा है, किसानों का इसमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। क्या भारत सरकार कृषि वस्तुओं में लहसुन का निर्यात करने का इरादा भी रखती है या नहीं रखती तो उसका मूल्य निर्धारण करके यह बताएं कि काश्तकारों को उपके हिसाब से कितनी हानि लागत मूल्य के हिसाब से हो रही है और उसको किस तरह से मीट आउट करने का सरकार का विचार है ?

[अनुवाद]

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : महोदय, मैं कृषि मन्त्रालय की ओर से उत्तर नहीं दे सकता। मूलत: इन समस्याओं को वही देखते हैं। यदि वह कुछ और क्षेत्र हमें दे सकें फिर हम ··**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री नन्दलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, इस लहसुन के भाव में किसानों को तीन-तीन, चार चार हजार रुपए प्रति बीघा का नुकसान हो रहा है तो इसको आप निर्यात करेंगे क्या ? ·· **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : जोशी जी, आपको मैंने नहीं बुलाया, आप बैठ जाए।

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री बी० एन० रेड्डी** : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश से सब्जियों, फलों और अन्य समुद्री उत्पाद की अत्यधिक निर्यात सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर सकता हूं कि वह हैदराबाद हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तन करने के लिए नागरिक विमानन मन्त्री से बात करें।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : मैं नहीं जानता। जहां तक हवाई माल वहन के स्थान का सम्बन्ध है, मैं उनसे बात कर सकता हूं लेकिन, ऐसा करना मेरे कार्यक्षेत्र के बाहर होगा। मैं नहीं समझता कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इससे कोई सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

**श्री रामकृष्ण यादव** : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि सम्बन्धी सारी चीजें पैदा होती हैं। मैं वाणिज्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इतना सामान पैदा होने के बावजूद कौन-कौन से सामान हमारे देश में आयात किये जाते हैं और उस आयात को रोकने के लिये क्या-क्या कदम सरकार उठा रही है।

[अनुवाद]

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : महोदय, निर्यात किए गये माल में से किसी का भी आयात नहीं

किया जा रहा है। आयात तभी किया जाता है जब किसी माल की कमी होती है। ताड़ के तेल 'पाम आयल' जैसी वस्तु की यदि थोड़ी कमी होती है, तब उसका आयात किया जाता है। चार-पांच वर्ष पूर्व हम ताड़ के तेल के एक मिलियन टन के तीन-चौथाई भाग का आयात करते थे। आज हम एक सौ टन का भी आयात नहीं कर रहे हैं। हम खाद्यान्नों का बहुत कम आयात करते हैं। यह तभी है, जब हमारे पास कमी थोड़ी ही हो। अन्यथा जब हमारे पास अधिक माल होता है तो हम निर्यात करते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सभी कृषि उत्पादों के लिए कृषि मन्त्रालय ही वस्तु की अधिकता बताता है और तभी हम निर्यात करते हैं। अतः, जब तक वस्तु की अधिकता का उनसे पता न लगे भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है।

**डा० असीम बाला** : यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कृषि उत्पादों का निर्यात कुल निर्यात का 15 से 16 प्रतिशत है। यहां मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पशु संबंधी निर्यात का प्रतिशत क्या है।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : महोदय, इसकी अलग-अलग पांच सौ मदें हैं। हमें प्रत्येक मद की प्रतिशतता निकालनी होगी।.... **(व्यवधान)**

**डा० असीम बाला** : महोदय, मैं चाहता था कि पशु संबंधी निर्यात का प्रतिशत मुझे बताया जाये।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : हम ऐसा ही करेंगे।

**श्री एस० बी० थोरट** : महोदय, मेरा प्रश्न मुख्य उत्तर के भाग 'ग' से संबंधित है उत्तर में यह दिया गया है,

"कृषि मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात के लिए अतिरिक्त भण्डार कायम करने की नीति अपनानी होगी।"

कपास और सूत दो ऐसी मदें हैं, जो निर्यात वेशी माल को सृजित करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कपास के निर्यात के लिए निवेदन किया है। केन्द्र सरकार ने कपास और सूत का निर्यात बन्द कर दिया है। क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और महाराष्ट्र सरकार को कपास और सूत के निर्यात की अनुमति देगी?

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : महोदय, यह वस्त्र मंत्रालय से सम्बन्धित मामला है।

**श्री बाल गोपाल मिश्र** : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं जहां तक भारत का सम्बन्ध है, झींगा, झींगों का निर्यात विदेशी मुद्रा का एक बड़ा जरिया बन गया है। लेकिन, जापान ने भारत से झींगा-झींगी के आयात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में इसकी गुणवत्ता खराब रही है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि भारतीय बाजार को खराब करने में गलाधारी भाइयों का हाथ रहा है।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : महोदय, मेरे ख्याल में माननीय सदस्य की जानकारी पूर्णतया गलत है। जापान ने आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। दर असल जापान हमारा सबसे बड़ा बाजार है। हम लगभग 300-400 करोड़ रुपये मूल्य के समुद्री उत्पादों को उन्हें बेच रहे हैं।

जहां तक गलाधारी भाइयों का सम्बन्ध है, मुझे नहीं मालूम कि झींगा के निर्यात से उनका क्या सम्बन्ध है। कई सौ पार्टीयां भारत से झींगे का निर्यात कर रहीं है। लेकिन, हमें किसी शिकायत की जानकारी नहीं हैं।

**श्री जार्ज फर्नांडीज** : मेरे माननीय मित्र ने अरब सागर के जल में मछली पकड़ने का उल्लेख किया है। मेरी जानकारी के अनुसार विदेशी राष्ट्र निश्चित तौर पर सागर में 'पुर्सियन नावों के साथ मछली पकड़ रहे हैं, जो आधुनिकतम उपकरणों से युक्त हैं और जिनमें रेफ्रिजेरेशन की सुविधा भी है, जो एक बार में हमारे जल में दो महिने से अधिक समय तक रहती हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि यदि हमारे पास आधुनिकतम उपकरण नहीं हैं, तो क्या हम अन्य देशों से हमारे कर्मचारियों को इन नावों के संचालन का प्रशिक्षण देने का अनुरोध कर सकते हैं जिससे निर्यात व्यापार में हिस्से को बढ़ाया जा सके विशेषकर टूना मछली के निर्यात को।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : महोदय, हमारा किसी अन्य से मछली मारने के लिए आधुनिकतम उपकरण खरीदने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक हमारी जल सीमा का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष प्रकार के जहाजों की जानकारी है, जो हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं, तब हम इस मामले को देख सकते हैं। हमें इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कुछ मंत्रचालित नौकायें आई हैं, कुछ यंत्रचलित नौकायें पकड़ी भी गई है। इसके आगे ज्यादा मछली नहीं पकड़ी जा रहीं है।

जहां तक टूना मछली का सम्बन्ध है, हमने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। हम टूना मछली को पकड़ने को बढ़ावा देना चाहते है लेकिन, रेफ्रिजरेटिड जहाज हमारे जल में आ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री दिलीप सिंह भूरिया** : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि हम टोटल 36 हजार करोड़ रुपये का यहां से माल दूसरी कंट्रीज में भेजेंगे। हम जो माल बाहर भेजते है उसके बारे में एक तो कम्पलेंट्स बहुत सारी आती हैं कि जो माल यहां का पसन्द किया जाता है वह माल नहीं भेजा जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहां से बाहर भेजने के लिए नफेड बना था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सारी प्राईवेट पार्टीज को खत्म करके जो हमारी ऐसी एजेंसी हैं उनके जरिये से माल बाहर भेजेंगे ? ताकि बाहर से कोई कम्पलेंट नहीं आये और जो माल पसन्द किया जाए, वही उनको भेजा जाए। प्राईवेट पार्टियां एक तो माल समय पर नहीं भेजतीं और दूसरे फूड

और सब्जियां रास्ते में खराब हो जाती हैं। इससे हमारी साख गिरती है। क्या आप नफेड जैसी संस्था के जरिये से माल बाहर भेजेंगे ?

[अनुवाद]

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : महोदय जब हम ताजी सब्जियों और कृषि उत्पादों का व्यापार करते हैं, तो कुछ मात्रा में गुणवत्ता में कमी की शिकायतें आती ही हैं। यह शिकायतें सरकारी और निजी दोनों तरफ से की गई हैं। लेकिन, मैं नहीं समझता कि सरकार को इसे पूर्ण रूप से देने के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकता है अथवा न ही इससे समस्या का समाधान होगा। सत्य है कि हमें जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण को सुधारना होगा। हमें लोगों को यह बात समझानी होगी कि यदि उनके माल को रद्द कर दिया तो उन्हें दुबारा निर्यात आदेश नहीं मिलेगा।

**श्री लोक नाथ चौधरी** : ऐसा लगता है कि समुद्री उत्पाद का निर्यात हमारे निर्यात का एक बड़ा भाग है और भारत सरकार इसका निर्यात बढ़ाकर हमारी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहती है। क्या मैं माननीय मन्त्री से यह पूछ सकता हूं कि समुद्री उत्पाद जैसे अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? झींगा मछली के अलावा अन्य प्रकार की मछलियां भी हैं। और वे बेकार हो गए हैं क्योंकि उन्हें संसाधित नहीं किया गया। इसके अलावा, अन्य समुद्री उत्पाद भी हैं जिन्हें संसाधित किया जा सकता है और उनका निर्यात किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो जाल-पोत मलिक दिवालिये हो रहे हैं, उनकी सहायता करने का वाणिज्य मन्त्रालय का क्या कोई प्रस्ताव है अथवा नहीं। झींगा मछलिनों के अलावा अन्य किस्म की मछलियां भी हैं जिन्हें निर्यात करने की योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए। दूसरा, मैं उड़ीसा लौह अयस्क खानों के बारे में जानना चाहता हूं जिनकी विदेशी बाजारों में अच्छी मांग थी। लेकिन इन लौह अयस्क खानों को बन्द किया जा रहा है क्योंकि अब निर्यात कम कर दिया गया है। मैं इस तथ्य को वाणिज्य मन्त्री के नोटिस में लाना चाहता हूं और उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा के वर्तमान खनन कार्य के बारे में वे क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं जिससे कम से कम वहां श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सके ?

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : मत्स्य पालन और लौह अयस्क बहुत ही भिन्न क्षेत्र हैं। लेकिन मुझे उनके प्रश्न का उत्तर देने में आपत्ति नहीं है। सबसे पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां तक समुद्री उत्पादों के बारे में कुल विश्व बाजार का सम्बन्ध है, यह 50 बिलियन डालर है और 50 बिलियन डालर में से 40 बिलियन डालर मछली उत्पाद से सम्बन्धित है। हम यूरोप और अमरीका में विदेशी बाजारों में अन्य प्रकार की मछलियों के निर्यात को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम कटल मछली और अन्य प्रकार की मछलियों जैसी बहुत-सी अन्य चीजों का निर्यात कर रहे हैं। उड़ीसा में, हमने भारी निवेश किया है और हम झींगा मछली के उत्पादन और ब्रोकिश झींगा मछली के उत्पादन के लिए और अधिक निवेश करना चाहते हैं। हम इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री से बात कर रहे हैं। जहां तक उड़ीसा में लौह-अयस्क का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि हम पारादीप पत्तन को भी गहरा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि अतिरिक्त

मात्रा में निर्यात किया जा सके। उड़ीसा में लौह-अयस्क का निर्यात कम नहीं हुआ है। हम उड़ीसा में कुछ लौह-अयस्क को अपने मत्स्य के उत्पादन के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन यहां लौह-अयस्क के निर्यात का कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं है और उड़ीसा में बेरोजगारी पैदा होने का भी कोई प्रश्न नहीं है।

## महाराष्ट्र में पर्यटन स्थल

[हिन्दी]

***988. श्री हरि शंकर महाले :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन स्थानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन स्थानों का और विकास करने सम्बन्धी कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

[अनुवाद]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थानों का अभिनिर्धारण एवं विकास करने का दायित्व मुख्यत: राज्य सरकारो पर है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन आधारिक-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुणावगुणों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की थीं :—

1. बीबी-का-मकबरा, औरंगाबाद, पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था
2. अजंता, एलिफेन्टा और एल्लोरा में टायलेट तथा पेय जल की व्यवस्था
3. गणपतिफुले में कुटीरें
4. बसलेश्वर में समुद्रतट विहार-स्थल

5. शेगांव में यात्री निवास
6. खोपोली में मार्गस्थ सुविधाएं
7. महाराष्ट्र के लिए पैदल-भ्रमण उपकरण
8. जल क्रीड़ा उपकरण।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अभी प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

**श्री हरि शंकर महाले** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने पर्यटन स्थलों का ब्यौरा दिया है, उसमें तो कोई ऐसा ठोस कार्यक्रम नहीं है, लेकिन दिल्ली में 8-10 होटल हैं—अशोका होटल है और उसके बगल में सम्राट होटल है, 26 करोड़ रुपए की धनराशि, उसके बनाने के लिये खर्च की गई है।....(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप सूचना दे रहे हैं या सूचना पाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं ?

**श्री हरि शंकर महाले** : उसमें तीन मंजिल खाली हैं, इसमें बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं; यह उचित है या अनुचित है ?....(**व्यवधान**)....अध्यक्ष महोदय, मुम्बई जैसे शहर में एक भी होटल नहीं है परन्तु आई टी०डी०सी० का पब्लिसिटी साहित्य कुछ और ही कहता है। आई० टी० डी० सी० ने महाराष्ट्र के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है, तो क्या जो पब्लिसिटी साहित्य बताया है, वह सही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप महाराष्ट्र के लिए पूछिये।

**श्री हरि शंकर महाले** : मुम्बई शहर इतना बड़ा शहर है और वहां पर आई० टी० डी० सी० ने एक भी होटल नहीं खोला है, जो पब्लिसिटी साहित्य होता है, प्रचार करने के लिये, वह साहित्य भी उपलब्ध नहीं है, यह बात क्या सच है ?

**श्री सत्यपाल मलिक** : मैं तो पहले ही निवेदन कर रहा हूं कि जो सदन के पटल पर जवाब रखा गया है, उसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो महाराष्ट्र में पर्यटन विकास के लिए कार्य किया गया है उस सबकी जानकारी दी गई है। जहां तक होटलों का ताल्लुक है, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से, महाराष्ट्र में जो होटल हैं, उनके बारे में बता देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : सारे महाराष्ट्र में होटल्स के नाम मत गिनवाइए, सिर्फ नम्बर बता दीजिए।

**श्री सत्यपाल मलिक** : मैं नम्बर ही बता रहा हूं। महाराष्ट्र में फाइव स्टार डीलक्स होटल सात हैं, फाइव स्टार होटल 11 हैं, फोर स्टार 10, थ्री स्टार 19, 2 स्टार 31 और वन स्टार 12 होटल्स हैं। जिन होटल्स को क्लासिफाई करवा है, उनकी संख्या 26 है।

**श्री हरि शंकर महाले :** अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। यह जो सम्राट होटल के बगल में, इस पर 26 करोड़ रुपए की धनराशि बिना वजह खर्च की गई है, इस पैसे का खर्च उचित नहीं है, गलत खर्च किया गया है और वह होटल खाली पड़ा हुआ है। वहां पर बड़े-बड़े आफिसर्स रहते हैं।....(व्यवधान)

**श्री सत्यपाल मलिक :** माननीय सदस्य को जो चिंता है, उसके बारे में मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनकी जानकारी बिल्कुल उल्टी है। आई०टी०डी०सी० के जो होटल चल रहे हैं, उनमें काफी मुनाफा है, लेकिन फिर भी सरकार की नीति यह है कि अब कोई बड़ा होटल न बनाया जाए, महंगा होटल न बनाया जाए, बल्कि जगह जगह यात्री-निवास, जहां जहां राज्यों की मांग है, उनको बनाने में प्राथमिकता दे रहे हैं और पैसा उसमें लगा रहे हैं।....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** महाले जी, आप बैठ जाइए। आप दो प्रश्न पूछ चुके हैं,अब सदन का समय नष्ट मत करिए।

**[अनुवाद]**

**श्री ए० आर० अन्तुले :** जैसा कि सुविदित है, महाराष्ट्र का कोंकण तट बहुत ही अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक है जहां बहुत ही सुन्दर अछूते समुद्र तट हैं और देश को यथार्थ में इन पर गर्व हो सकता है। यह केवल महाराष्ट्र का ही तट नहीं है, अपितु इसे राष्ट्रीय तट भी कहा जा सकता है जिनमें काफी प्राकृतिक वन है। सम्पूर्ण तट में बहुत ही सुन्दर संकरी खाड़िया हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आवश्वासन देंगे कि इस मामले को केवल राज्य सरकार पर छोड़ने की बजाए, 'साऊथ ऑफ फ्रांस' की तरह क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण कोंकण तट को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकास के लिए लिया जाएगा ? कोंकण तट की तरह 'सॉउथ ऑफ फ्रांस' तट में कोई संकरी खाड़ियां नहीं है। चूंकि संकरी खाड़ियां, जो कि अछूती हैं, तट पर समुद्री तटों के साथ-साथ बहुत ही सुन्दर और आकर्षक हॉलीडे स्थल और पर्यटक स्थल बन सकती हैं, वह न केवल रत्नगिरी जिले के गणपतिकुले में बल्कि बहुत से अन्य स्थलों पर भी बनाए जा सकते हैं और यह 300 लम्बे कोंकण तट के साथ-साथ कम से कम तीस से चालीस तक बनाए जा सकते हैं, अतः क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आश्वादन देंगे कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इस परियोजना को 'साउथ ऑफ फ्रांस' की तरह विकास के लिए विशेष राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जाएगा ?

**वाणिज्य और पर्यटन मंत्री (श्री अरुण कुमार नेहरू) :** पर्यटन के उद्देश्य के लिए, जहां तक संभव होगा हम निश्चित रूप से अधिक से अधिक सुविधाएं और आधारभूत सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं। सम्पूर्ण देश में इस प्रकार की बहुत-सी योजनाएं हमारे पास आ रही हैं और हम निश्चित रूप से कोंकण क्षेत्र में समुद्री तट स्थल की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। लेकिन जैसाकि आप जानते हैं, हमारे बजट में बहुत से दबाव हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, पर्यटन मंत्रालय प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर सुझाव, राज्य सरकारों से आने होते

हैं। और यदि राज्य सरकारों से अच्छे सुझाव आते हैं। तो धन की उपलब्धता को देखते हुए हम निश्चित रूप से उन पर सकारात्मक रूप से विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक** : अध्यक्ष जी, आज 25 मई है और 1990-91 के बजट को आए हुए 2 महीने के करीब पूरे हो रहे हैं। उत्तर के सी भाग में आपने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब तक प्रपोजल्स भी नहीं भेजे हैं, इस प्रकार की जानकारी इसमें दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को प्रपोजल्स कब भेजने चाहिए थे और प्रपोजल्स न भेजने के क्या कारण हैं और महाराष्ट्र में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है।

**श्री सत्यपाल मलिक** : अध्यक्ष महोदय, होता यह है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बताती है और प्रायोरिटी बताती है कि हमें इन-इन जगहों पर, फलां-फलां मदद चाहिए। उस सिलसिले में मई में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों और केन्द्र सरकार के आफिसरों के बीच में बातचीत हुई है। कुछ जगह कुछ काम आईडेंटीफाई किए गए हैं जिनको प्रायोरिटी देनी है। मेरे जवाब को माननीय सदस्य गौर से पढ़ें सो पता लगेगा कि एस्टीमेट हमें नहीं मिले। प्रायोरिटी किन-किन चीजों को देनी है, यह लिस्ट मिल गयी है, लेकिन जो डिटेल प्रोजेक्ट एस्टीमेट हैं व हमको नहीं मिले हैं। इनके ही हम मिलते फौरन कार्यवाही करेंगे।

**श्री ईश्वर चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों का मंत्री जी ने ब्योरा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका ध्यान बिहार की ओर गया है। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य, बिहार का प्रश्न नहीं है।

**(व्यवधान)**

**श्री ईश्वर चौधरी** : महोदय, प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है। राजगिरि, पावापुरी, पारसनाथ, ब्रह्मयोनि, रामशिला, गया, विष्णुपद एवं सम्पूर्ण बौध-गया क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व से क्या विकास किया है? क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है? क्या इस दृष्टि से, आप अपनी योजनाओं में पर्यटन की दृष्टि से विकास करने के लिए बौद्ध गया और विष्णु पद को प्राथमिकता देंगे? अगर हां, तो इसका ब्योरा क्या है?

**श्री सत्यपाल मलिक** : अध्यक्ष महोदय, हालांकि सामान्य तौर पर इसका सवाल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर बिहार में बुद्धिस्ट सर्कल, जहां महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके लिए हमने बड़े पैमाने पर योजना बनायी है। उस सिलसिले में वहां होने वाला है। जिसकी जानकारी, अलग से जब सवाल पूछा जाएगा तो मिल जायेगी।

**श्री गंगाचरण लोधी :** अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड ऐतिहासिक भूमि रही है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य, यह बिहार या उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, यह तो जनरल सवाल है।

(व्यवधान)

**श्री गंगा चरण लोधी :** मैं जनरल सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं मंत्री जी को दो महीने पहले लिख कर दे चुका हूं, मंत्री महोदय को मालूम होगा। बुन्देलखण्ड में राम की कर्म-स्थली रही है। उसके बाद महाभारत में महाप्राणों के रचयिता की जन्म भूमि काल्पी रही है। उसके बाद राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास की शुरूआत झांसी से हुई, महारानी लक्ष्मीबाई से हुई। महावीरों में गिने जाने वाले आला-उदल की जन्मभूमि महुआ रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन ऐतिहासिक स्थलों का विकास करने के लिए पर्यटन विभाग क्या कर रहा है? क्योंकि यहां पर बहुत से विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन निराश होकर चले जाते हैं। उनके पास कोई साधन आने-जाने का नहीं रहता है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यहां के विकास के लिए पर्यटन विभाग क्या कर रहा है?

**श्री सत्यपाल मलिक :** अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार से इन तमाम स्थानों के लिए जो हमें करने के लिए मिलेगा, हम उस पर पोजीटिवली विचार करेंगे। आपकी जानकारी के लिए, हमने जो चीजें अभी कल-परसों ही तय की हैं, वह मैं बता देना चाहता हूं। विठूर जो नाना जी की कर्म-स्थली रही है, वहां पर बड़े मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां पर कैफेटेरिया भी बना रहे हैं। हमारा विभाग दो तरह से काम करता है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड के लिए जो भी मिलेगा हम उस पर कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्यों ने जो हमें चिट्ठियां लिखी हैं उनके सिलसिले में हम इसी महीने निर्णय करने वाले हैं कि कहां-कहां क्या हो सकता है। आपका पत्र मुझे मिला है, उस पर हम पोजीटिवली विचार कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य, बैठ जाईये।

(व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह किस सदस्य की कांस्टीच्यूएंसी है?

**श्री अरुण कुमार नेहरू :** वह मेरी कांस्टीच्यूएंसी है। (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा महाजन** अध्यक्ष महोदय, समुद्र के किनारे पर्यटन स्थल के विकास की बात हो रही है। मैं अभी कोंकण गई थी वहां के लोगों में एक प्रकार का भय का वातावरण व्याप्त है, यह ठीक है कि विकास होना चाहिए और लोगों को भी इससे सहायता मिलती है, लेकिन कुछ प्रकार,

ऐसे हैं जहां पर यह कुटीर बनाई गई हैं वहां पर ऐसी अवांछनीय बातें भी जुड़ जाती हैं जिससे वहां की मूल संस्कृति पर आघात होता है। क्या इस तरफ भी सरकार का ध्यान है कि इस पर कैसे नियन्त्रण रखा जाये ? गणपति कुटीर है वहां पर भी ऐसी बातें होती हैं, वह एक धार्मिक स्थान है, लेकिन कोंकण के लोगों में भय है कि अगर इस प्रकार की गलत संस्कृति पनपेगी तो उनकी मूल संस्कृति पर आघात होगा।

**श्री सतपाल मलिक** : अगर मैं सवाल को सही समझा हूं तो यह निवेदन करना चाहूंगा चाहे कोंकण के बीचेज हों या गोवा के हों, इस तरह की चीजें हमारे नोटिस में आती रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए असाधारण हैं, लेकिन उनके लिए साधारण हैं इससे हमें दिक्कत होती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम विदेशों से ऐसे पर्यटकों की पहचान करें और उनको लायें जो हमारी संस्कृति के विपरीत न हों। आपने जो कहा है उस तथ्य की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं और सम्भ्रान्त तथा सुरुचिपूर्ण पर्यटकों को विदेशों से लायें इसकी पहचान कर रहे हैं। वैसे यह मानकर चलना चाहिए कि जो बातें हैं उनके लिए तो साधारण-सी चीज हैं लेकिन हमारे लिए वह असाधारण हैं।

**श्री दौलतराव सोनूजी अहेर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में किन-किन जगहों को पर्यटन स्थल की दृष्टि से विकास करने की योजनायें केन्द्रीय सरकार को सातवीं योजना के अन्दर भेजी हैं और कितनी आपने क्लियर की हैं और यह भी बतायें कि आठवीं योजना में कितनी ऐसी योजनायें हैं ? क्या उसमें अंजनेरी सापुतारा और त्रिंबक भी है और इसका ब्यौरा क्या है ?

**श्री सत्यपाल मलिक** : सातवीं योजना में केन्द्र की तरफ से जो योजनायें मंजूर की गई थीं उनका ब्यौरा मैं दे देता हूं। यह सदन के पटल पर भी रखा गया है। अभी तक जो हमने आईडेंटीफाई की हैं वह मैं बता देता हूं। उसमें लातूर में यात्री निवास की स्कीम है टेंटिड अकोमोडेशन की। टूरिस्ट काम्प्लेक्स कोडन नगर, वाटर एण्ड इक्वीपमेंट्स विजिटर्स सेंटर औरंगाबाद, रूरल क्राफ्ट सेंटर पुणे टूरिस्ट सेन्टर पाश्येलराम कैथामलन, ऐलिफेंटा और बम्बई के बीच हार्बर क्रूजिंग के लिए भी इन्तजाम करना है। इनकी पहचान महाराष्ट्र सरकार ने हम लोगों के साथ बैठकर की है, लेकिन अभी इनका एस्टीमेट तैयार नहीं हुआ है।

**कुमारी उमा भारती** : छतरपुर जिले में खजुराहो एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और वहां पर दिल्ली से बोइंग जाता है जो कि बनारस तक जाता है। वहां सरकार की तरफ से आपके विभाग का एक छोटा-सा कार्यालय था। कुछ दिनों पूर्व वह कार्यालय बन्द कर दिया गया है, पता नहीं किन कारणों से बन्द किया है। क्या आपको इसके सम्बन्ध में जानकारी है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान से पर्यटन कार्यालय बन्द किया गया और अभी वह बन्द है, क्या इसको खुलवाने का आपका विचार है ?

**श्री सत्यपाल मलिक** : यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसकी जानकारी दी है। मैं इस सम्बन्ध में पता करूंगा।

**श्री सोमजी भाई डामोर** : अध्यक्ष महोदय, पहले भी यहां टूरिज्म का मामला आया था। अण्डमान निकोबार आईलैंड और गुजरात की बात भी यहां आयी थी। हर वक्त सरकार यह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है फण्ड्ज नहीं है, बजट नहीं है, तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे रेलवे के पास पैसा नहीं था, तो उसने कम्पनी बनाकर लोगों से पैसा इकट्ठा किया, क्या वैसी कोई कम्पनी बनाकर सारे हिन्दुस्तान में जहां हो सके, वहां टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पैसा इकट्ठा करने के आईडिये पर सरकार विचार कर रही है या करेगी।

[अनुवाद]

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : विभिन्न राज्यों के बहुत से सदस्य पर्यटक सुविधाओं के विकास के बारे में प्रश्न पूछते रहे हैं। महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अभी कुछ थोड़ी सूचना देना चाहता हूं।

कुल मिलाकर भारत में हमारे पास लगभग 30 मिलियन पर्यटक हैं, उसमें से 1.5 मिलियन पर्यटक विदेशों से आ रहे हैं और 28.5 मिलियन पर्यटक घरेलू पर्यटक हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे हैं सभी राज्यों के लिये, घरेलू पर्यटन और विदेशी पर्यटन के लिये आधार भूत सुविधाएं बढ़ाने का हमारा आशय है। बहुत से मामलों में, आधारभूत सुविधाएं एक जैसी हैं। मैं जो बताना चाहता हूं वह यह है केन्द्रीय सरकार के पास जो इसके लिये धनराशि है वह बहुत ही सीमित है।

[हिन्दी]

**श्री सोमजी भाई डामोर** : मैंने प्रश्न हिन्दी में बोला है, उसका हिन्दी में जवाब दें।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी चाहें तो इंगलिश में बोल सकते हैं। ईयरफोन है उससे हिन्दी में सुन सकते हैं। आप भाषा का सवाल मत उठाएं।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : आपको ईयरफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जवाब हिन्दी में देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब तो हिन्दी में बोल रहे हैं।

**श्री अरुण कुमार नेहरू** : तो प्रदेशों की जितनी सरकारें हैं, उनके अपने बजट होते हैं और उनकी टूरिज्म की जितनी भी योजनाएं यहां आएंगी उसकी सपोर्ट हम लोग यहां से कर सकते हैं। मगर इस वक्त सातवीं प्लान के पूरे प्लान में 70 करोड़ रुपये का एलोकेशन है जिसमें 16 करोड़ स्टेट्स को जाता है। तो जो भी योजनाएं बनती हैं, वे स्टेट लेवल से केन्द्रीय सरकार के पास आएंगी। तब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने फण्ड्ज हैं, उसके मुताबिक ही सैंक्शन होंगी। अण्डमान निकोबार के विषय में हम लोग एक जांच करा रहे हैं कि वहां एक टूरिस्ट स्कीम बनाएं लेकिन वहां पर एन्वायरमेंट की प्राब्लम है और थोड़ी अन्य समस्याएं भी हैं। चूंकि अण्डमान निकोबार में टूरिज्म

ज्यादा बढ़ गया है और हम भी चाहते हैं कि एक टूरिज्म स्थान बने, उसके लिये भविष्य में पूरी तरह से इसको डेवलेप करने के लिये पूरी कोशिश करेंगे।

## सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नई लेखा पद्धति

[अनुवाद]

+
*989 श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट
श्री ए० के० रायका } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के आंतरिक पर्यवेक्षण और नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने और उनके वार्षिक लेखाओं को "अधिक सुस्पष्ट" बनाने के लिये एक नई पद्धति तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के नियन्त्रणाधीन लाने के प्रस्ताव की जांच करें,

(घ) खाते तैयार करने में वार्षिक लेखाओं की नई पद्धति कितनी सहायक होगी, और

(ङ) नई पद्धति कब तक लागू की जाएगी।

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

## विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने की सुपरिभाषित शक्तियां निहित हैं।

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्धारित फार्मेटों में अपने तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखे तैयार करते हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इन फार्मेटों में, विभिन्न चरणों में संशोधन करने का निर्णय लिया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों के लेखों में अधिक सुस्पष्टता प्रदान करेगी। इस सम्बन्ध में औपचारिकताएं तैयार की जा रही हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, उनके लेखों की लेखा-

परीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किसी कम्पनी की लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के वास्ते अर्हताप्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जानी होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार क अंतर्गत लाने की वांछनीयता की भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

**श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह प्रश्न उठाने के लिए इसलिये जरूरत पड़ी कि जो बैंक्स हैं, उनके एकाउंट्स से कभी मालूम नहीं होता कि जो बैलेंस शीट ऑफ प्राफिटियर्स एंड लॉस एकाउंट्स हैं, उसमें कौन से कर्जे हैं जो बैंक डेट से नहीं आने वाले हैं, इसके लिये रिजर्व बैंक क्या करना चाहता है और सरकार ने इन फार्मेट में विभिन्न चरणों में संशोधन करने का निर्णय लिया है तो वे विभिन्न चरण कौन से हैं और उनमें कौन से प्वाइंट्स आते हैं ?

**प्रो० मधु दण्डवते** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बयान दिया है उसमें बताया है कि बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट के अन्तर्गत जो तीसरा शेड्यूल है, उसके मुताबिक आज तक सारे बैंकों के एकाउंट्स के फार्मेट बनाये जाते हैं लेकिन एक घोष कमेटी बनाई थी जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है और घोष कमेटी ने भी उसका जिक्र किया था। उस कमेटी की राय रही कि जो लोग अपना डिपाजिट बैंक में रखते हैं और आजाद हिन्दुस्तान में जनतांत्रिक हिन्दुस्तान में यह जरूरी है कि एकाउंट्स के सारे डिटेल्ज लोगों के सामने आने चाहिये। बैंकों के एकाउंट्स के सिलसिले में चंद बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिनके बारे में सब जगह जानकारी फैलती है। इसलिये इन बातों में ज्यादा खुलापन होना चाहिये कि एकाउंट्स की पूरी आमदनी क्या है, बैंक डेट्स कितनी हुई हैं ? साथ ही साथ फार्मेट में यह जानकारी या मालूमात भी होने चाहिये कि कितने लोगों को कंसेशन दिया गया है ? इस प्रकार के सुझाव घोष कमेटी की तरफ से रखे गये हैं। गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के लोगों के साथ चर्चा करके उसके बारे में अंतिम फैसला करेगी।

**श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : अध्यक्ष महोदय, पहले से बैंकों की कार्यक्षमता घट रही है और करप्शन बढ़ रहा है। इस करप्शन को घटाने के लिए रिजर्व बैंक क्या कार्रवाई करेगी और सरकार इस करप्शन को कब तक खत्म कर देगी ?

**प्रो० मधु दण्डवते** : अध्यक्ष जी, यह सवाल बैंकों के एकाउंट के फौरमैट के सिलसिले में है लेकिन चूंकि उन्होंने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है, मैं समझता हूं कि फौरमैट में जिस परिवर्तन की बात हम सोच रहे हैं, उसका ताल्लुक भी भ्रष्टाचार रोकने के साथ हो सकता है और हम सब प्रकार की कार्यवाही करेंगे जिसकी वजह से भ्रष्टाचार कम हो जाये। भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले दिनों एक लेख आया था जिसमें कहा गया था कि जो लोग धांधली करना चाहते हैं बैंकों के अन्दर, उन्हें पता लग गया है कि रोबरी या डकैटी करने से फ्रौड करना ज्यादा फायदेमंद है। मैं समझता हूं कि इसे ध्यान में रखते हुए हम उचित कार्यवाही करेंगे। नियमों में आवश्यक तबदीली करेंगे, फौरमैट में उचित तबदीली करेंगे, जिसका हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने में फायदा मिलेगा।

## दूरदर्शन/आकाशवाणी पर वेद की ऋचाओं का प्रसारण

*590. **रासा सिंह रावत :** क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने वाले प्रातः कालीन भक्ति संगीत कार्यक्रमों में वेदों की ऋचाओं को भी शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनसाधारण के लिए वेदों के महत्व के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) :** (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि कुछ आकाशवाणी केन्द्रों के भक्ति संगीत के कार्यक्रमों में वेद पाठ होता है । दूरदर्शन के प्रातःकालीन प्रसारण में उप-शास्त्रीय या शास्त्रीय शैली में भक्ति गीत भी प्रसारित किये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं । और

(घ) जी नहीं ।

**प्रो० रासा सिंह रावत :** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की 86 प्रतिशत से अधिक जनता वेदों के प्रति असीम श्रद्धा रखती है । वेदों के प्रथम उन्नायक और राष्ट्रीयता के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है । योगीराज अरविन्द ने भी इस बात को स्वीकार किया था । हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परम्पराएं हमारी प्राचीनता, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा संगीत, सब वेदों से निकला है । उन वेदों की ऋचाओं को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर यदि महत्व न दिया जाये तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय को अवगत है कि वेद का शब्दार्थ ज्ञान ही की पुस्तक है ? क्या यह तथ्य नहीं कि वेद के महत्व को एक धार्मिक ग्रन्थ के अतिरिक्त ज्ञान के एक स्रोत के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी है ? इसी मान्यता के आधार पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप सवाल पूछिये ।

**प्रो० रासा सिंह रावत :** इस मान्यता के फलस्वरूप क्या मन्त्रालय का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वेदों में निहित ज्ञान को लोगों तक पहुंचाये ? क्या ऐसा करना इस कारण भी आवश्यक नहीं होता कि वेद हमारे देश की कई सांस्कृतिक धाराओं का उद्गम है ?

[अनुवाद]

**श्री पी० उपेन्द्र :** नीति सम्बन्धी मामले के अनुसार, आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने केन्द्रों

से कर्मकाण्डी धार्मिक प्रसारणों को प्रोत्साहन नहीं देते। तथापि, अपनी नीति के अनुसरण में, इन कार्यक्रमों से लोगों के नैतिक चरित्र को मजबूत करने में सहायता मिलती है इसलिए आकाशवाणी और दूरदर्शन लोगों और भारत के सभी धर्मों के अनुयायियों के अनुभव एकत्र करते हैं और पवित्र साहित्यों के उद्देश्यों का उपयोग करते हैं। इस प्रयास को संगीत और गाये जाने वाले कार्यक्रमों में दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

**प्रो॰ रासा सिंह रावत :** वेदों का प्रसारण जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए क्या वैदिक कालीन सौन्दर्य, वैदिक संगीत, वैदिक गणित, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक स्थापत्य कला और वैदिक विज्ञान के बारे में जनता को जानकारी दिलाये जाने की दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से व्यवस्था नहीं की जाएगी ?

[अनुवाद]

**श्री पी॰ उपेन्द्र :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इन सबको प्रसारित नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से कार्यक्रमों में, उप-शास्त्रीय और शास्त्रीय कार्यक्रमों में भक्ति संगीत दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम कुछ और नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

**श्री सत्यनारायण जटिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो जवाब आया है, उसमें माननीय मन्त्री जी ने इसके प्रति अपनी इच्छा तो प्रकट की है और यह जानकर प्रसन्नता भी होती है कि आकाशवाणी के माध्यम से वेदपाठ के कार्यक्रमों के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उत्तर में आगे यह भी कहा गया है कि दूरदर्शन के प्रसारणों में शास्त्रीय संगीत भी प्रसारित किया जाता है, शास्त्रीय शैली में भक्ति गीत प्रसारित होते हैं, परन्तु वेदों में जो ज्ञान की बातें हैं, वेदों में शिक्षा भरी है, वह सर्वमान्य है और उससे किसी का विरोध नहीं हो सकता।

"ओं विश्वानिदेवः सवितुर्दरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्नआसुव।"

हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब लोगों के दुःख दूर करके सबको सुखी और समृद्ध कर। इस बात से किसी का विरोध नहीं हो सकता। ऐसी बातें जो हैं जो ज्ञान की, विज्ञान की, उनको यदि प्रकट करने के लिये सूक्तियों के रूप में प्रकट करने के लिए दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किए जाने में क्या हर्ज है। इससे तो वेद के ज्ञान और शिक्षा को प्रसारित करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री जी से कि ऐसी सूक्ती और छोटी-छोटी पंक्तियों को उद्धृत करने और ऐसी शिक्षा को प्रसारित करने में आप दूरदर्शन का उपयोग करेंगे क्या ?

[अनुवाद]

**श्री पी॰ उपेन्द्र :** आकाशवाणी के कुछ केन्द्र प्रतिदिन नियमित रूप से नहीं बल्कि कभी-कभी

वेदों से श्लोक देते हैं। मेरा पहले का उत्तर भी केवल दैनिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित है। लेकिन जब कभी ऐसे अवसर आते हैं तो कभी-कभी ये कार्यक्रम भी दिये जाते हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : स्वभाविक है यदि वेदों के सूत्रों को भी लोकप्रिय बनाया जाता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये ऐसे सूत्र होन चाहिए जो कि हमारे संविधान और नीति निर्देशक सिद्धांतों से मेल खाते हों। यहां और भी धर्म हैं। उनकी भी ऐसी ही अपीलें हैं। जब सरकार धार्मिक बातों को लेगी, क्या वे इन दोनों पहलुओं पर विचार करेगी और अकेले तुम पर विचार करने के बाद क्या वे कोई बात निश्चित करेंगे ?

**श्री पी० उपेन्द्र** : जैसा कि मैंने बताया है मथुरा, पांडिचेरी, धारवाड़ जैसे कुछ केन्द्र कभी-कभी वेदों के श्लोक प्रसारित करते हैं। इसी प्रकार आकाशवाणी के हैदराबाद और श्रीनगर केन्द्र कुरान शरीफ में पाठ प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी का जालंधर केन्द्र और दूरदर्शन गुरबाणी में उद्धरण रेडियो और दूरदर्शन में प्रसारित करते हैं। और जब कभी ईसाइयों के त्यौहार आते हैं, धार्मिक वृन्दावन भी रेडियो और दूरदर्शन में प्रसारित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

**श्री कपिलदेव शास्त्री** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वेद सारे संसार का आदिम ज्ञान है। सारा संसार इस बात को मानता है कि वेद के पहले कोई पुस्तक, ऋचा इस दुनिया में नहीं आई। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जब वेद दुनिया का आदिम ज्ञान है और सारे धर्म उससे ज्ञान अधिगृहीत करते हैं, तो वेद की ऋचाओं को बोलने में, इस दूरदर्शन को और आकाशवाणी को परहेज क्यों है ?

[अनुवाद]

**श्री पी० उपेन्द्र** : हमारी ओर से कोई हिचक नहीं है। इन्हें कभी-कभी अवसर के अनुसार रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित किया जाता है।

[हिन्दी]

**श्री राजवीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस वेद को विश्व के अन्य देश मानते हैं और जिसमें से कम्प्यूटर साइंस के लिए तैयार कर रहे हैं, वेद की ऋचाओं के आधार पर जर्मनी और अन्य देशों में शोध हो रहे हैं और उसी वेद को यह देश छोड़ दे, यह तो मुझे उचित नहीं लगता है। वेद जैसा ग्रन्थ जो ज्ञान का भण्डार है, उस ज्ञान को क्या मन्त्री जी देश के 80 करोड़ लोगों को नहीं देना चाहते हैं ? इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वेद की ऋचाओं के अनुवाद और ऋचाएं सबको सुनाई जाएं, जिससे देश के लोगों का ज्ञान बढ़े, इस बारे में देश क्या कर रहे हैं और क्या विचार है ?

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : मैं उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। इसमें कोई हिचक अथवा अनिच्छा नहीं है। लेकिन नीति के अनुसार हम इसे प्रतिदिन प्रसारित नहीं कर रहे हैं।

श्री ए० के० राय : वेदों में दो प्रकार के श्लोक हैं—एक में किसी देवता की प्रशंसा की गई है और दूसरे में प्रकृति की प्रशंसा की गई है। वास्तविकता का तत्व भी वहां है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सभी धर्मों और इन सभी बातों को प्रसारित करते समय क्या वह वास्तविकता के तत्वों का भी प्रसारण करेंगे जो कि उनमें है।

श्री पी० उपेन्द्र : यह कार्यवाही किए जाने के लिए एक सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट

*991. श्री मित्रसेन यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा कुछ समय पूर्व प्रस्तुत की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार की सिफारिश-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ये सिफारिशें कितनी लाभदायक होंगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यटन समिति की प्रमुख सिफारिशें और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया नीचे दी गई :—

| क्रम सं० | सिफारिशें | सरकार की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| (1) | पर्यटन संबधी क्रियाकलापों में गैर-सरकारी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन | सामान्य रूप में स्वीकृत और कार्यान्वित |

| | | |
|---|---|---|
| (2) | पर्यटन विभाग, भारत पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन | प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन कर दिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम का राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम में पुनर्गठित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया। पर्यटन विभाग को पुनर्गठित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। |
| (3) | वायु और भू-परिवहन क्षमता में तेजी से वृद्धि करने हेतु नीति | इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का आंशिक निजीकरण करने की सिफारिश को छोड़ कर सामान्य रूप में स्वीकार किया गया। |

(ग) ये सिफारिशें पर्यटन आधारिक संरचना के विकास के लिए उपयोगी हैं और इनके द्वारा स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी।

### अनिवासी भारतीय

*992. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा / श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व भर में देश-वार कितने अनिवासी भारतीय हैं और उनके द्वारा भारतीय बैंकों में जमा कराई गई विदेशी मुद्रा सहित अन्य क्षेत्रों में अब तक कितना-कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना मे अनिवासी भारतीयों से अधिकाधिक पूंजी निवेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

**वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते)** : (क) अनिवासी भारतीयों के सबंध में कोई विशिष्ट जनगणना उपलब्ध नहीं है। 31,1,1990 की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए कुल निवेशों की राशि संचयी रूप से लगभग 19,000 करोड़ रुपए थी जिसमें बैंक जमा राशियां शामिल हैं।

(ख) अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और प्रोत्साहन देना सरकार की नीति रही है।

### ईडो इन्टरनेशनल बैंक लिमिटेड का प्रस्ताव

*993. श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्स्ट इंडो-इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड के माध्यम से इक्विटी और अनिवासी भारतीयों की जमा राशि देश में आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें से कितनी धनराशि गैर-प्रत्यावर्तनीय होगी;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में इंडो-एन०आर०आई० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड कल्चर के अध्यक्ष द्वारा किए प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो फर्स्ट इंडो-इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(च) यदि हां तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते)** : (क) से (च) नवम्बर, 1988 में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम इंडो-इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड नसाऊ, बाहामास, ने अनिवासी भारतीय निवेशों निक्षेपों को आकर्षित करने के लिए बम्बई में एक शाखा खोलने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से जुलाई, 1989 में सम्पर्क किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंक के प्रार्थना-पत्र पर अनुकूल रुख नहीं अपनाया। अब बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से अपने निर्णय पर फिर से विचार करने की प्रार्थना की है।

## कन्याकुमारी में पर्यटन केन्द्र की स्थापना

*994. **श्री एन. डेनिस** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जापान के सहयोग से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पर्यटन केन्द्र की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक)** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## 'स्मगलिंग आन द राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

995. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तस्करी के विरुद्ध कार्यरत विभिन्न संगठनों के अनुसार पिछले एक दशक से तस्करी की गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है जैसा कि 28 और 29 अप्रैल, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या गुप्तचर विभाग द्वारा तस्करी के विरुद्ध कार्यरत विभिन्न संगठनों के सहयोग से सितम्बर, 1989 में तैयार की गई रिपोर्ट की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और सरकार का तस्करी के विरुद्ध कार्यरत संगठनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और क्या कदम उठाने का विचार है।

**वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते)** : (क) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि पिछले दशक के दौरान तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं तथा यदि हुई है, तो किस सीमा तक। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा किए गए अभिग्रहणों के मूल्य से, जिन्हें नीचे सारणी में दर्शाया गया है, बढ़ोत्तरी की प्रवृति दिखाई देती है। यह जरूरी नहीं है कि इससे तस्करी में वृद्धि होने का पता चलता हो, परन्तु ऐसा तस्करी रोधी प्रयासों को तेज करने से भी हो सकता है।

सारणी

| वर्ष | अभिग्रहणों का मूल्य (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1985 | 195.63 |
| 1986 | 217.52 |
| 1987 | 251.47 |
| 1988 | 443.14 |
| 1989 | 554.59 |
| 1990 (अप्रैल तक) | 223.38 (अनन्तिम) |

(ख) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन किसी भी आसूचना एजेन्सी ने ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## किसानों, दस्तकारों और बुनकरों के ऋण माफ करना

*996. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के परामर्श से उन किसानों, दस्तकारों और बुनकरों को, जिन्होंने विभिन्न बैंकों से 10,000 रुपये तक के ऋण लिये हैं, ऋण माफ करने हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस योजना को कब तक तैयार किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) सरकार ने उन किसानों, कारीगरों और बुनकरों को ऋण राहत देने के निर्णय की घोषणा की है जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से 10,000 रुपए तक का ऋण लिया था। सरकार ने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 तैयार की है। योजना की मुख्य बातें अनुबंध में दी गई हैं।

### केन्द्रीय सरकार की कृषि तथा ऋण राहत योजना 1990, की मुख्य-मुख्य बातें

1. यह राहत 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों सहित सहकारी समितियों द्वारा दिए गए सभी अल्पावधि और सावधि अतिदेय राशियों पर लागू होगी।

2. यह राहत उन सभी उधारकर्ताओं को प्राप्त होगी, जिनके द्वारा एक या अधिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या सहकारी समितियों से लिए गए मूलधन की रकम 10,000 रुपए से अधिक नहीं है।

3. मूलधन और ब्याज की रकम की माफी केवल 10,000 रुपए की सीमा तक ही प्राप्त होगी।

4. ऋण राहत का लाभ निम्नलिखित उधारकर्ताओं के वर्गों को प्राप्त होगा :—

(क) जानबूझकर चूक न करने वाला वह किसान जो गांव के आधार पर लागू आनावरी प्रणाली के अंतर्गत आता है।

(ख) जानबूझकर चूक न करने वाला वह कारीगर/बुनकर जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने ऋण की वापसी अदायगी करने में चूक की है।

(ग) चूक करने वाले उन किसानों, कारीगरों और बुनकरों की "पुरानी अतिदेय राशियां"

जो अन्तिम (कट आफ) तारीख अर्थात् 1.10.1989 को पिछले तीन वर्षों से अदा न की गई हो।

(घ) मृत उधारकर्ता के परिवार के उत्तरजीवी सदस्य, जिन पर ऋण का दायित्व आता हो।

(ङ) वे किसान जिन्होंने दिवालियापन की याचिका दायर कर दी थी या जिसे पहले ही दिवालिया घोषित कर दिया गया हो और जो ऊपर लिखी शर्तें पूरी करता हो।

5. उधारकर्ताओं की पहचान और पात्र ऋणों का निर्णय सरकारी क्षेत्र के बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रत्येक शाखा के प्रबंधक द्वारा किया जाएगा। उसे इस स्कीम के अंतर्गत पहचान किए गए और माने गए उधारकर्ता को राहत मंजूर करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. प्रत्येक खण्ड में अग्रणी बैंक का प्रबंधक योजना के कार्यान्वयन के लिये समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और वह प्रत्येक उधारकर्ता द्वारा किए गए ऋण के कुल मूलधन की रकम का निर्धारण करने तथा योजना से सम्बद्ध अन्य शर्तों की जांच करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों की सम्बन्धित शाखाओं के प्रबन्धकों और खण्ड विकास अधिकारी/तहसीलदार की बैठकें बुलाएगा।

7. शाखा प्रबंधक उधारकर्ता को दी गई राहत की रकम और यदि उसके खाते का पूर्ण रूप से निपटान हो गया हो तो खाते के बन्द किए जाने की सूचना लिखित रूप में भेजेगा और जहां कहीं लागू हो वहां बकाया रकम का भुगतान भी करेगा।

**महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर में महिला कर्मचारी**

***997. श्री ए.बी. थोरट : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेल्ट लिमिटेड, चन्द्रपुर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जानकारी है जिसमें उन पर महिला कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम प्राप्त हुए और इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) :** (क) सरकार को इस प्रकार की शिकायतों की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

## कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

998. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक अपनी-अपनी राय दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इनके बारे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या विचार व्यक्त किये हैं और सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें कार्यान्वित करने के बारे में कार्य योजना क्या है; और

(ग) समिति की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) कृषि ऋण संवीक्षा समिति (अध्यक्ष, प्रो० ए०एम० खुसरो) ने देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा की है और हाल में उसे प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं एवं मुद्दों का मूल्यांकन किया है। समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं :—

(1) कृषि अग्रिमों से सम्बन्धित ब्याज दर ढांचा जटिल नहीं होना चाहिए और ऐसे ऋणों के रियायत की सीमा कम की जानी चाहिए।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों में विलय कर दिया जाना चाहिए;

(3) पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए;

(4) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक का गठन किया जाना चाहिए; और

(5) फसल बीमा निगम की स्थापना की जानी चाहिए।

ये सिफारिशें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विचाराधीन है।

## एकल यूरोपीय बाजार का भारतीय व्यापार पर प्रभाव

+999. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय व्यापार पर एक योरोपीय बाजार के प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) एकल यूरोपीय बाजार की चुनौती से निपटने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) और (ख) जी, हां। भिन्न-भिन्न सरकारी और औद्योगिक संगठनों द्वारा विभिन्न अध्ययन करने के अतिरिक्त 5 राजदूतों की एक समिति ने वर्ष 1992 तक भारतीय व्यापार पर यूरोपीय बाजार के एकीकण के प्रभाव के आकलन का विस्तृत अध्ययन किया है।

(ग) यूरोप में उभरती हुई स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित उपायों का विस्तृत आकलन और अनुवर्तन, यूरोप में विकसित हो रहे नये मापदंडों का अनुवर्तन उद्योग और व्यापार मंचों के साथ अन्योन्यक्रिया, यूरोप में भण्डारण संवर्धन इत्यादि के प्रयास शामिल हैं।

## उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

*1000. **श्री समरेन्द्र कुण्डू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा का बजट-घाटा पूरा करने और विशेष रूप से इस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे भारी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते)** : (क) और (ख) योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि 1990-91 की वार्षिक योजना को पूर्णत: वित्त पोषित करने हेतु संसाधनों के अन्तराल को भरने के लिए विशेष ऋणों, अग्रिम योजना सहायता इत्यादि के रूप में उड़ीसा सरकार के लिए अतिरिक्त ऋण व्यवस्था की जाए। उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

## जीवन बीमा निगम के पास लंबित पड़े मृत्यु-दावे

*1001. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** / **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के पास लंबित पड़े मृत्यु दावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कितने दावे पांच वर्ष तथा उससे अधिक समय से लंबित पड़े हैं; और

(ग) जिन विधवाओं के बच्चे बड़े नहीं हैं, उनके घर पर ही इन दावों की राशि के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, ताकि उनको इस दुःख की घड़ी में इधर-उधर भाग-दौड़ न करनी पड़े ?

**वित्त मंत्री (प्रो॰ मधु दण्डवते)** : (क) और (ख) 31 मार्च, 1989 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के पास बकाया रहते मृत्यु सम्बन्धी दावों की संख्या 14456 थी, जिनमें से 826 मृत्यु सम्बन्धी दावे 2 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थे जो 28 फरवरी, 1990 को और कम होकर 412 रह गए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम उन मृत्यु सम्बन्धी दावों के पृथक आंकड़े नहीं रखता है जो 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से बकाया हैं। निगम मृत्यु सम्बन्धी दावों के राज्यवार आंकड़े भी नहीं रखता है। तथापि, क्षेत्रवार आंकड़े पृथक रूप से रखे जाते हैं जिनमें सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, जो 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार हैं :—

| क्षेत्रीय कार्यालय | क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 31.3.89 को बकाया मृत्यु संबंधी दावे | 31.3.89 को 2 वर्ष से अधिक बकाया मृत्यु सम्बन्धी दावे |
|---|---|---|---|
| उत्तरी क्षेत्र | दिल्ली, राजस्थान, चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश | 1957 | 83 |
| केन्द्रीय क्षेत्र | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश | 1701 | 61 |
| पूर्वी क्षेत्र | पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार, नागालैण्ड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर | 1639 | 42 |
| दक्षिणी क्षेत्र | तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश पांडिचेरी और लक्षद्वीप | 4635 | 248 |
| पश्चिमी क्षेत्र | महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ, दादरा और नगर हवेली तथा अडमान और दीव | 4624 | 392 |
| | निगम का जोड़ :-- | 14456 | 826 |

(ग) कठिन मामलों अर्थात् हक या अन्य कानूनी विवाद वाले मामलों को छोड़कर सामान्यतः सभी मृत्यु सम्बन्धी दावों का 2 वर्ष की अवधि के अंदर निपटान हो जाता है। निगम, मृत्यु की सूचना के 75 दिन के अंदर मृत्यु सम्बन्धी अधिकतम दावों का निपटान करने का प्रयास करता है।

*परन्तु, जल्दी मृत्यु सम्बन्धी दावों के सम्बन्ध में जहां पर जांच-पड़ताल और अधिक अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक हो वहां दावों का निपटान मृत्यु की सूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर करने के प्रयत्न किए जाते हैं।* दावों के शीघ्र निपटान के लिए एजेंटों, विकास अधिकारियों और सेवा (सर्विसिंग) शाखा के कर्मचारियों द्वारा, सभी अपेक्षाएं पूरी कराने में दावेदारों की हर सम्भव सहायता की जाती है। इस प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम के पास दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक उचित पद्धति है।

**एशियाई विकास बैंक की ऋण सम्बन्धी रिपोर्ट**

*1002. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशियाई विकास बैंक से भारत के विदेशी ऋण के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक से कतिपय आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करने का सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या अपेक्षित आंकड़े एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ?

**वित्त मंत्री (प्रो॰ मधु दण्डवते)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**महाराष्ट्र में खनिजों का विदोहन**

*1003. **वसन्त साठे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने महाराष्ट्र में खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में विभिन्न खनिज भण्डारों में खनिजों की अलग-अलग कितनी मात्रा होने का अनुमान है और 31 मार्च 1990 तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में खनिज निकाले गए और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय और राज्य/गैर सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग वर्ष 1990-91 के दौरान खनिजों के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में खनन कार्य के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता मांगी/प्राप्त की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) महाराष्ट्र में खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, महाराष्ट्र राज्य भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय तथा अन्य केन्द्रीय/सरकारी एजेंसियों ने सर्वे किया है।

(ख) भण्डार इस प्रकार हैं :—

(मिलियन टनों में)

| | | |
|---|---|---|
| बाक्साइट | — | 87.721 |
| चीना मिट्टी | — | 3.258 |
| कोयला | — | 5,075.40 |
| तांबे का अयस्क | — | 0.141 |
| डोलोमाइट | — | 217.102 |
| फायर क्ले | — | 5.437 |
| लौह अयस्क (हेमेटाइट) | — | 181.550 |
| मैंगनीज अयस्क | — | 5.161 |
| इल्मेनाइट (बालू) | — | 4.129 |
| काइनाइट और सिलिमेनाइट | — | 0.960 |
| चूना पत्थर | — | 3,455.572 |
| टंगस्टन अयस्क | — | 6.606 |

वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 के दौरान खनिज खनिजों की मात्रा उनके मूल्य इस प्रकार हैं :—

(उत्पादन लाख टनों में एवं मूल्य लाख रुपये में)

| खनिज | वर्ष 1987 | | वर्ष 1988 | | वर्ष 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उत्पादन | मूल्य | उत्पादन | मूल्य | उत्पादन | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कोयला | 108.88 | 23277.85 | 118.76 | 25275.86 | 117.19 | 31676.02 |
| चूनापत्थर | 31.62 | 921 25 | 44.99 | 1349.22 | 36.47 | 1303.96 |
| मैंगनीज अयस्क | 2.35 | 1064.90 | 2.51 | 946.67 | 1.71 | 796.41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लौह अयस्क | 9.33 | 313.73 | 5.24 | 305.55 | 11.17 | 642 85 |
| बाक्साइट | 4.01 | 168.54 | 5.59 | 275.44 | 5.27 | 271.69 |
| सिलिका रेत | 1,67 | 70.44 | 1.76 | 73.72 | 1.67 | 100.93 |
| डोलोमाइट | 0.30 | 15.37 | 0.25 | 16.59 | 0.19 | 11.21 |
| काइनाइट | 0.11 | 31.07 | 0.15 | 42.32 | 0·20 | 63 98 |
| सिलिमेनाइट | 0.08 | 76.22 | 0.06 | 60.20 | 0.10 | 89.55 |
| भराई रेत | 12.03 | 39.37 | 9.18 | 78.41 | 12.43 | 189 88 |
| कोरंडम | 00.02 | 1.25 | 0.006 | 3.91 | 0.0009 | 0.54 |
| फाइरो-फिलाइट | 0.02 | 1.29 | 0.009 | 0.60 | 0.009 | 0.58 |
| क्रोमाइट | 0·0009 | 0.60 | 0.002 | 1.35 | शून्य | शून्य |
| मिट्टी | 0.14 | 5.02 | 0.13 | 5.39 | 0·14 | 5.02 |
| क्वार्टज | 0.07 | 3.66 | 0.20 | 11.51 | 0.16 | 9.99 |
| लेटेराइट | 0.57 | 34.64 | 0.64 | 33.60 | 0 67 | 46.31 |
| शेल | 0.15 | 1.17 | 0 20 | 1.54 | 0.06 | 0.47 |
| कुल जोड़ | 171.33 | 36026.55 | 189.67 | 28486.88 | 187.43 | 35209.39 |

*वर्ष 1989 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सैक्टर राज्य/प्राइवेट सेक्टर में खनिजों के खनन का कार्यक्रम इस प्रकार है:—

| सैक्टर | खनिज | संगठन | उत्पादन लक्ष्य (टन में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| केन्द्रीय | मैंगनीज अयस्क | मैंगनीज ओर (इ०) लि० | 2,56,000 | |
| | कोयला | वैस्टर्न कोल फील्ड्स लि० | 1,70,00,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| राज्य | काइनाइट सिलिमेनाइट | महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 3,000 |
| | कोरंडम आदि | | |
| | डोलोमाइट | —वही— | 25,000 |
| | चूनापत्थर | —वही— | 20,000 |
| | फ्लोराइट | —वही— | 5,000 |
| | सिलिका बालू | —वही— | 15,000 |
| प्राइवेट | बाक्साइट | इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी | 6,00,000 |
| | लौह अयस्क | —वही— | 5,00,000 लौह अयस्क के निर्यात के अनुसार आंकड़े घट-बढ़ सकते हैं |
| | चूनापत्थर | —वही— | 35,00,000 |

(च) 12 मई, 1988 को खनिज गवेषण निगम और फ्रांस की खनिज गवेषण एजेंसी बी०आर०जी०एस०एम० के बीच एक करार हुआ है, जिसके अन्तर्गत खनिज गवेषण प्रौद्योगिकी के अन्तरण द्वारा भारत में टिन व टंगस्टन निक्षेपों के गवेषण और विकास हेतु एक संयुक्त परियोजना का क्रियान्वयन होना है। इस परियोजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में नागपुर जिले के खोबना टंगस्टन निक्षेप शामिल हैं।

(छ) टंगस्टन अयस्क पिंड के आक्सीकृत जोन के मूल्यांकन हेतु, संयुक्त कार्यदल की यथा-अनुशंसा गवेषणी ड्रिलिंग का काम चल रहा है।

**नई आयात-निर्यात नीति के विरुद्ध केरल से अभ्यावेदन**

*1004. प्रो० पी.जे. कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात-निर्यात नीति के विरुद्ध केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों में उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभिवेदन के मुख्य मुद्दे यह थे कि नारियल-तेल, गरी, प्राकृतिक रबड़, कयर यार्न, कोका और मसाले जैसे कृषि और बागान उत्पादों के सन्दर्भ में नई आयात-निर्यात नीति का केरल के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) जायफल और जावित्री को छोड़कर उपर्युक्त मदों के लिए आयात-निर्यात नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सभी व्यक्तियों के लिए इन दोनों मदों के स्टाक और बिक्री के लिए आयात की अनुमति पहले खुले सामान्य लाइसेंस के तहत दी गई थीं, नई आयात-निर्यात नीति में इन्हें लाइसेंस श्रेणी में इन मदों के आयात को और कड़ा कर दिया गया है ।

**हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के अदालती मामले**

*1005. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर और इसके विभिन्न एककों द्वारा दायर किये गये और उनके विरुद्ध दायर किए गए, श्रमिक कानूनों से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर अन्य कितने मुकदमे निम्न, उच्च और उच्चतम न्यायालयों में अनिर्णित पड़े हैं और इन मुकदमों में पक्षकार कौन-कौन हैं तथा सम्बद्ध कारण क्या हैं;

(ख) ये मुकदमे कब से लम्बित हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं;

(ग) विवादों को सम्बन्धित पक्षों के साथ आपसी समझौते से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल॰ टी॰ 1150/90]

(ग) न्यायालयों के बाहर मामलों के निपटाने के बारे में प्राप्त अनुरोधों पर कम्पनी के हितों को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है ।

**मंत्रालयों/विभागों में पदोन्नति में गतिरोध**

*1006. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों में समूह "ग" और "घ" के पदों में पदोन्नति में भारी गतिरोध है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक विशिष्ट अवधि के पश्चात समूह "ग" और "घ" के पदों के मामले में स्वतः पदोन्नति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक लागू किया जाएगा ?

**वित्त मंत्री (प्रो. मधु दण्डवते)** : (क) सरकार इस बात को जानती है कि समूह "ग" और "घ" पदों में कुछ ऐसे संवर्ग हैं जिनमें पदोन्नति के अवसर नहीं हैं या पदोन्नति के आसार अपर्याप्त हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार में विभिन्न स्तरों पर पदों का सृजन आवश्यकता के आधार पर विचार करके किया जाता है। यदि पदोन्नति के स्तरों में पद कार्यात्मक रूप से औचित्यपूर्ण/आवश्यक नहीं हैं तो ऐसे पद पदोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने तथा गतिरोध को दूर करने मात्र के लिए सृजित नहीं किए जा सकते। तथापि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) के कर्मचारी पक्ष की मांग के आधार पर सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या समूह "ग" और "घ" के सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में कम से कम एक पदोन्नति दी जा सकती है।

**मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड द्वारा बिक्री**

[हिन्दी]

*1007. **प्रो. महादेव शिवनकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज और इण्डिया लिमिटेड ने गत वर्ष एक कम्पनी को विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी कम मूल्य पर मैंगनीज अयस्क बेचा था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) क्या "मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड" के कर्मचारी-कल्याण संघ से कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें उक्त सौदे में कदाचार होने का आरोप लगाया गया था,

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त आरोपों की जांच की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) आरोपों की जाँच की गई तथा इनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ।

### भारत को जापानी सहायता

[अनुवाद]

10401. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल में भारत के दौरे पर आए जापान के प्रधानमन्त्री ने भारत के लिए द्विपक्षीय सहायता में थोड़ी वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) भारत के लिए आर्थिक सहायता के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) जापान के प्रधानमन्त्री ने अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान यह संकेत दिया था कि जापान सरकार चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 100 अरब येन तक का ऋण प्रदान करने वाली है। यह पिछले वर्ष की गई 96.7 अरब येन की वचनबद्धता की तुलना में 3.29 अरब येन की वृद्धि प्रकट करती है।

### बिहार में बंद रोलिंग मिल

10402. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनवाद जिले में कौन-कौन सी रोलिंग मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी पूंजी अवरुद्ध पड़ी है और कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) इनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

### रांची दूरदर्शन केन्द्र में अस्थायी कर्मचारी

[हिन्दी]

10403. श्री दीनानाथ प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र रांची में कुछ अस्थायी कर्मचारी इस केन्द्र के आरम्भ होने के समय से कार्य कर रहे हैं लेकिन स्थायी नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें स्थायी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और उन्हें न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी. उपेन्द्र)** : (क) जी, हां । जिन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा गया है, उनके स्थान पर नैमित्तिक आधार पर, कुछ कर्मचारियों को काम पर लगाया गया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । नियमों में नैमित्तिक कर्मचारियो को कब तक नियमित करने की व्यवस्था नहीं है जब तक वे नियमित नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता में नहीं बैठते ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

### राजस्थान में पोस्त की खेती

10404. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में पोस्त की खेती करने वाले किसानों को "पट्टे" देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पोस्त की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक है और इससे विदेशी मुद्रा की आय भी होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का पोस्त का उत्पादन बढ़ाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का राजस्थान में पोस्त पर आधारित फैक्ट्री की स्थापना करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

**वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ख) पोस्त की खेती के लिए

उन किसानों को लाइसेंस अक्तूबर/नवम्बर में जारी किए जाते हैं जो सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार ऐसे लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। अफीम-पोस्त की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का एक साधन है और विदेशों को अफीम के निर्यात द्वारा भारत सरकार विदेशी मुद्रा भी अर्जित करती है। भारत में अफीम का उत्पादन मुख्यतः निर्यातोन्मुखी है। भारतीय अफीम को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी विकल्प कच्ची सामग्री, नामशः पोस्त के तिनकों के सांद्रण से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ अफीम के निर्यात में कमी आई है और इसको स्टाक में वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार का अफीम के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

## भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कलकत्ता से बम्बई कार्य अन्तरित करना

[अनुवाद]

10405. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अंतर्शाखा समन्वय कार्य, यात्री चैक जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को कलकत्ता से बम्बई अन्तरिम कर दिया है, जिनके परिणामस्वरूप रोजगार की सम्भावनाओं में कमी हुई है और पश्चिम बंगाल की आर्थिक महत्ता कम हुई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने उस समय की परिस्थितियों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता में किये जा रहे कुछ कार्यों को काफी समय पहले कारोबार और प्रबन्धकीय कारणों से वहां से अन्तरित कर दिया था। भारतीय स्टेट बैंक ने आगे बताया है कि किसी और अनुभाग/काम के मद को कलकत्ता से अन्तरित करने का बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक के कुछ अनुभागों/कार्य की मदों को कलकत्ता से स्थानान्तरित/अन्तरित किए जाने के कारण बैंक के पश्चिम बंगाल में उपलब्ध रोजगार अवसरों में कोई कमी नहीं आई है।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल का पुनर्गठन

10406. **श्री ए. विजय राघवन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों के पुनर्गठन की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो इन मंडलों का पुनर्गठन कब किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक मण्डलों का काम एक निरन्तर प्रक्रिया है और निदेशकों की होने वाली रिक्तियों को समय समय पर भरा जाता है। इस समय सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों की कुछ रिक्तियां हैं। सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि पिछली नियुक्तियों की समीक्षा के बाद यथाशीघ्र इन रिक्तियों को भर लिया जाए।

### अवार्ड विजेता निर्यात फर्मों को प्रोत्साहन

10407. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री आफ इंडिया ने अवार्ड विजेता निर्यात फर्मों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू करने का सुझाव दिया है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जन करने में उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरगिल श्रीधरन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### दूरदर्शन के कुल प्रसारण समय में विज्ञापनों के प्रसारण समय की प्रतिशतता

10408. डा० वेंकटेश काबड़े : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कुल प्रसारण समय में विज्ञापनों के प्रसारण समय की प्रतिशतता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन विज्ञापनों के प्रसारण से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से विज्ञापनों के प्रसारण पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) इन विज्ञापनों के प्रसारण का बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए प्रारम्भ की गई योजना का ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी उपेन्द्र) : (क) इस समय दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण की अवधि कुल प्रसारण समय का लगभग 3 प्रतिशत है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दूरदर्शन का कुल विज्ञापन राजस्व 507.69 करोड़ रुपए था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गत कुछ वर्षों में, दूरदर्शन-विज्ञापनों के सामाजिक प्रभाव पर, किए गए अध्ययन से यह पता चला कि ये विज्ञापन प्राय: रुचिकर, मनोरंजक तथा सूचनापरक हैं और इनका समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

### केरल से सब्जियों का निर्यात

10409. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987/1988 और 1989 के दौरान केरल से खाड़ी के देशों को कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की सब्जियां निर्यात की गई;

(ख) खाड़ी के देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए केरल के निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन/सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को एअर इण्डिया द्वारा केरल के निर्यातकों को त्रिवेन्द्रम, कोचीन कालीकट में आवंटित एअर मार्गों क्षेत्र को कम किए जाने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल से खाड़ी देशों को निर्यात की गई सब्जियों की कुल मात्रा और कीमत नीचे दी गई है:—

| वर्ष | मात्रा (एम टी) (अनुमानित) | मूल्य रु०/लाख (अनुमानित) |
|---|---|---|
| 1987-88 | 5242 | 310 |
| 1988-89 | 5968 | 350 |
| 1989-90 | 7120 | 477 |

स्रोत : केरल राज्य औद्योगिक इण्टरप्राइजेज लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम।

(ख) सभी निर्यातकों को, जिनमें केरल के निर्यातक भी शामिल हैं, ताजी सब्जियों का निर्यात बढ़ाने के लिए नकद मुआवजा सहायता, आयात प्रतिपूर्ति आदि जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) कृषि उत्पाद और संसाधित खाद्य निर्यातक एसोसिएशन, त्रिवेन्द्रम ने एयर

इंडिया द्वारा त्रिवेन्द्रम को आबंटित कारगो स्पेस को कम करने के विरुद्ध अभिवेदन दिया था। यह मामला नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ उठाया गया था जिसने जानकारी दी है कि एयर इंडिया ने 15 अप्रैल, 1990 से इस कटौती को वापस ले लिया है।

## विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए आप्रवासन औपचारिकताओं में रियायत

10410. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए लागू की गई आप्रवासन औपचारिकताओं में छूट के संदर्भ में मुख्य परिवर्तनों का ब्योरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए औपचारिकताएं कम करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए आप्रवासन औपचारिकताओं में और ढील दिए जाने की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती क्योंकि सामान्यतया आप्रवासन काउंटर पर यात्रियों को बाहर निकालने में 2 मिनट से अधिक नहीं लगते। बिना वीजा आने वाले विदेशी पर्यटकों के समूह को आप्रवासन अधिकारियों द्वारा 30 दिनों की अधिकतम अवधि की लैंडिंग परमिट सुविधाएं स्वीकृत की जा सकती हैं बशर्ते कि यात्रा मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रैवल एजेंसियों द्वारा प्रायोजित की गई हो।

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित चार महानगरों के क्षेत्रीय कार्यालयों में रजिस्टर्ड विदेशी पर्यटकों के लिए "निर्गमन अनुमति" प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। अब विदेशियों के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में रजिस्टर्ड विदेशी पर्यटक प्रस्थान के समय हवाई अड्डे से निर्गमन अनुमति प्राप्त करते हैं।

## केरल को पर्यटन हेतु सहायता

10411. **श्री टी० बशीर** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1989-90 के दौरान पर्यटन विकास हेतु कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) इस क्षेत्र पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई और इस वर्ष के दौरान क्या उपलब्धि रही;

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए पर्यटन विकास हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना अथवा परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1989-90 के दौरान 85·02 लाख रुपए की लागत वाली परियोजनाओं/स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है, जबकि वर्ष के दौरान नई तथा चालू परियोजनाओं को रिलीज की गई कुल सहायता राशि 170.13 लाख रुपए थी।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उनके विशिष्ट प्रस्तावों पर दी जाती है। केरल राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 हेतु दी जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अनुमानों सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार करके प्रस्तुत नहीं की है।

### बिहार को बाढ़ राहत सहायता

[हिन्दी]

10412. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार बिहार में विनाशकारी बाढ़ों को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है;

(ख) बिहार को बाढ़ राहत कोष से गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई; और

(ग) क्या उपर्युक्त राज्य को बाढ़ सहायता प्रदान करने हेतु कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) बिहार के सभी नदी तन्त्रों के लिए गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा बाढ़ प्रबन्ध हेतु व्यापक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

(ख) बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि नीचे दिए गए अनुसार है:—

| वर्ष | आपदा | सीमान्त धन सहित दी गई केन्द्रीय सहायता |
|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपए में) |
| 1987-88 | बाढ़ | 54.329 |
| 1988-89 | भूकम्प, स्थानिक बाढ़ आदि | 16.875 |
| 1989-90 | बाढ़ तथा सूखा एवं आग लगना इत्यादि स्थानिक आपदा | 0.560 |

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष स्थापित करने के बारे में नवें वित्त आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा कोष की अभिरक्षा और संचालन व्यवस्थाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार राज्य के लिए कोष में नवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा 26.25 करोड़ रुपए तथा राज्य द्वारा 8.75 करोड़ रुपए का अंशदान होगा।

### कर सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण

[अनुवाद]

10413. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर मैसूर चैम्बर आफ कामर्स ने उनके मंत्रालय को कर सम्बन्धी कानूनों के सरलीकरण और उत्पादन कराधान योग्य वस्तुओं के वर्गीकरण तथा अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के मामले में समानता लाने हेतु तेजी से सुधार करने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों को कहां तक लागू किया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) कर सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण करना तथा शुल्क्य माल के वर्गीकरण में तथा अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों के सम्बन्ध में एक-रूपता लाने में तेजी से सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की विभिन्न संस्थाएं और संघ इस सम्बन्ध में समय-समय पर सुझाव देते हैं। सरकार अपनी नीतियां तैयार करते समय नीतियों की समीक्षा करते समय ऐसे सभी सुझावों को ध्यान में रखती है।

### आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त उद्यम

10414. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उद्यमों की स्थापना करने के लिए कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार-विस्तार के लिए वर्ष 1989-90 में कोई समझौता ज्ञापन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान भारत-आस्ट्रेलिया के व्यापार के विस्तार की क्या योजना बनाई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणाचलम)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की जुलाई, 1989 में हुई प्रथम बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों देश एक दूसरे से वर्ष 1992 तक व्यापार कारोबार दोगुना कर 1.2 बिलियन डालर करने का प्रयास करेंगे।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार संवर्धन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्न-लिखित उपाय किए गए/किए जा रहे है :—

1. भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त व्यापार परिषद की नियमित बैठकों की मार्फत भारतीय तथा आस्ट्रेलियाई व्यापारियों के बीच सम्पर्क बढ़ाना।
2. संयुक्त व्यापार समिति (जे० टी० सी०) की स्थापित प्रक्रिया द्वारा वार्षिक व्यापार वार्ताओं का आयोजन करना।
3. आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक आयोजित करना।
4. आस्ट्रेलिया में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अधिक सहभागिता।
5. आस्ट्रेलियाई सरकार की बाजार सलाहकार सेवा की सहायता से आस्ट्रेलिया में भारतीय उत्पादों की अनन्य प्रदर्शनी लगाना।
6. आस्ट्रेलिया में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।
7. दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान करना।

## प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले संवाददाताओं के चयन के लिए मानदंड

10415. **श्री धर्मपाल सिंह गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और देश के बाहर प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले संवाददाताओं के चयन के लिये क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री के साथ जाने वाले संवाददाताओं का चयन राज्यवार करने के बारे में ध्यान दिया जाता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) :** (क) और (ख) चयन का मुख्य मानदण्ड यथासंभव अधिक से अधिक कवरेज है। विदेशी दौरों के लिए चयन का मार्गदर्शी आधार भारत की विदेश नीति तथा प्रधान मंत्री की यात्रा की यथासंभव अधिक से अधिक कवरेज

सुनिश्चित करना है। ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की कवरेज में अनुभव प्राप्त होता है। क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों को यथासंभव प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

**पति और पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती**

10416. **श्री के० ओक्काराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उसी स्थान पर तैनात करने के सम्बन्ध में कोई नीति है जहां उनके पति/पत्नी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों में काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारियों पर लागू अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन बैंकिंग उद्योग से सम्बन्धित विशिष्ट कारकों, बैंकों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और स्थानान्तरण के मानदण्डों आदि को देखते हुए बैंकों से उन मामलों में पति एवं पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने के वास्ते नीति तैयार करने के लिए कहा गया है, जहां वे दोनों एक ही बैंक में अथवा अलग-अलग बैंकों में काम करते हैं। जब पति-पत्नी बैंकों से सम्बन्धित नहीं होते, वे मामले उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के अंतर्गत नहीं आते। बैंक कर्मचारियों पर लागू अधिकारी सेवा विनियमों के अंतर्गत, उनका स्थानांतरण पूरे भारत में किया जा सकता है और प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानांतरण अपरिहार्य भी हो सकता है और इसलिए इस आधार पर कि पति या पत्नी राज्य/केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, बैंकों के अधिकारियों को स्थानांतरण से कोई खुली छूट प्रदान करना सम्भव नहीं हुआ है।

अवार्ड स्टाफ कर्मचारियों पर लागू शास्त्री अवार्ड के अनुसार, सामान्यतया उनका स्थानांतरण उन भाषाई क्षेत्रों से बाहर नहीं किया जाता है जिनमें वे कार्य कर रहे होते हैं।

**भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम**

10417. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने 17 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 1985 तक नावेली में "दक्षिण अरकाट" के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम चलाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर कुछ प्रशिक्षणार्थियों को ऋण प्राप्त करने हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो इन उद्यमियों की संख्या कितनी थी और उनमें से कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है; और

(ङ) जिन प्रशिक्षणार्थियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है उन्हें ऋण मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने 19.11.85 से 17.12.85 तक नावेली में दक्षिण अरकाट जिले के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम चलाया था। 24 उद्यमियों को उद्यम-वृत्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया गया था।

(ग) से (ङ) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सारे व्यक्तियों से अपनी परियोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। परन्तु उनमें से केवल 4 लोगों ने ही ऋण की मजूरी के लिए, अपनी परियोजना प्रस्तुत की थी इनमें से, दो को उनकी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी। एक को व्यवहार्य नहीं पाया गया तथा चौथे आवेदनकर्ता को प्रशिक्षण कार्यक्रम से पहले उसकी ऋणग्रस्तता के कारण वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकी।

**मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जिले में पर्यटन केन्द्र**

[हिन्दी]

10418. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां, भारतीय पर्यटन विकास निगम या राज्य सरकार द्वारा खान तथा आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या मोरामदेव रतनपुर, सीरपुर दांतेवाड़ा, राजम, सियोरिनारायन का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किए जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर भारत पर्यटन विकास निगम और अथवा राज्य सरकार द्वारा खान-पान और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं —

| | |
|---|---|
| बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क | ओरछा |
| भेड़ाघाट | पचमढ़ी |
| भोपाल | पिपरिया |
| चित्रकूट | रूपाड़ |

| | |
|---|---|
| ग्वालियर | सागर |
| इन्दौर | सांची |
| जबलपुर | सतना |
| कान्हा राष्ट्रीय पार्क | शिवपुरी |
| खजुराहो | उज्जैन |
| मांडू | |

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ जिले में निम्नलिखित स्कीमों को मंजूरी दी है :—

| | स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| (I) दांतेवाड़ा में कैफिटेरिया एवं टायलेट सुविधाएं | 12.54 |
| (II) ग्वारढ़ा में मार्गस्थ सुख-सुविधाए | 18.36 |
| (III) भोरमदेव में मार्गस्थ सुविधाएं | 3.67 |

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करना**

10419. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत विदेशी बैंक किसी खाते में न्यूनतम जमा राशि कार्य घंटे कम मूल्य वाले नोटों को लेने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये बैंक पांच लाख से कम राशि के ऋण आवेदनों पर विचार करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकों को जमा खातों में एक न्यूनतम जमा राशि के बनाए रखने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारतीय बैंक संघ ने इस सम्बन्ध में सदस्य बैंकों द्वारा अनुसरण करने के लिए मूल नियम तथा आचार संहिता नियम जारी किए हैं। तथापि, सदस्य बैंक न्यूनतम जमाराशि आदि के बारे में स्वयं अपने लिए नियम बना सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि भारत में कार्यरत विदेशी बैंक द्वारा निर्धारित कार्य के न्यूनतम घण्टों का पालन कर

रहे हैं। तथा उन्हें विदेशी बैंकों द्वारा जनता से कम मूल्य वर्ग के नोट स्वीकार न करने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी बैंक पांच लाख रुपए से कम ऋणों के आवेदन पत्रों पर विचार करते हैं।

### स्वर्ण आभूषण

[अनुवाद]

10420. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महाराष्ट्र में वर्ष 1988 से स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कितने नमूने एकत्र किए गए;

(ख) अब तक इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का स्वर्णकारों द्वारा की जाने वाली बेईमानी पर रोक लगाने के लिए सभी स्वर्ण आभूषणों पर "हाल मार्क" लगाने की व्यवस्था करने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) बानवे (92)।

(ख) इनमें से उनहत्तर नमूने नियमित तौर अभिग्रहणों से संबन्धित हैं, जैसे—प्रारम्भिक सोना, विदेशी मार्के का सोना आदि। बाकी मामलों में नमूने इसलिए लिए गए थे ताकि भारत सरकार टकसाल, बम्बई में स्वर्ण-आभूषणों को अंकित शुद्धता का सही-सही रूप में पता लगाया जा सके। इनमें से 3 नमूने घोषित शुद्धता के थे। नौ मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा 3 मामलों में न्याय-निर्णय हो गया है तथा दण्ड आयद किया गया है। छः मामलों में न्याय निर्णय को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है तथा 10 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना बाकी है।

(ग) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की धारा 30 में ऐसा प्रावधान है कि डीलर आभूषणों पर शुद्धता को अंकित करें।

### कृषि उत्पादों का निर्यात

10421. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि मंत्रालय के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कृषि मंत्रालय के माध्यम से निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्तावित परिवर्तन से किसानों को क्या लाभ होगा ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

### आकाशवाणी केन्द्र त्रिवेन्द्रम से मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

10422. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी केन्द्र त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के लिये मलयालयम कार्यक्रम प्रसारित करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो मलयालयम कार्यक्रम का प्रसारण कब तक आरंभ हो जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) और (ख) आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता और तकनीकी दृष्टि से खाड़ी देशों को कोई कार्यक्रम प्रसारित करना सम्भव भी नहीं है । आकाशवाणी, त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए मलयालम में कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सातवीं योजना के एक अंग के रूप में, आकाशवाणी के प्रस्तावों में खाड़ी के देशों को हिन्दी, मलयालम और अरबी में एक पूर्ण सेवा शुरू करने का प्रस्ताव शामिल है । प्रारम्भ में यह सेवा मुख्य रूप से सऊदी अरब ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तरी और दक्षिणी यमन, कुवैत, जोर्डन और ईरान तथा इराक के कुछ भागों में रहने वाले भारतीयों के लिए प्रसारित की जाएगी । यह सेवा इस प्रयोजन के लिए पणजी में लगाये जा रहे 250-250 कि० वा० के दो शार्टवेव ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर यह आरम्भ हो जायेगी ।

### आकाशवाणी भवन, मुम्बई में सिनेमा थियेटर

10423. **श्री राम नाईक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में आकाशवाणी के भवन में स्थित सिनेमा थियेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है जबकि यह चर्च गेट स्टेशन के निकट एक उत्कृष्ट क्षेत्र में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक की अवधि के दौरान इसका कितने दिन उपयोग किया गया; और

(घ) इस थियेटर का नाटकों, सार्वजनिक समारोहों सहित अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) और (ख) बम्बई में आकाशवाणी की इमारत में कोई सिनेमाघर नहीं है। चर्चगेट, बम्बई के आकाशवाणी प्रसारण भवन कॉम्पलेक्स में एक सभागार है। आकाशवाणी ने यह सभागार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को फिल्म प्रदर्शन के लिए सौंप दिया था। किन्तु आकाशवाणी के मल्टी-ट्रैक रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु इस सभागार को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से वापिस ले लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से 1988 में सभागार वापिस ले लेने के बाद इसका उपयोग आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख कार्यक्रमों की रिकार्डिंग के लिए किया जा रहा है। सभागार को माल्टी ट्रैक रिकार्डिंग स्टूडियो के लिए उपयुक्त बनाने हेतु नवीकरण कार्य तथा सिविल सुधार कार्य पहले से ही शुरू किये जा चुके हैं।

**स्वर्णकारों को सहायता**

10424 श्री आर० जीवरत्नम
श्री आर० एन० राकेश
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री ए० आर० अन्तुले
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लाइसेंसशुदा स्वर्णकारों की संख्या और उनकी वार्षिक सोने की मांग का कोई आंकलन किया है;

(ख) क्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, के कारण प्रभावित हुए स्वर्णकारों के पुनर्वास हेतु उन्हें ऋण देने अथवा कुछ राहत देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में सोने की मांग को पूरा करने हेतु कोई उपाय किये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) वर्ष 1989 में देश में प्रमाणित स्वर्णकारों की संख्या 3,78,416 थी। तथापि, स्वर्णकारों द्वारा अपेक्षित सोने की वार्षिक मांग का कोई मूल्यांकन संभव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सोना एक आवश्यक वस्तु नहीं है, इसलिए देश में सोने की मांग को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

**भारतीय कम्पनियों के पूंजी निर्गम में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश**

10425. **श्री दिलीप सिंह जू देव**
**श्री शान्ताराम पोटदुखे** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों के पूंजी निर्गमों में अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश में अत्यधिक कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निवेशक देश के पूंजी बाजार में भी कम्पनियों के डिबेन्चर करने के अनुचित तरीकों से असमंजस में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने और अनिवासी भारतीयों और निवासी भारतीयों द्वारा पूंजी बाजार में निवेश में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (घ) किसी कम्पनी के निर्गम के प्रति निवेशकों का प्रतिक्रिया, पूंजी बाजार की सामान्य स्थिति, कम्पनी द्वारा किए गए विपणन प्रयास उसका पिछला रिकार्ड, निवेशको की प्रत्याशाए की प्रत्याशाएं और प्रत्यक्ष ज्ञान तथा उन्हें उपलब्ध विकल्प सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। पूंजी बाजार के विकास तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और जारी रहेगी।

**श्रीकाकुलम के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन ट्रांसमीटर यूनिट की स्थापना**

10426. **डा० विश्वनाथम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान श्रीकाकुलम के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण टेलीविजन ट्रांसमीटर यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) से (ग) जबकि श्रीकाकुलम में एक अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहा है, फिर भी विशाखा-पत्तनम का उच्च शक्ति (10 कि०वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर भी ग्रामीण इलाकों सहित श्रीकाकुलम जिले के कुछ भागों को सेवा प्रदान करता है। तथापि, इस समय श्रीकाकुलम जिले में दूसरा दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धनराशि के अनुसार सरकार का यह प्रयास है कि श्रीकाकुलम जिले सहित देश के कवर न हुए बाकी भागों में दूरदर्शन का शीघ्रातिशीघ्र विस्तार किया जाए।

**पर्यटक परिवहन से भारत पर्यटन विकास निगम को घाटा**

10427. **श्री काशीराम राणा : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विचार के आधार पर कि भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन परिवहन कारोबार को चलाए रखना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं हैं, भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन बेड़े/कारोबार को बंद करने/घटाने के प्रयास पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन कारोबार में घाटा होने के कारण क्या हैं और घाटे को कम करने/घटाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) से (ग) पर्यटक गंतव्यों पर परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम की उत्प्रेरक भूमिका रही है। अत: भारत पर्यटन विकास निगम की यह नीति रही है कि ऐसे स्थानों पर जहां पर्यटकों की परिवहन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट अथवा अन्य परिवहन प्रचालक आगे आते हैं वहां से निगम हट जाए। तदनुसार, 1983 से भारत पर्यटन विकास निगम ने नौ परिवहन एकक बन्द किए हैं तथा आने वाले वर्षों में अपने बेड़े में और कमी करने की इसकी योजनाएं हैं ताकि अन्ततोगत्वा वाणिज्यिक रूप से उपादेय स्थानों पर लगभग 50 वाहनों की एक सुदृढ़ व्यवस्था (हार्ड कोर) रखी जा सके। हानि का मुख्य कारण छोटे निजी प्रचालकों/राज्य पर्यटन विकास निगमों द्वारा प्रतिस्पर्द्धात्मक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना था जिनकी मजदूरी संबंधी लागत एवं ऊपरी व्यय कम थे।

दौरों एवं यात्राओं सम्बन्धी कार्यकलापनों पर अधिक जोर देने के अलावा, मिश्रित उत्पादों में परिवर्तन तथा वृद्धि करके हानि में कमी करने और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1989-90 के लिए, अशोक ट्रैवल्स एवं टूअर्स को 53 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है।

**अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण**

10428. **श्री रघुनाथ राय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया था;

(ख) क्या जिन परियोजनाओं के लिए यह ऋण लिया गया था उनमें इसका पूरा उपयोग किया गया था; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कितनी धनराशि का ऋण प्राप्त होने की आशा है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी ऋण का अनुरोध नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लोहा और इस्पात मदों का वितरण**

10429. **श्री केशरी लाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा जनवरी मार्च/अप्रैल-जून 1990 के दौरान टी०वी०एस०/एल०टी०सी० के अतर्गत, वितरण सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए, विशेष/सामान्य किस्म में राऊण्डस/जी० पी० शीट (63/5 मि० मी०) जैसी दुर्लभ इस्पात मदें जारी की गई हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दोनों किस्मों में राऊण्ड्स/जी० पी० शीटों का प्रतिशत-वार कितना आबटन किया गया;

(ग) क्या आवंटन सम्बन्धी ये प्रतिशतता सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू की गई थी;

(घ) क्या जी०पी० शीटों, एल०एफ०क्यू० की पूर्व-पेशकश/अतिरिक्त पूर्व पेशकश मात्राओं को बाद में सामान्य किस्म में बदला गया, जबकि सामान्य किस्म की स्टेट्स "ए" की मांग लम्बित पड़ी थी; और

(ङ) यदि हां, तो पार्टियों के ब्यौरे सहित मात्रा में इस प्रकार कितना परिवर्तन किया गया और ऐसे परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) राऊण्ड्स/जी०पी० शीटों का प्रतिशत-वार आवंटन नहीं होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जनवरी-मार्च, 1989 की टी०बी०एस० के लिए जब अन्य गुणवत्ता सामग्री की पेशकश की गयी, तब इस सामग्री के लिए स्टेट्स "ए" की कोई बुकिंग लम्बित नहीं थी।

(ङ) सेल द्वारा पांच पार्टियों को एल० एफ० क्यू० शीटों के स्थान पर सामान्य किस्म की जी०पी० शीटों की लगभग 166 मीटरी टन की सप्लाई की गई जिससे टी०बी०एम० बुकिंग के लिए जुर्माना देने की सम्भावनाओं से बचा जा सके।

**शीतल पेयों का विज्ञापन व्यय और उत्पाद-मूल्य**

10430. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शीतल पेयों के निर्मात अपने उत्पादों के विज्ञापन/प्रचार पर अत्यधिक धनराशि खर्च करते हैं जिसके फलस्वरूप इनके उत्पादों का मूल्य अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बोतल पर प्रचार सम्बन्धी औसत व्यय कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इनके मूल्यों में कमी करने के लिए इनके विज्ञापन व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए है अथवा उठाने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**सेवन सी एल्स को भरण घाट क्षेत्र के बाहर अप्रभरण की अनुमति**

10431. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेवन सी एल्स" को भरणघाट क्षेत्र के बाहर शिपर्स कन्साइनीज परिसर में अप्रभरण की अनुमति दिए जाने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारत तथा विदेशों में अन्य प्रमुख पत्तनों पर यह प्रणाली अपनाई जाती है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न एफ० सी० एल्स० (पूरे आधान लोड) को अप्रभरण किये जाने से सम्बन्धित है न कि "सेवन सी एल्स" को।

सामान्यतः सम्पूर्ण आधान लोड की सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क क्षेत्र में निकासी की जाती है जो सामान्यतः भरण घाट (वार्फ) क्षेत्र में होते हैं और तब इन्हें या तो भरण घाट क्षेत्र अथवा शिपर्स/कन्साइनीज/आयातक के परिसरों में अप्रभरण (डिस्टफिंग) और सुपुर्दगी डिलीवरी) के लिये सौंप दिया जाता है। चुनिन्दा मामलों में पूरे आधान लोड की भरण घाट/सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर सीमा शुल्क के कर्मचारियों को कन्साइनीज के परिसरों में भेजकर पूर्ण आधान लोड की सीमा शुल्क जांच एवं निकासी करने के लिए विशेष अनुमति दी गई है। कर्मचारियों की कमी होने के कारण सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर सीमा शुल्क सम्बन्धी जांच और निकासी कार्य सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं किया जाता है।

यह पद्धति भारत में कोचीन को छोड़ कर बड़े पत्तनों पर अपनायी जाती है जहां आधान लोड के अप्रभरण तथा डिलीवरी सम्बन्धी कार्य केवल भरण घाट क्षेत्र पर ही किये जाते हैं। बाहर के देशों में इस सम्बन्ध में अपनायी जा रही पद्धति के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि कुछ विकसित पश्चिमी देशों में सीमा शुल्क से पूर्व निकासित पूर्ण आधान लोड अप्रभरण के लिये आयातक के परिसरों में डिलीवर किये जाते हैं तथा केवल ऐसे ही पूर्ण आधान लोड को ही ऐसी जांच के लिये पत्तनों पर अप्रभरण करने के लिये रोका जा जाता है जिन्हें सीमा शुल्क जांच हेतु चुना गया हो।

### लाख के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट

10432. श्री राधा मोहन सिंह
श्री जनार्दन यादव } क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० आर० शिवरमन समिति की रिपोर्ट, राज्य सभा की याचिका समिति की रिपोर्ट और लाख के व्यवसाय में लगे किसानों तथा कामगारों को न्यूनतम पारिश्रमिक देने तथा लाख दाने के भण्डार को बढ़ाने सम्बन्धी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त समितियों द्वारा की गई सिफारिसों को कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) सरकार को ये रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को यथा सम्भव कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायिक प्रणाली के सम्बन्ध में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन

10433. श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
श्री वाई० एस० राजेश्वरी रेड्डी
श्री टी० बशीर
: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जन सामान्य को समय पर न्याय प्रदान करने की दृष्टि से वर्तमान न्यायिक प्रणाली के ढांचे में परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग गठित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और उसके विचारार्थ विषय क्या-क्या होंगे।

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिये एक उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इसके गठन के सम्बन्ध में उपबन्ध, संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक में दिया गया है जो लोक सभा में तारीख 18-5-1990 को पुरः-स्थापित किया गया है।

इस समय किसी अन्य आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा वसूल किया गया ब्याज

10434. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक ने, इस बैंक के कुछ खाता धारियों से वसूल किए गए ब्याज के सम्बन्ध में कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से बातचीत प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (ग) किसी भी खाते में ब्याज रियायत के सम्बन्ध में इंडियन ओवरसीज बैंक ने सरकारी क्षेत्र में किसी भी उपक्रम के साथ विचार विमर्श शुरू नहीं किया है।

रि-रोलिंग उद्योग के मजदूर

10435. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऑल इंडिया रि-रोलर्स एसोसिएशन से देश में रि-रोलिंग उद्योग के मजदूरों की समस्याओं/कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा इन मजदूरों की कठिनाइयों की जांच करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) :** (क) मुख्य उत्पादकों द्वारा कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कुछ पुनर्बेलन मिलों को बन्द किये जाने की ओर एसोसिएशन द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) से (घ) मुख्य उत्पादकों से अर्द्ध तैयार इस्पात/बिलेटों की उपलब्धता कुल देशी उपलब्धता के 20% से कम है अर्थात इसमें गौण क्षेत्र भी शामिल हैं। गौण क्षेत्र में वर्धित उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, रेपलेनिशमेंट/अतिरिक्त लाइसेंसों पर भी अर्द्ध तैयार इस्पात/बिलेटों का आयात एम एम.टी सी. के माध्यम से करने की भी अनुमति दी गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

## प्राइम कोकिंग कोयले का आयात

[हिन्दी]

10436. **श्री बृज भूषण तिवारी क्या : इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में प्राइम कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है;

(ख) देश में प्राइम कोकिंग कोयले का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) इसका आयात करने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) :** (क) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान समन्वित इस्पात कारखानों द्वारा आयातित वर्ष कोककर कोयले की

अनुमानित मात्रा तथा चालू वर्ष के लिये योजनाबद्ध मात्रा नीचे दी गई है :—

(लाख टन)

| 1988-89 | 1989 90 | 1990-91 |
|---|---|---|
| 44.4 | 53.5 | 56 |

उत्कृष्ट क्वालिटी के कम राख वाले धातुकर्मीय कोककर कोयले की मांग तथा घरेलू उपलब्धता के बीच मात्रात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से अन्तरों को पाटने के सम्बन्ध में समन्वित इस्पात कारखानों के आयात का सहारा लेना पड़ता है। आयातित कोयले को उस स्वदेशी कोयले के साथ मिलाया जाता है जिसमें राख की उच्च प्रतिशतता होती है ताकि अपेक्षित राख के स्तर सहित संतोषजनक प्रौद्योगिकीय प्राचलों की प्राप्ति हो सके।

(ख) वर्ष 1888-89 के दौरान देश में उत्कृष्ठ कोककर कोयले का उत्पादन 125 लाख मी० टन रहा और वर्ष 1989-90 के दौरान इसके 113.4 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया था।

### भारत-पाकिस्तान महिला उद्यमी व्यापार

[अनुवाद]

10437. श्री आर० एन० राकेश
श्री मधिकराव होडल्या गावीत } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान महिला उद्यमी व्यापार परिषद की 30 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस बैठक में हुई चर्चा की मुख्य बातें तथा परिषद द्वारा सरकार को दिए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) से (घ) भारत और पाकिस्तान की संयुक्त व्यापार महिला परिषद की दूसरी बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में हुई थी। भागीदारों ने प्रशासन एवं व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने में दोनों देशों के बीच सहयोग देने, पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र अभिज्ञात करने के लिए तथा दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये और पाकिस्तान में अध्ययन दौरे

आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। परिषद ने सरकार को कोई सुझाव नहीं दिए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

**वुमेन्स विंग आफ नेशनल एलायन्स आफ यंग एंटरप्रिनर्स (नाए)**

1. श्रीमती नीना मल्होत्रा — अध्यक्ष
2. श्रीमती रजनी अग्रवाल — अध्यक्ष

**अन्तर्राष्ट्रीय समिति**

3. श्रीमती प्रिया खन्ना, उपाध्यक्ष
4. श्रीमती शोभा अरोड़ा, उपाध्यक्ष

**दिल्ली-सभा**

5. श्रीमती नरिन्दर पाल कौर सचिव

**पाकिस्तान एसोसिएशन आफ वुमेन एंटरप्रिनर्स (पावे)**

1. बेगम सलमा अहमद, अध्यक्ष
2. नुशरा अजमल, संयुक्त सचिव
3. फरजाना रहमान, सचिव—सूचना
4. बसरा सुल्ताना
5. शामिना सुल्ताना

**अमरीका को किए जाने वाले वस्त्र निर्यात पर सुपर 301 का प्रभाव**

10438. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को सुपर 301 के अधीन सूची में लाने के बारे में अमरीका के निर्णय का वस्त्र निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) वस्त्र निर्यात के हित में किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है।

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) संयुक्त राज्य भारत के निर्यात के खिलाफ संयुक्त राज्य ने सुपर 301 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इन परिस्थितियों में भारत को सूचीबद्ध किये जाने से भारत से संयुक्त राज्य को किये जाने वाले वस्त्र निर्यात के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**लेखन सामग्री की तस्करी**

10439. **श्रीमती बासव राजेश्वरी**
**श्री बी० एस० बासवराज** } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल, हांगकांग और सिंगापुर से लेखन सामग्री की बड़े पैमाने पर तस्करी के कारण भारतीय लेखन सामग्री उद्योग को भारी खतरा पैदा हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**रुग्ण चाय बागान**

10440. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रुग्ण चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन बागानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**स्टाक मार्केट**

10441. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने विशेषकर राज्यों की राजधानियों में और अधिक स्टाक मार्केट स्थापित किए जाने की वकालत की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिये गये तर्कों सहित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने 31 अक्तूबर, 1989 को दिये गये एक ज्ञापन में अन्य बातों के साथ साथ, नये स्टाक एक्सचेंजों के विकास का सुझाव दिया था, क्योंकि शताब्दी के अंत तक पंजीकृत कम्पनियों की संख्या तथा निवेशकों और लेन देन के आकार में संभावित वृद्धि होने के कारण वर्तमान स्टाक एक्सचेंजों पर भारी दबाव पड़ेगा।

(ग) सरकार ने उपर्युक्त सुझाव को नोट कर लिया है।

**भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के नवीनीकरण पर व्यय**

10442. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अपने होटल-भवनों के विकास परिवर्तन और नवीनीकरण पर होटल-वार निर्धारित की गई और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस लेखे पर वर्ष 1989-90 के दौरान महीने-वार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के अन्तिम महीने में व्यय की गई धनराशि असमानुपातिक रूप से बहुत अधिक थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) :** (क) अपेक्षित सूचना सलग्न—1 में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण—2 में दी गई है।

(ग) और (घ) 1989-90 के अन्तिम महीने में खाते में दर्ज किया गया व्यय 365.72 लाख रुपए रहा है जबकि समूचे वर्ष में कुल व्यय 1164 00 लाख रु० हुआ है। मार्च 90 में खाते में दर्ज 365 72 लाख रु० में ये शामिल हैं :—

(1) विभिन्न एककों द्वारा पूरे वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शुरू किये गए/पूरे किए गए कार्यों हेतु 156 लाख रु० (जिनके लिए मार्च 90 में सूचना प्राप्त हुई थी);

(2) प्रत्यक्ष पत्र को खोलने/सीमा शुल्क का मुगतान करने हेतु 50 लाख रुपए; और

(3) भावी कार्यों के लिये 50 लाख रु० मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में अदा किए जिसके सम्बन्ध में लगभग 100 लाख रु० की राशि बकाया रही जो मार्च 90 के दौरान परिवर्द्धन/परिवर्तन/नवीनीकरण कार्यों पर खर्च की गई है जो पूर्ववर्ती महीने के दौरान किए गए व्यय के साथ अनुकूल दृष्टि से तुलनीय है।

**विवरण-1**

(लाख रुपयों में)

| क्र० सं० | होटल का नाम | वर्षवार बजट/व्यय | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1987-88 बजट व्यय | 1988-89 बजट व्यय | 1989-90 बजट व्यय |
| | वर्तमान होटलों/एककों का परिवर्द्धन/परिवर्तन/सुधार | 425.00 | 782.00 | 1240.75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अशोक होटल नई दिल्ली | 122.50 | 225.45 | 359.75 |
| 2. | सम्राट होटल, नई दिल्ली | 31.60 | 13.69 | 109.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | कुतब होटल नई दिल्ली | 22.84 | 30.61 | 47.84 |
| 4. | कनिष्क होटल नई दिल्ली | 84.12 | 250.16 | 47.95 |
| 5. | जनपथ होटल नई दिल्ली | 25.33 | 26.33 | 76.67 |
| 6. | लोदी होटल नई दिल्ली | 5.16 | 0.97 | 48,28 |
| 7. | अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली | 25.99 | 31.31 | 45.22 |
| 8. | होटल अशोक बगलौर | 30.05 | 24.95 | 90.74 |
| 9. | होटल वाराणमी अशोक वाराणसी | 19.98 | 35.94 | 83 66 |
| 10. | होटल पाटलीपुत्र अशोक पटना | 1.49 | 23.62 | 71.32 |
| 11. | कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम | 13.70 | 20.32 | 72.85 |
| 12. | होटल एयर पोर्ट, कलकत्ता | 45.45 | 66.43 | 44 34 |
| 13. | होटल जम्मू अशोक जम्मू | 10.56 | 1.22 | 17.52 |
| 14. | लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर | 0 38 | — | 7.92 |
| 15. | होटल जयपुर अशोक जयपुर | 12.32 | 4.41 | 0.39 |
| 16. | होटल आगरा अशोक | — | 2.92 | — |
| 17. | होटल मदुरै अशोक मदुरै | 0.82 | 2.85 | 1 94 |
| 18. | होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर | — | 13.63 | 8.00 |
| 19. | होटल बोधगया अशोक बोधगया | — | — | 7.67 |
| 20. | ललितामहल पैलेस होटल मैसूर | 7.20 | 13.56 | 7.52 |
| 21. | भरतपुर फोरेस्ट लाज भरतपुर | — | — | 0.03 |
| 22. | होटल हसन अशोक हसन | 2.83 | 5.44 | 1.26 |
| 23. | रणजीत होटल नई दिल्ली | 24.20 | 7.55 | 8.29 |
| 24. | होटल खजुराहो अशोक | 0.40 | — | 0.74 |
| 25. | होटल महाबलीपुरम अशोक | 1.23 | — | — |
| 26. | होटल औरंगाबाद अशोक औरंगाबाद | 3.26 | 2.40 | 0.75 |
| 27 | विविध कार्य | — | 26·15* | — |
| | 425.00 | 422.55 772.00 | 829.89 | 1164.04 |
| | | | 1240.45 | |
| | कहें | 493.00 | 830.00 *कहें | |
| | | | | 1164.00 लाख |

*अनन्तिम और लेखा परीक्षाधीन।

विवरण-2

(लाखों रुपयों में)

1989-90 के दौरान माहवार व्यय

| क्र.सं. | होटल का नाम विस्तार/फेरबदल/सुधार/नवीकरण | बजट 1240.45 | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | अशोक होटल नई दिल्ली | | 16.63 | 4.10 | 6.35 | 53.28 | 21.49 | 41.06 |
| 2. | सम्राट होटल नई दिल्ली | | 7.17 | 1.59 | 1.51 | 0.12 | 11.03 | 19.55 |
| 3. | कुतब होटल, नई दिल्ली | | 1.59 | 1.96 | 5.92 | 3.59 | 3.63 | 13.00 |
| 4. | कनिष्ठ होटल नई दिल्ली | | 0.01 | 3.00 | 0.47 | 0.60 | 9.76 | 3.93 |
| 5. | जनपथ होटल नई दिल्ली | | 0.25 | .87 | 3.96 | 6.82 | 3.51 | 7.32 |
| 6. | लोदी होटल नई दिल्ली | | — | — | — | 0.11 | — | — |
| 7. | अशोक यात्री निवास नई दिल्ली | | — | — | 3.93 | — | — | 2.44 |
| 8. | होटल अशोक बंगलौर | | — | — | 0.12 | — | 7.80 | 6.84 |
| 9. | होटल वाराणसी अशोक वाराणसी | | 1.79 | 2.09 | 6.57 | 0.45 | 12.76 | 13.10 |
| 10. | होटल पाटलीपुत्र अशोक पटना | | — | — | 1.01 | 4.03 | 7.59 | 6.80 |

1989-90 के दौरान माहवार व्यय

| क्र.सं. | होटल का नाम विस्तार/फेरबदल/ सुधार/नवीकरण | बजट 1240.45 | अक्तूबर | नवम्बर | दिसम्बर | जनवरी | फरवरी | मार्च | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | अशोक होटल नई दिल्ली | | 12.50 | 16.71 | 34.86 | 23.39 | 16.28 | 103.13 | 359.75 |
| 2. | सम्राट होटल नई दिल्ली | | 8.03 | 4.94 | 11.73 | 11 86 | 4.70 | 27.27 | 109.50 |
| 3. | कुतब होटल, नई दिल्ली | | 5.31 | 0.01 | 4.12 | 4 73 | 1·34 | 2 64 | 47.84 |
| 4. | कनिष्क होटल नई दिल्ली | | 1.69 | 4.07 | 7.29 | 4·27 | 0.22 | 12.64 | 47.95 |
| 5. | जनपथ होटल नई दिल्ली | | 5.87 | 0.53 | 6.19 | 11 96 | — | 25.39 | 76.67 |
| 6. | लोदी होटल नई दिल्ली | | — | — | 0.01 | — | 28.72 | 19.43 | 48.28 |
| 7. | अशोक यात्री निवास नई दिल्ली | | 3.86 | — | 9.24 | 6.09 | — | 19.66 | 45.22 |
| 8. | होटल अशोक बंगलौर | | 25.65 | 1.26 | 10.79 | 9.36 | 0.11 | 28.81 | 90.74 |
| 9. | होटल वाराणसी अशोक वाराणसी | | 23.25 | 1.54 | 4 10 | 1.80 | 4.58 | 11.44 | 83.66 |
| 10. | होटल पाटलीपुत्र पटना | | 12.45 | 3.83 | 7.44 | 4.76 | 6.[illegible]8 | 16.83 | 71.32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट कोवलम | | 4.99 | 3.39 | 2.63 | — | — | — |
| 12. | होटल एयरपोर्ट, कलकत्ता | | — | 2.94 | 3.16 | 1.74 | 2.72 | 3.40 |
| 13. | होटल जम्मू अशोक, जम्मू | | — | — | — | — | — | — |
| 14. | लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर | | — | — | — | — | 0.21 | 0.02 |
| 15. | होटल जयपुर अशोक जयपुर | | — | 2.02 | — | — | — | — |
| 16. | होटल आगरा अशोक आगरा | | | | | | | |
| 17. | होटल मदुरै अशोक मदुरै | | — | — | — | — | — | — |
| 18. | होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर | | — | 1.30 | 0.20 | 0.19 | — | — |
| 19. | होटल बोधगया अशोक बोधगया | | 1.66 | 1.20 | 0.54 | 0.43 | — | 0.01 |

| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | कोवलम अशोक बीच रिपोर्ट कोवलम | | — | — | 9.76 | — | 2.41 | 49.67 | 72.85 |
| 12. | होटल एयरपोर्ट कलकत्ता | | 1.88 | 0.23 | 2.76 | 4.99 | 0.83 | 19.69 | 44.34 |
| 13. | होटल जम्मू अशोक, जम्मू | | 11.42 | 0.43 | 1.09 | — | — | 4.58 | .7.12 |
| 14. | लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर | | 0.01 | 0.22 | 2 31 | 0.22 | 1.46 | 3 47 | 7.92 |
| 15. | होटल जयपुर अशोक जयपुर | | — | — | — | — | 0.35 | 0.02 | 0.39 |
| 16. | होटल आगरा अशोक आगरा | | | | | | | | |
| 17. | होटल मदूरै अशोक मदूरै | | — | 0.46 | 0.01 | — | — | 1.49 | 1.94 |
| 18. | होटल कलिंग अशोक भुवनेश्वर | | 3.80 | — | 0.37 | 1.34 | 0.05 | 0.75 | 8.00 |
| 19. | होटल बोधगया अशोक बोधगया | | 0.34 | — | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 3.30 | 7.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | ललिता महल पैलेस होटल मैसूर | | — | — | — | 1.30 | — | 0.11 |
| 21. | भरतपुर वन-गृह भरतपुर | | — | — | — | — | — | — |
| 22. | होटल हसन अशोक हसन | | — | — | — | — | — | — |
| 23. | रणजीत होटल नई दिल्ली | | — | — | — | — | — | 2.36 |
| 24. | होटल खजुराहो अशोक खजुराहो | | — | 0.63 | 0.10 | — | — | — |
| 25. | होटल महाबलीपुरम अशोक | | | | | | | |
| 26. | होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद | | 0.03 | 0.39 | 0.07 | 0.05 | — | — |
| 27. | विविधा कार्य | | 1.58 | — | 0.25 | 0.91 | — | — |
| | | जोड़ :— | 36.02 | 28.48 | 36.84 | 73.62 | 79.45 | 19.94 |

| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | ललिता महल पैलेस होटल मैसूर | | — | — | 0.01 | — | — | 6.10 | 7.52 |
| 21. | भरतपुर वन-गृह भरतपुर | | — | — | — | 0 03 | — | — | 0.03 |
| 22. | होटल हसन अशोक हसन | | — | — | — | — | — | 1.28 | 1.28 |
| 23. | रणजीत होटल नई दिल्ली | | — | — | 0.08 | — | 1.09 | 4.76 | 8.29 |
| 24. | होटल खजुराहो अशोक खजुराहो | | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.74 |
| 25. | होटल महाबलीपुरम अशोक | | | | | | | | |
| 26. | होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद | | — | — | 0.01 | — | — | 0.20 | 0.75 |
| 27. | विविधा कार्य | | — | — | 0-02 | — | 2.76 | — | — |
| | | जोड़ :— | 26 27 | 34 23 | 112.29 | 84.91 | 66-27 | 365.72 | 11.64 |

### लघु उद्योगों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की योजना

10443. **श्री सुधीर गिरि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने लघु उद्योगों के समक्ष आने वाली विशिष्ट समस्याओं के समाधान में योगदान देने के लिये "रिहेबलिटेशन क्लीनिक्स" नामक एक नई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के लिये अपने यहां खोले गए कक्ष (सैल) के जरिए कितनी महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचने की आशा है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि रुग्ण लघु उद्योगों के लिये पुनर्स्थापना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप में तेजी से निपटाने के वास्ते उसने अपने अंचल कार्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी (पुनर्स्थापना) के अधीन पुनर्स्थापना कक्षों का गठन किया है। बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों वाला स्थानीय दल रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना से सम्बद्ध समस्याओं पर चर्चा करने के लिये एक निश्चित समयावधि में बैठकें करते हैं।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि छोटे पैमाने पर छोटे कारबार वित्त के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अलावा, जिनके अन्तर्गत महिला उद्यमी ऋण सुविधाएं प्राप्त करती हैं, बैंक ने "स्त्री शक्ति पैकेज" नामक एक योजना प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत ब्याज दर तथा मार्जिन में रियायत दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 1.5 लाख महिला उद्यमियों को अग्रिम मंजूर किये गये हैं और दिसम्बर 1989 की स्थिति के अनुसार 86 करोड़ रु० के कुल बकाया ऋण थे।

### यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के अंग्रेजी में छपे फार्म

[हिन्दी]

10444. **कुमारी उमा भारती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कुछ ही फार्म अंग्रेजी में हैं या अधिकांशतः अंग्रेजी में हैं; यदि हां, तो ऐसे फार्मों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे फार्मों की संख्या कितनी है जो केवल अंग्रेजी में ही भरे जाने अपेक्षित हैं; और

(ग) विभिन्न योजनाओं के लिये फार्म हिन्दी में न भरने दिए जाने के कारण क्या है और और ऐसी व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट से

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिलहाल प्रचालन सम्बन्धी कारणों से उनके अधिकांश फार्म अंग्रेजी में हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यूनिट धारकों से सम्बन्धित आंकड़े तथा लाभांशों का समय पर भुगतान आदि सम्बन्धी आंकड़े कम्प्यूटरों की सहायता से रखे जाते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट से जहां तक सम्भव हो, अधिकाधिक फार्म हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

**राजस्व अधिकारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किया जाना**

**[अनुवाद]**

10445. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व अधिकारियों द्वारा कथित रूप से परेशान किये जाने सम्बन्धी मामलों का ब्यौरा क्या है, जैसा कि 19 मार्च 1990 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में छपा है;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा परेशान किया गया है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की गई है जैसा कि रिपोर्ट में आरोप है;

(ग) यदि हां, तो परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) परेशान करने के ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करने के लिये क्या कोई एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) यह आरोप लगाया गया है कि एक अधिकारी का बम्बई से भुवनेश्वर को तथा बाद में मद्रास स्टाफ प्रशिक्षण कालेज को स्थानान्तरण किया गया था और उसकी पदोन्नति छः वर्ष से अधिक अवधि के लिये रोकी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि एक अन्य अधिकारी को बिना किसी जांच पड़ताल के सराहनीय आरोप पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करके पदोन्नति नहीं की गई थी तथा उसके मामले में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश को "सील बन्द लिफाफे" में रखा गया था।

(ख) यह सच नहीं है कि सम्बन्धित दो अधिकारियों को परेशान किया गया था। एक अधिकारी को सामान्य तौर पर 4 वर्ष की सेवा-अवधि के पूरा होने पर बम्बई से भुवनेश्वर को स्थानांतरित किया था। भुवनेश्वर से, सामान्य तौर पर लगभग 4 वर्ष की अवधि को पूरा करने पर उन्हें मद्रास स्टाफ प्रशिक्षण कालेज को स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में उन्हें सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता के तौर पर पदोन्नत किया गया था और बम्बई में तैनात कर दिया गया।

दूसरे अधिकारी के मामले में, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश को अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण सीलबन्द लिफाफे में रखा गया था जो कि एक सामान्य पद्धति है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

## मध्य प्रदेश में रतलाम में "स्टील स्क्रैप यार्ड" की स्थापना

[हिन्दी]

10446. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में एक "स्टील स्क्रैप यार्ड" की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## हरियाणा में यात्री निवासों की स्थापना

[अनुवाद]

10447. श्री कमल चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार हरियाणा में यात्री निवास की स्थापना के लिए किसी स्थान के बारे में भी विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्रयोगशाला सुविधा

10448. श्री एम० सेल्वाराजू : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में खाद्य पदार्थों की आकस्मिक जांच करने हेतु एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1989-90 के दौरान इसके कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी आवर्ती-व्यय की गई है; और

(ग) इस कार्य हेतु कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी और उन्हें सौंपे गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) से (ग) मुख्यत: गौरवशाली चोगम सम्मेलन के लिए, 1983 में अशोक होटल नई दिल्लो में एक छोटी-सी रसायन खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी जिसमें 4 कर्मचारी थे और इसने केवल 1986-87 तक कार्य किया। 4 कर्मचारियों में से 2 ने 1984 में नौकरी छोड़ दी थी और शेष 2 कर्मचारियों की सेवाओं का (अर्थात एक विश्लेषक एवं एक प्रयोगशाला सहायक) खाद्य तथा अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली स्थित होटल एकको की सहायतार्थ निगम द्वारा अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य विंग में उपयोग किया जा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोगशाला के लिए उपकरणों/मशीनों पर कोई खर्चा नहीं किया है।

**मसालों का निर्यात**

10449. **श्री डी० एम० पुट्टे गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिये मसालों के निर्यात का लक्ष्य कितना था और वास्तव में कितनी मात्रा में मसालों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों के निर्यात का लक्ष्य पूरा किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों के निर्यात मात्रावार लक्ष्य से अधिक हुए, परन्तु मूल्य की दृष्टि से इनमें गिरावट आई, इसका मुख्य कारण यह था कि इकाई मूल्य वसूली अपेक्षाकृत कम थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सहज आपूर्ति के कारण कालीमिर्च का निर्यात कम हुआ था।

(घ) किए जा रहे निर्यात संवर्धन उपायों में शामिल हैं : प्रचार अभियान, व्यापार मेलों में भाग लेना, क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन करना आदि, नकद मुआवजा सहायता और आयात प्रतिपूर्ति जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के अलावा क्वालिटी सुधार कार्यक्रम आदि।

## विवरण

### मसालों का निर्यात

| मद | वर्ष 1989-90 के लिए लक्ष्य | | वर्ष 1989-90 के दौरान मसालों के निर्यात में उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा एम टी | मूल्य लाख रु० | मात्रा एम टी | मूल्य लाख रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| काली मिर्च | 42000 | 21000 | 36601 | 15987.74 |
| इलायची (छोटी) | 750 | 1125 | 171 | 319 41 |
| इलायची (बड़ी) | 300 | 140 | 598 | 255.62 |
| मिर्च | 8000 | 1495 | 10713 | 2098.76 |
| अदरक | 5200 | 1040 | 7315 | 1271.53 |
| हल्दी | 13000 | 1300 | 16468 | 1572.42 |
| कढी पाउडर | 3000 | 500 | 3107 | 602.47 |
| बीज और अन्य मसाले | 14000 | 1400 | 24312 | 3074.36 |
| मसालों का तेल तथा तेल राल | 450 | 2000 | 601 | 2253.77 |
| कुल | 86700 | 30000 | 99886 | 27436.08 |

आंकड़े अनन्तिम हैं।

### लोहे और इस्पात की सामग्री का वितरण

10450. श्री नकुल नायक / श्री केसरी लाल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा ऐसी पार्टियों को लोहे और इस्पात की सामग्री जारी की गई है जिनके बारे में चार्टेड इंजीनियर के प्रमाण पत्र के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन के लिये कुछ तकनीकी विकास महानिदेशालय एककों की क्षमता प्रमाण पत्रों की विषय सूचियों के प्रति जाली क्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर और कुछ यूनिटों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के सम्बन्ध में तकनीकी विकास महानिदेशालय से स्वीकृति प्राप्त न करने के आधार पर विभागीय समिति/सरकारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 10 और 11, दिनांक 21 अक्तूबर, 1989/1 जनवरी, 1990 और 26 दिसम्बर, 1989 में क्रमश: विपरीत टिप्पणी की गई थी,

(ख) क्या इन पार्टियों को डी० आर०एस० ग्राहकों की पुष्टि हुई बुकिंग के आधार पर प्राप्त टी० बी० एस० बुकिंग की एवज में भी सामग्री जारी की गई है और इस प्रकार के गैर-सरकारी पार्टियों को टी०बी०एस० में कन्वर्जन एंगलों के लाइट सेक्सनों का आवंटन करते हुये ई०ई०पी०सी०

आर०ओ० धारकों को उसकी सप्लाई से इन्कार किया गया है और रक्षा प्राथमिकताओं के कार्यों में भी विलम्ब हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उन ग्राहकों के हित की रक्षा के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है जिन्हें इन अधिकारियों द्वारा धमकी दी गई है ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) सी० एस० ओ०, "सेल" नई दिल्ली मे जे० पी० सी० के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के तहत तथा मार्गवर्ती सिद्धांतों के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर लोहे और इस्पात की सामग्री सप्लाई की थी।

दिल्ली शाखाओं से सम्बद्ध/एक पार्टी से शिकायत मिलने पर "सेल" की आन्तरिक समिति से इसकी जांच करने को कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.10.1989 को पेश कर दी थी। रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई। पार्टी द्वारा प्रकाशित मुद्दे दिसम्बर, 89 और जनवरी, 90 में लेखा परीक्षा मेमों की भी विषय वस्तु थी। वितरण नीति से सम्बन्धित लेखा—परीक्षा मेमों का "सेल" द्वारा उत्तर दे दिया गया है, और चेकों को अस्वीकार किए जाने से सम्बन्धित अन्य मामले के बारे में उत्तर भेजा रहा है। चूंकि सेल विपणन संगठन मुख्यालय को इस मामले के बारे में जानकारी मिली है, अतः इन मुद्दों की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए "सेल" ने दो वरिष्ठ स्तरीय समितियां भी नियुक्त की थीं। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि :—

(i) न तो जे०पी०सी० और न ही "सेल" के आन्तरिक मार्गवर्ती सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया।

(ii) शाखा ने अनेक वर्षों से प्रचालित पद्धतियों का अनुसरण किया है।

(iii) सभी बुकिंग सामान रूप से की गई हैं।

दस्तावेज की प्रमाणिकता की जांच करना "सेल" के लिए सम्भव नहीं है। जब कभी भी शिकायतों में दस्तावेज की प्रमाणिकता के बारे में संदेह किया जाता है, तो उनको जारी करने वाले प्राधिकारियों को उन्हें सत्यापित करने के लिये भेजा जाता है।

(ख) सामग्री की सप्लाई मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया के अनुसार की गई है। उठाए गए उल्लिखित मदों की पेशकश किये जाने के समय ई० ई० पी० सी० रक्षा की कोई मांग सम्मिलित नहीं थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## कर्नाटक में "सैंक्चुअरी टाईगर सफारी" की स्थापना

10451. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में "लैकंब टाईगर सफारी" को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वह किस जगह में स्थापित की जाएगी और वहां रखे जाने वाले विभिन्न किस्म के पशुओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या "सफारी समूह" को प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र बनाने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## आयकर के छापे

[हिन्दी]

10452. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आयकर विभाग ने कितने बड़ी और सुविख्यात कम्पनियों पर छापा मारा;

(ख) छापों में जिन कम्पनियों में अनियमितताएं पाई गयीं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छापों के क्या परिणाम निकले हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान कम्पनियों के परिसरों सहित विविध परिसरों की 11,489 तलाशियां ली थीं। इन तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्ट्या 280.73 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की लेखा—बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं। जिन व्यक्तियों की तलाशी गई थी, उन व्यक्तियों ने तलाशियों के दौरान दर्ज कराए अपने बयानों में 442.80 करोड़ रुपये की लेखा—बाह्य आय की घोषणा की है।

जिन मामलों में तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्ट्या 1 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की राशि की लेखा—बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थी, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

| क्रम संख्या | नाम | अभिग्रहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में) | तलाशियों के दौरान सुपुर्द की गई छिपाई गई आय की राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री गुणवंत सी० गोपानी तथा अन्य, बम्बई। | 588.46 | 368.81 |
| 2. | खेतान ग्रुप, कलकत्ता। | 446.36 | — |
| 3. | डालमिया तथा उससे सम्बन्धित मामले दिल्ली। | 381.91 | 56.40 |
| 4. | श्री कांति लाल ए० शाह तथा अन्य, बम्बई। | 284 82 | — |
| 5. | मैसर्स गणेश प्रसाद गोंदी लाल एण्ड एसोसिएट्स, कानपुर। | 245.16 | 220.07 |
| 6. | डा० एस० पी० श्रीवास्तव तथा श्रीमती लता श्रीवास्तव, नई दिल्ली। | 217.45 | — |
| 7. | श्री सोमाभाई कंचन लाल पटेल तथा अन्य, बम्बई | 206.90 | 2.00 |
| 8. | मैसर्स रेडीफूड्स (प्रा०) लि०, बंगलौर | 200.00 | — |
| 9. | मैसर्स मल्होत्रा स्टील इण्डस्ट्रीज ग्रुप, अहमदाबाद | 200.00 | 615.00 |
| 10. | श्री वल्ली विलास एम०वी० पावड़े चेट्टियार सन्स तथा अन्य कुड्डालौर तमिलनाडु | 187.12 | 206.67 |
| 11. | मैसर्स बालकृष्ण पेन्ट्स (प्रा०) लि०, बम्बई। | 176.30 | 357.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | मैसर्स अरुण पोद्दार तथा अन्य, कलकत्ता | 173.60 | — |
| 13. | श्री लक्ष्मण दास एस० फैरवानी तथा अन्य बम्बई । | 164.09 | 197.98 |
| 14. | मैसर्स रंजीत ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद । | 154.91 | 43.06 |
| 15. | एम० मुवालका ग्रुप, कलकत्ता । | 153.87 | 4.30 |
| 16. | डा० पी० आर० मुखर्जी तथा यू० उपाध्याय ग्रुप, आसनसोल (प० बंगाल) | 132.14 | 205.65 |
| 17. | श्री गुणवंत राय एच० देसाई, बम्बई । | 124.85 | 200.00 |
| 18. | श्री ए०के० अग्रवाल, नई दिल्ली । | 123.98 | — |
| 19. | हीरा लाल अग्रवाल तथा अन्य, कानपुर | 121.34 | — |
| 20. | हरिपेदा खटुआ, कलकत्ता । | 120.04 | 100.00 |
| 21. | मैसर्स सत्य नारायण रस्तोगी तथा अन्य, हरदोई । | 119.60 | 3.00 |
| 22. | बागला एण्ड खेमका ग्रुप, नई दिल्ली | 119.27 | 5.14 |
| 23. | श्री आर० कोटेश्वर राव, हैदराबाद । | 118 69 | 24.30 |
| 24. | श्री कांतिलाल डी० शाह तथा अन्य, अहमदाबाद । | 117.43 | 200.16 |
| 25. | मैसर्स टेट्रान कमशियल लि०, कलकत्ता | 117.27 | — |
| 26. | मैसर्स भावना कंस्ट्रक्शन कम्पनी तथा अन्य, अहमदाबाद । | 111.83 | 101.95 |
| 27. | महेश्वरी ग्रुप तथा अन्य, कानपुर | 108.02 | 54.00 |
| 28. | मैसर्स फोगला ग्रुप<br>मैसर्स तुलसायन ग्रुप<br>मैसर्स गोयनका ग्रुप } कलकत्ता । | 106.53 | — |
| 29. | मैसर्स डी०पी० ज्वैलर्स तथा मैसर्स [illegible] ज्वैलर्स, अहमदाबाद । | 106 47 | 55.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 30. | जे०सी० युवराजा ग्रुप, नई दिल्ली। | 105.61 | — |
| 31. | मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल ग्रुप तथा मैसर्स एम० एस० सर्राफ ग्रुप, कानपुर। | 103.11 | 44.31 |
| 32. | मैसर्स एम० आर० भंसाली एण्ड कम्पनी, बम्बई। | 101.49 | 182.40 |

**केरल में नए होटल खोलना**

[अनुवाद]

10453. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या देश में तथा विदेशों के कुछ प्रमुख होटल उद्योगों ने केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये यहां होटल खोलने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केरल में पर्याप्त होटल सुविधाएं सुलभ कराने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने केरल सहित देश में और अधिक होटल स्थापित करने को प्रोत्साहित कर के लिए होटलों को विभिन्न प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाये हैं।

**कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क का निर्यात**

10454. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 में कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 1990-91 के लिये उक्त कम्पनी द्वारा लौह अयस्क के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० (के०आई०ओ०सी०एल०) ने लौह अयस्क का निर्यात निम्नानुसार किया : –

| मद | निर्यातित मात्रा (लाख मी० टन) | |
|---|---|---|
| | 1988-89 | 1989-90 |
| (1) लौह अयस्क सांद्रण | 30.0 | 34.0 |
| (2) लौह अयस्क पैलेट | 16.8 | 19.5 |
| कुल : | 46.8 | 53.5 |

(ख) वर्ष 1990-91 में कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० की 40 लाख मी० टन लौह अयस्क सान्द्रण तथा 25 लाख मीटरी टन लौह-सा अयस्क पैलेटों का निर्यात करने की योजना है।

(ग) कम्पनी को भारी मात्रा में सप्लाई के आर्डर पहले ही मिल चुके हैं तथा लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है।

**बैंक उद्योग सम्बन्धों में नीति**

[हिन्दी]

10455. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में निश्चित नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इससे बैंक कर्मचारी किस तरह से लाभान्वित होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**धात्विक अयस्क का उत्पादन और मूल्य**

[अनुवाद]

10456. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में किन-किन धातु अयस्कों का खनन किया गया;

(ख) उसमें से कितना धातु अयस्क देश में इस्तेमाल किया गया और कितना निर्यात किया गया और कितने मूल्य का प्रत्येक अयस्क निर्यात किया गया; और

(ग) प्रत्येक स्वदेशी धातु अयस्क का और आयातित धातुओं का पृथक-पृथक मानक बाजार मूल्य क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**कर्नाटक में केम्मना गुडी में केबल कार सुविधा**

10457. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक स्थित केम्मन्ना गुडी एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केम्मन्ना गुडी में "केबल-कार" सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी उद्यमियों की योजनाओं को भी मंजूरी देगी ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) यह राज्य सरकार का काम है कि जब भी कभी गैर-सरकारी उद्यमकर्ता ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें, वह उनकी जांच करे।

पूंजीगत वस्तुओं का आयात

10458. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1988-89 के तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया; और

(ख) यदि इसमें कोई वृद्धि हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) 1989-90* तथा 1988-89* के दौरान पूंजीगत माल का आयात निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

| | 1989-90 (जनवरी, 90 तक) | 1988-90 (जनवरी, 89 तक) |
|---|---|---|
| 6905.78 | 7081.70 | 5525.32 |

* अनन्तिम

(ख) बढ़ोत्तरी में योगदान करने वाले अनेक कारक हैं जैसे—प्रौद्योगिकी उन्नयन/निर्यात उत्पादन के लिये आयात मुद्रा, स्फीति, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव इत्यादि।

नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

10459. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल/अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कुछ स्थानों पर अपनी शाखाएं खोलने के लिये आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बैंक की शाखाएं किन-किन स्थानों पर और कब तक खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखाएं खोलने के लिये अतिरिक्त केन्द्रों के आबंटन हेतु नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अल्मोड़ा जिले में भोला तथा लोहारखेत केन्द्रों पर शाखाएं खोलने के लिये नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पहले जारी किये गये दो लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया है और अभी लम्बित है। चूंकि अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के कारण बैंक 31 मार्च, 1990 तक

इन केन्द्रों पर अपनी शाखाएं नहीं खोल सका था, अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लाइसेंसों की वैधता अवधि को सितम्बर 1990 तक बढ़ा दिया है।

## चीनी का निर्यात

10460. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुणिल चौधरन) : चालू वित्तीय वर्ष में चीनी का निर्यात संभवत निम्नानुसार होगा।

| | |
|---|---|
| यूरोपीय आर्थिक समुदाय | 10,000 मी० टन |
| संयुक्त राज्य अमरीका | 12,000 मी० टन (औसतन) |

उपर्युक्त निर्यात, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत के लिए आवंटित अधिमान्यता कोटों पर होंगे। इसके अलावा, निर्यात पड़ोसी देशों को भी कुछ मात्रा में किए जाने की संभावना है।

## मूल औषधों और तैयार दवाइयों का निर्यात

[अनुवाद]

10461. श्री के० मानवेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल औषधों तथा तैयार दवाइयों के निर्यात के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का तैयार दवाइयों के निर्यात के लिए और प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुंणिल चौधरन) : (क) बल्क औषधियों तथा विनिर्मितियो के निर्यात के लिए प्रदान की गई सुविधाओं में नकद मुआवजा सहायता सी०सी०एस० और आयात प्रतिपूर्ति भी है। नकारात्मक सूची में शामिल 27 मदों को छोड़कर औषधियों के निर्यात पर एफ०ओ०बी० मूल्य के .5% के हिसाब से नकद मुआवजा सहायता स्वीकार्य है। नकारात्मक सूची में शामिल बल्क औषधियो से विनिर्मित औषधियों सहित सभी औषधि विनिर्मितियों पर भी 15% के हिसाब से नकद मुआवजा सहायता स्वीकार्य है।

निर्यात पर बल्क औषधियों के एफ०ओ०बी० मूल्य के 15% की दर से तथा विनिर्मितियों के एफ०ओ०बी० मूल्य के 20% की दर आयात प्रतिपूर्ति स्वीकार्य है।

(ख) सी०सी०एस० प्रदान किए जाने का उद्देश्य गैर छूट प्राप्त अप्रत्यक्ष कर घटकों भाड़ा अभावों तथा निर्यात उत्पाद पर बाजार विकास लागत की उचित ढंग से क्षतिपूर्ति करना है। आयात प्रतिपूर्ति मे निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्निविष्टियों का प्रावधान है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## स्वीकृति हेतु लंबित पड़े दूरदर्शन धारावाहिक फीचर फिल्में

10462. **श्री प्रतापराव बी॰ भोसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास बड़ी संख्या में दूरदर्शन धारावाहिक और फीचर फिल्में स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन धारावाहिकों और फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक के लंबित पड़े रहने के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का लंबित पड़े दूरदर्शन धारावाहिकों और फीचर फिल्मों को स्वीकृति देने हेतु अपने वर्तमान मानदंडों में संशोधन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन धारावाहिक निर्माताओं द्वारा यदि कोई शुल्क दिया जाता है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी॰ उपेन्द्र)** : (क) से (घ) प्रायोजित दूरदर्शन धारावाहिकों के अन्तर्गत नए प्रस्ताव स्वीकार करने की स्कीम 7 मई, 986 से निलंबित कर दी गई थी। इस तारीख तक प्राप्त सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है और इनको अन्तिम रूप दे दिया गया है। जहां तक बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाली फीचर फिल्मों के प्रसारण के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इनकी जांच करना एक सतत प्रक्रिया है। इस समय फीचर फिल्मों के प्रसारण के प्रस्तावों की छानबीन चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार किसी भी आवेदक को उसके प्रस्ताव पर विचार किए जाने के लिए लिए किसी प्रकार का प्रक्रिया शुल्क नहीं देना पड़ता है।

## बचत दर

10463. **श्री एस॰ सी॰ वर्मा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जापान और दूसरे विकसित देशों की तुलना में वर्ष 1980 के बाद से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में बचत दर कितनी हैं; और

(ख) सरकार रहन-सहन पर व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, योजनाओं के वास्ते अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बचत दर बढ़ाने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) अपेक्षित आंकड़े, यथा उपलब्ध, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अर्थव्यवस्था में बचत की दर अनेक उत्पादनों से प्रभावित होती है जैसे ब्याज की दर, वास्तविक उत्पादन में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में आय का वितरण। सरकार, बचत के लिए प्रोत्साहन देकर और अनावश्यक उपभोग को हतोत्साहित करके बचतों की दर बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न कर रही है और इस प्रकार योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटा रही है।

विवरण

**सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सकल घरेलू बचतें**

| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत* | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| जापान@ | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | उ.न. |
| संयुक्त राज्य अमरीका@ | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | उ.न. |
| यू०के०@ | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | उ.न. |
| पश्चिम जर्मनी@ | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | उ.न. |
| फ्रांस@ | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | उ.न. |
| इटली@ | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 23 | 21 | उ.न. |

*स्रोत : राष्ट्रीय लेखा आंकड़े, 1990 अनुमान पहली अप्रैल से शुरू होने वाले राजकोषीय वर्षों से सम्बन्धित हैं।

@स्रोत : विश्व बैंक की वर्ष 1982 से 1989 तक के विभिन्न वर्षों के सम्बन्ध में विश्व विकास रिपोर्टें।

## भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा अन्य शहरों में भी प्रगति मैदान जैसी सुविधाएं

10464. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का अन्य शहरों में भी प्रगति मैदान, नई दिल्ली में उपलब्ध सुविधाओं जैसी व्यापार मेला सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो ये सुविधाएं और किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का उद्देश्य न केवल दिल्ली में, वरन अन्य प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों में मेले आयोजित करना है । हालांकि, देश में बम्बई जैसे महानगरों में प्रदर्शनी सम्बन्धी कुछ अवस्थापना सुविधायें विकसित करने को कुछ प्रस्ताव हैं लेकिन कोई निश्चित परियोजना तैयार नहीं हुई है ।

(ग) से (ङ) वर्ष 1987 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में एक प्रदर्शनी काम्पलैक्स बनाने की सम्भावना पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए टी०एफ०ए०आई० से अनुरोध किया था । टी० एफ०ए०आई० ने ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की शर्तों से उत्तर प्रदेश सरकार को अवगत कराया । लेकिन, उत्तर प्रदेश सरकार से कोई जबाव न मिलने की वजह से उस प्रस्ताव पर आगे कोई प्रगति नहीं हुई है ।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यालयों में विशेष कार्य भत्ता

10465. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यत बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ते का भुगतान करने के लिए 14 दिसम्बर, 1983 के भारत सरकार के आदेश के उपबन्धों के अनुसार, आवश्यक पूर्व प्रभावी सरकारी आदेश इस बीच जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कौन-कौन से कार्यालय हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये आदेश कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) भारत सरकार के 14.12.83 के आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारियों को विशेष (ड्यूटी) भत्ता, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों को वहां सेवा करने हेतु आकर्षित करने तथा वहां पर उनकी सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आदेश उन सभी केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व है तथा जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तैनात हैं। इसलिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य कर रहे तथा अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से कोई आदेश जारी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपवादिक किस्म के बहुत ही कम मामलों में अखिल भारतीय स्थानान्तरण दायित्व की शर्त से लोक हित में छूट प्रदान की गई थी।

**यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा किराये पर लिये गये रिहायशी फ्लैट**

10466. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी फ्लैट पट्टे पर लिए हैं और यदि हां, तो आज तक कितने फ्लैट पट्टे पर लिये गये हैं;

(ख) क्या बैंक ने पुराने पट्टानामे समाप्त होने पर नए पट्टानामे करा लिए हैं;

(ग) वर्ष 1989 में और 1990 में (अब तक) कितने मकानमालिकों ने नये पट्टानामों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या मकानमालिकों द्वारा नए पट्टानामों को स्वीकार न किये जाने की स्थिति में तथा उनके द्वारा फ्लैटों को खाली करने का अनुरोध किये जाने पर बैंक ने उनके फ्लैटों को खाली कर दिया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस बारे में यदि कोई कार्रवाई की जानी है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उन्होंने अब तक अपने कर्मचारियों के लिये दिल्ली में पट्टे पर 115 फ्लैट लिए हैं।

(ग) बैंक के पट्टा विलेखों को उनकी समाप्ति पर नवीकरण कराने का प्रयास रहा है।

(ग) बैंक के अनुसार 1989 और 1990 के दौरान (अब तक) 33 मामलों में मालिकों ने पट्टा अनुबन्धों के नवीकरण मंजूर करने से मना कर दिया है।

(घ) से (च) बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने मालिकों की वास्तविक दिक्कतों को देखते

हुए अब तक 30 फ्लैटों को खाली कर दिया है। शेष मामलों में बैंक कोई अन्य व्यवस्था नहीं कर सका है तथा खाली करने के वास्ते मालिकों की मांग की सच्चाई के बारे में भी संदेह नहीं है।

पट्टे/किराये आधार पर भवनों का अधिग्रहण, पट्टा विलेखों का नवीकरण तथा भवनों को खाली करना बैंकों के रोजमर्रा के कार्य हैं और बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय वाणिज्यिक महत्वों को देखते हुए स्वयं लिये जाते हैं। बैंकों के ऐसे रोजाना के कार्यों में सरकार दखल नहीं देती है।

## हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को सीमा शुल्क में रियायत

10467. **श्री पी०जी० नारायणन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चिरिंग कम्पनी लिमिटेड को उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, परिवर्तन लागत और सरकार द्वारा इस कम्पनी में किये गये निवेश को ध्यान में रखने के बाद ही सभी फोटो सुग्राहित वस्तुओं के समन्वित निर्माण हेतु विस्तार कार्यक्रम के लिए लगभग वर्ष 1982 के बाद सीमा शुल्क में रियायत दी गई थी;

(ख) क्या गैर-सरकारी एककों को भी सीमा-शुल्क में रियायत देने में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री** : (क) संभवत: इस प्रश्न में पूछे गये विषय का सम्बन्ध फोटो-सुग्रहित-माल के आयात पर सीमा शुल्क की रिआयती दरों से है। प्रारम्भ में आयात शुल्क में रियायत वर्ष 1976 के आस-पास रंगीन जम्बों फिल्मों को रंगीन चल चित्र फिल्मों हेतु उपयोगी बनाने के लिए आयात करने के लिए दी गई थी। अन्य फोटो-सुग्राहित माल के जम्बो रोलों के आयात के लिए आयात शुल्क की रियायतों को बाद में विभिन्न रियायती दरों पर भी लागू किया गया था। संगत अधिसूचनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध शुल्क सम्बन्धी ये रियायतें हिस्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तक ही सीमित नहीं हैं तथा इनका लाभ कोई भी आयातक उठा सकता है बशर्ते कि वह संगत अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

(ख) और (ग) उपयुक्त (क) में दिये गये उत्तर को मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

## दिल्ली वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

10468. **श्री एम०एस० पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वित्त निगम ने वर्ष 1989-90 के दौरान ऋण मंजूर करने तथा वितरित अनेक का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान नए उद्योग स्थापित करने के लिए कितनी योजनाएं मंजूर की गईं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) दिल्ली वित्त निगम द्वारा सूचित किया गया है कि उसने वर्ष 1989-90 के दौरान ऋण मंजरी के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तथा नए उद्योग लगाने के लिए कुल 561 स्कीमों को मंजूरी दी गई। परन्तु, उक्त अवधि के दौरान संवितरण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि पहले छः महीनों की अवधि के दौरान के ऋण आवेदनों की मंजूरी में देरी हुई जिसने ऋण संवितरण पर विपरीत प्रभाव डाला। इसके अलावा कुछ मामलों में ऋण के संवितरण में संवितरण विभाग में भी देरी हुई। निगम ने एक अधिकारी के विरुद्ध पहले ही विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है तथा बताया गया है कि वह कुछ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए भी विचार कर रहा है।

## दूरदर्शन द्वारा 1990 में आयोजित "इन्टरनेशनल टी०वी० प्रोड्यूसर्स मार्किट" में भाग लेना

19469. **श्री प्रकाश वी पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने 20 से 25 अप्रैल तक के बीच केनस में आयोजित "इन्टरनेशनल टी०वी० प्रोड्यूसर्स मार्किट, 1990" में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो वहां किन-किन भारतीय फिल्मों को दर्शाया गया;

(ग) इससे दूरदर्शन को क्या लाभ हुआ; और

(घ) क्या वहां हमारी फिल्मों की खरीद के लिए कोई पेशकश की गई थीं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) यह समारोह, टी०वी० कार्यक्रमों के खरीददारों तथा विक्रेताओं का मिलन स्थल है। तदनुसार, दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रमों की बिक्री बढ़ाने के लिए इस समारोह में भाग लिया। कुल मिलाकर, दूरदर्शन द्वारा स्वयं बनाई गई तथा बाहरी निर्देशकों से बनवाई गई 22 टली-फिल्में तथा पूरी लम्बाई की फीचर फिल्में समारोह स्थल पर "दूरदर्शन भारत" स्टाल पर प्रदर्शित की गई थी।

(ग) और (घ) "दासी" तथा "मारात्तम" नामक दो फिल्मों सहित दूरदर्शन कार्यक्रम सप्लाई करने के लिए, दूरदर्शन द्वारा कान में ही 26,000 अमरीकी डालर के मूल्य के संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए। 25,000 अमरीकी डालर मूल्य के कार्यक्रम सप्लाई करने के अतिरिक्त

*आर्डर प्राप्त हुए हैं। समारोह में दूरदर्शन दल के विपणन प्रयासों का कई विदेशी खरीददारों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक पूछताछ बराबर होती रहती है।*

**प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी और हिन्दी की पत्रिकाओं की बिक्री**

[हिन्दी]

10470. **श्री आर० एस० प्रसाद :** क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी और हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं, आदि में से प्रत्येक की इस समय कितनी बिक्री होती है और इनमें से प्रत्येक को कब से प्रकाशित किया जा रहा है;

(ख) उन पत्र-पत्रिकाओं आदि के नाम क्या-क्या हैं जिनका प्रकाशन पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनका पुन: प्रकाशन और बिक्री करने के लिए यदि कोई प्रबंध किये जाने हैं तो वे क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्यमन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) :** (क) विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) "इण्डियन एण्ड फारिन रिव्यू" पत्रिका पहले विदेश मन्त्रालय की ओर से प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती थी। जून, 88 से यह पत्रिका "इण्डिया पर्सपेक्टिव" के नए नाम से, विदेश मन्त्रालय द्वारा निकाली जा रही है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण**

| क्रम सं० | पत्रिका का नाम | भाषा | अवधि | बिक्री (लगभग) | शुरू होन की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बाल भारती | हिन्दी | मासिक | 23,300 प्रतियां | 19-8 |
| 2. | आजकल | हिन्दी | मासिक | 7,300 प्रतियां | 1945 |
| 3. | योजना | हिन्दी | पाक्षिक | 16,450 प्रतियां | 1957 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | कुरुक्षेत्र | हिन्दी | मासिक | 6,900 प्रतियां | 1955 |
| 5. | रोजगार समाचार | हिन्दी | साप्ताहिक | 71,600 प्रतियां | 1976 |
| 6. | योजना | अंग्रेजी | पाक्षिक | 24,750 प्रतियां | 1957 |
| 7. | कुरुक्षेत्र | अंग्रेजी | मासिक | 9,425 प्रतियां | 1952 |
| 8. | एम्प्लायमेन्ट न्यूज | अंग्रेजी | साप्ताहिक | 3,16,400–तथैव– | 1976 |

## निर्वाचन प्रणाली में सुधार सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

*10471. श्री शिवशरण वर्मा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें, संलग्न विवरण में दी गई हैं। इस समय सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

## विवरण

### निर्वाचन सुधार विषयक समिति की मुख्य सिफारिशें

1. निर्वाचन आयोग, तीन सदस्यीय निकाय होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और विपक्ष के नेता के परामर्श से की जायेगी। अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से की जायेगी।
2. 1981 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन/अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रमण।
3. बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र की प्रयोग प्रारम्भ करना।
4. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने की अनुज्ञा न दी जाए।

5. गैर संजीदा अभ्यर्थियों को हतोत्साहित किया जाए। निर्दलीय अभ्यर्थियों के प्रतिभूति निक्षेप की रकम बढ़ा दी जाए। डाले गए मतों में से 1/4 से कम मत प्राप्त करने पर प्रतिभूति निक्षेप जब्त कर लिय जाएं।

6. आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण उपबन्धों को कानूनी आधार प्रदान किया जाए।

7. सभी भावी निर्वाचनों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाए।

8. बूथ पर कब्जा करने, गड़बड़ी करने और मतदाताओं को अभित्रस्त करने की बुराई को समाप्त करने के लिए अनेक विधायी उपाय किए जाएं।

9. प्रारम्भ में, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को सरकार द्वारा वस्तु रूप में एक सीमा तक सहायता उपलब्ध की जाये।

10. मतदान के दिन मोटरयान चलाने, अस्त्रायुध लेकर चलने, शराब बेचने और उसके वितरण को निर्वाचन अपराध माना जाए।

11. दल परिवर्तन विरोधी विधि के अधीन निरर्हता को, स्वच्छया त्यागपत्र देने और विश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक या राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव के मामले में दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने या उससे प्रविरत रहने तक ही, सीमित रखा जाए। निर्वाचन आयोग से राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति या राज्यपाल निरर्हता के बारे में विनिश्चय करें।

12. वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रश्न पर और अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये।

13. निर्वाचन के सभी विषयों का अध्ययन करने के लिये संसद की एक स्थायी समिति हो।

### अमरीका के सहयोग वाली कम्पनियां

[अनुवाद]

10472. श्री ई.एस.एम. पाकीर मोहम्मद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में अमरीका के सहयोग के कार्यरत कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अमरीकी कम्पनियों की उनमें कुल कितनी भागीदारी है;

(ग) क्या सरकार को व्यापार सीमा में वृद्धि करने के लिए इन कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन आवेदन पत्रों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) 1981 से 1989 के दौरान भारतीय तथा अमरीकी कम्पनियों के बीच 1376 विदेशी सहयोग अनुमोदित किए गए थे जिनमें कुल 28,202.48 लाख रुपये का निवेश शामिल है।

(ग) और (घ) केवल 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी हितवाली कम्पनियों पर ही व्यापार सीमा लागू की गई है। सरकार को इस प्रकार की कम्पनियों से उच्च व्यापार सीमाओं की अनुमति हेतु समय-समय पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहे हैं। सुसंगत कारकों, उदाहरण के लिए, अनुषंगीकरण, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विनिर्मित उत्पादों का विपणन, और निर्यात आदि, को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर उच्च व्यापार सीमा की अनुमति दी जाती है।

**तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना**

10473. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गये;

(ख) क्या सरकार का विचार 1990-91 के दौरान इस राज्य में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान तमिलनाडु में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान तमिलनाडु में कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

**पंचमहल जिले में पावागढ़ पर्वत पर एक उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना**

10474. **श्री शंकर सिंह वघेला**
**श्री हरिन पाठक**
**श्री एम० के० रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पंचमहल जिले में पावागढ़ पर्वत पर उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था क्योंकि विद्यमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर का प्रसारण निकटवर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है जिससे इस क्षेत्र के आदिवासी लोग लाभान्वित हो सकें ?

तैय

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) और (ख) हाल में गुजरात सरकार से पंचमहल जिले सहित गुजरात राज्य में अतिरिक्त दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। जिले में गोधरा तथा दोहाद में पहले से कार्यरत दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के अलावा, पंचमहल जिले के कुछ भागों को अहमदाबाद के उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर से भी दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है। यद्यपि, सरकार का यह प्रयास है कि पंचमहल जिले सहित देश के शेष कवर न हुए भागों में यथाशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार किया जाए परन्तु यह काम इस प्रयोजन के लिए साधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जा सकता है।

**लोगों को कानून संबंधी जानकारी देने के लिए किए गए प्रयास**

10475. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान जनसाधारण को विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी देने और लोगों को मुकदमेबाजी न करने और विवादों का निपटारा आपसी सुलह से करने की उपयोगिता समझाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : विधिक साक्षरता को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा अंगीकृत पद्धतिआत्मक विधिक सहायता कार्यक्रमों में से एक है। समिति, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग एक त्रैमासिक विधिक सहायता समाचार पत्र प्रकाशित कर रही है और समाज के कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करने संबंधी अपने विचारों और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध करा रही है। विधिक साक्षरता कार्यक्रम के अधीन समिति, निर्धनों से सम्बन्धित विभिन्न विधियों पर, पुस्तकाएं, पेम्फलेट, पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करने के लिए, कुछ शर्तों पर राज्य विधिक सेवा और सलाह बोर्डों, स्वयंसेवी सामाजिक कार्य समूहों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे जन प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है; विधिक सहायता की उपलब्धता के बारे में वृत्त चित्रों और विडियो फिल्मों का निर्माण और सिनेमा स्लाइडों का प्रदर्शन भी विधिक साक्षरता कार्यक्रम का ही एक अंग है।

राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, विधिक सहायता शिविर और विधिक साक्षरता शिविर/कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। दिल्ली में विवाह परामर्श केन्द्र, गुजरात में शिकायत सैल और चार स्थायी सुलह समितियां और तमिलनाडु राज्य में ऐसी ही अनेक समितियां कार्य कर रही हैं। जनता में विधिक साक्षरता का प्रसार करने और निवारक मुकदमेबाजी तथा सुलह द्वारा निपटारे के विषय में जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, व्याख्यान, गोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और परा-विधिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

**विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पिछले एक वर्ष में 40 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। आयोजित 248 विधिक**

सहायता शिविरों से, 13,772 लोगों को लाभ हुआ। 487 लोक अदालतों में, 1,15,066 मामले निपटाए गए और 21,24, 50, 086 रु० का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया।

### उड़ीसा सरकार की दूसरे चैनल की मांग

10476. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु टेलीविजन के दूसरे चैनल की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के अन्तर्गत, धनराशि उपलब्ध होने पर भुवनेश्वर (कटक) सहित 16 और शहरों में दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

### गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के दूसरे चैनल पर कार्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव

10477. श्री ए० आर० अन्तुले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन और आकाशवाणी के दूसरे चैनल पर कुछ कार्यक्रमों को पूर्णत: गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### सीमा-शुल्क भवन की फुटकर दुकान में बिक्री के लिए रखे गये मदों का प्रारम्भिक शेष

10478. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या वित्त मन्त्री जब्त की गई साड़ियों की बिक्री के बारे में 30 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2947 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सीमा-शुल्क भवन की फुटकर दुकान में बिक्री के लिए रखे गये मदों

का प्रारम्भिक शेष प्रतिदिन दर्शाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) सीमा शुल्क गृहों की सभी फुटकर दुकानों में बिक्री के लिए रखी गयी मदों का प्रतिदिन आदि शेष दर्शाये जाने को संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

### बच्चों के लिए हिन्दी में कार्यक्रम

[हिन्दी]

10479. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर मिकि माउस जैसे बच्चों के कार्यक्रम को हिन्दी में भी प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) से (ग) दूरदर्शन द्वारा इस समय ऐसे कार्यक्रम मुख्यतः अन्तरराष्ट्रीय स्रोतों से खरीदे जाते हैं क्योंकि देश में इनके निर्माण के लिए अपेक्षित सुविधायें तथा आवश्यक विशिष्ट विशेषता की कमी है। फिर भी दूरदर्शन का देश में ही इन कार्यक्रमों के निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास है।

### पर्यटन विकास के लिये राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाई गई योजना

[अनुवाद]

10480. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ऐतिहासिक स्मारकों को सुसज्जित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य पर्यटन विकास निगमों के केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता और स्वीकृति के लिये ऐसी योजनायें भेजी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) से (घ) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन महत्व के स्थानों पर प्रकाश पुंज व्यवस्था करने सहित देश में पर्यटन आधारिक-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता देने पर विचार करते समय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुणावगुणों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।

### इलैक्ट्रानिकी प्रचार माध्यम को स्वायत्तता देने संबंधी विचार-गोष्ठी

[हिन्दी]

1048l. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह में हैदराबाद में इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यम को स्वायत्तता देने के संबंध में एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य टिप्पणियां और सुझाव क्या थे; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) दिनांक 16 जनवरी, 1990 को हैदराबाद में प्रकाशन इन्स्टीट्यूट डेवलपमेंट स्टडीज और इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड कामर्स द्वारा प्रसार भारती विधेयक पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी।

(ख) इस विचार गोष्ठी के निष्कर्ष और सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती विधेयक में, जो इस सदन में विचारार्थ रखा गया है, संस्थानों अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों पर विचार किया गया है।

### विवरण

दिनांक 16 जनवरी, 1990 को हैदराबाद में प्रकाशन इंस्टिट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज और इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कामर्स द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी के निष्कर्षों और सिफारिशों का सार

विचार गोष्ठी में इलैक्ट्रानिक माध्यमों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार की पहल का स्वागत किया गया और जनता के सम्मुख आम बहस के लिए जिस प्रकार विधेयक के प्रारूप को रखा गया, उसकी सराहना की गई ताकि उसमें सुधार करने के लिए सुझाव दिए जा सकें। विचार गोष्ठी में निगम की स्थापना किए जाने के पीछे निहित भावना और विधेयक से सबद्ध कारणों पर संतोष व्यक्त किया गया। विचार गोष्ठी में विभिन्न सुझाव दिए गए जैसे :—उच्च नीति निर्माण

और नियमित परिचालन प्रबन्ध कार्यों के बीच में करना आवश्यक है; नीति निर्माण के उच्चतम स्तर पर शासक बोर्ड के स्थान पर न्यासी बोर्ड होना चाहिए; और नियमित परिचालन प्रबन्ध के लिए अलग प्रबन्ध बोर्ड होना चाहिए; अध्यक्ष और अन्य शासकों के नामों की अनुशंसा करने के लिए गठित समिति में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, विपक्ष का नेता और लोकपाल हों, जब कि प्रेस परिषद के अध्यक्ष को समिति का संयोजक मनोनीत किया जाए; अध्यक्ष और अन्य न्यालयों को देय परिलब्धियों/भत्तों का कानून में उल्लेख किया जाए; दिवालिएपन, नियम के अलावा साथ-साथ अदत्त नियुक्ति शारीरिक और मानसिक अशक्तता के आधार पर अध्यक्ष और शासकों को हटाने पर विचार किया जाना चाहिए; उद्देश्यों की मौजूदा लम्बी सूची के बजाय यह व्यवस्था करना पर्याप्त होगा कि जनता को सूचना देने उन्हें शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने में निगम भारत के संविधान में निहित मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना; गतिविधियों का मौजूदा स्तर पर बनाए रखने और विविध भाषाओं और संस्कृतियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्त व्यवस्था की गारंटी दी जानी चाहिए। क्षेत्रीय न्यासी बोर्ड भी स्थापित किए जाए।

### पंजाब में ऋण-जमा अनुपात

[अनुवाद]

10482. बाबा सुच्चा सिंह
स० अतिन्दर पाल सिंह } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कुल कितनी राशि जमा थी;

(ख) इस अवधि के दौरान इन शाखाओं द्वारा कितनी धनराशि के ऋण प्रदान किये गये;

(ग) क्या पंजाब में ऋण-जमा अनुपात तत्सम्बन्धी अखिल भारतीय औसत से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार का इस राज्य में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में पंजाब में कुल बैंक जमाराशियां और कुल बैंक ऋण निम्नानुसार हैं :—

(रुपए करोड़ में)

| | जमाराशि | ऋण |
|---|---|---|
| दिसम्बर 1987 | 6238 | 2695 |
| दिसम्बर 1988 | 7540 | 3094 |
| दिसम्बर 1989 | 8226 | 3660 |

(ग) से (ङ) पंजाब में ऋण जमा अनुपात 44.5 प्रतिशत है और यह अखिल भारत के 62.84 प्रतिशत औसत ऋण जमा अनुपात से कम है। तथापि, किसी खास क्षेत्र के आर्थिक विकास का अनुमान लगाने के लिए ऋण जमा अनुपात ही एकमात्र संकेतक नहीं है। पंजाब में अपेक्षाकृत कम ऋण जमा अनुपात का कारण कृषि क्षेत्र का बाहुल्य, राज्य में सुदृढ़ सहकारी समितियां और उच्च बैंक जमा राशियां हैं। पंजाब में व्यापार तथा उद्योग को उनकी दिक्कतों से बचाने के लिए सहायता करने के उद्देश्य से, उन्हें ऋण सुविधाओं में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की रियायतें/छूट देने के निर्देश बैंकों को दिये गये हैं।

## अनिवासी भारतीयों के निर्यातोन्मुख एकक

10483. श्री वामनराव महाडीक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने समान भागीदारी के साथ विभिन्न निर्यातोन्मुख आयात विकल्प औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये आवेदन किया था ?

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिये क्या मानदण्ड रखे गये अथवा क्या सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तियों को बैंक जमाराशियों में अनिवासी भारतीय निवेश की खुली छूट है। अधिकांश मामलों में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शत-प्रतिशत निवेश करने की अनुमति है। प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश के स्तरों की अनुमति सामान्यत: कार्यकलापों की प्राथमिकता और मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करती है।

पोर्टफोलियो निवेशों के लिए 5 प्रतिशत तक की सीमा है। औद्योगिक उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेश. 74 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत योजनाओं सहित, अनेक योजनाओं में अनुमत्य है।

(ग) 31-1-90 की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए कुल निवेशों की राशि संचयी रूप से लगभग 19,000 करोड़ रुपए थी जिसमें बैंक जमा-राशियां भी शामिल हैं।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

[हिन्दी]

10484. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में रिक्त पड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की वर्गवार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1987, 1988 और 1989 के अंत तक के अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की भर्ती का पिछला बकाया संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-

**गत तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के ब्यौरे**

(आंकड़े अनन्तिम)

| क्र० सं० | बैंक का नाम | 1987 अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ कर्मचारी | | 1988 अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.ज. | अ.ज.जा. | अ.जा. | अ.ज.जा. | अ,जा. | अ.ज.जा. | अ.जा. | अ.ज.जा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | सैंट्रल बैंक आफ इंडिया | 8 | 8 | 58 | 157 | 20 | 76 | 8 | 8 | 39 | 113 | 18 | 61 |
| 2. | बैंक आफ इंडिया | 11 | 8 | 101 | 301 | 109 | 189 | 18 | 9 | 148 | 132 | 90 | 156 |
| 3. | पंजाब नेशनल बैंक | — | 37 | 216 | 245 | 76 | 72 | 12 | 32 | 195 | 164 | 87 | 63 |
| 4. | बैंक आफ बड़ोदा | 152 | 141 | 193 | 169 | 21 | 55 | 154 | 134 | 147 | 131 | 13 | 35 |
| 5. | यूको बैंक | 37 | 28 | 122 | 75 | 46 | 50 | 37 | 28 | 102 | 79 | 46 | 43 |
| 6. | केनरा बैंक | 79 | 44 | 338 | 224 | 134 | 100 | 56 | 21 | 303 | 163 | 65 | 67 |
| 7. | यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 18 | 15 | 149 | 101 | 57 | 65 | 20 | 16 | 130 | 73 | 65 | 48 |

(आंकड़े अनन्तिम)

| क्र० सं० | बैंक का नाम | 1989 अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ कर्मचारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अ. जा. | अ, ज.जा. | अ. जा. | अ. ज.जा. | अ. जा. | अ.ज.जा |
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | Not available | | | | | |
| 2. | बैंक आफ इंडिया | 10 | 10 | 77 | 98 | 34 | 88 |
| 3. | पंजाब नेशनल बैंक | 6 | 6 | 144 | 65 | 58 | 34 |
| 4. | बैंक आफ बड़ोदा | 138 | 22 | 59 | 69 | 12 | 9 |
| 5. | यूको बैंक | — | — | 76 | 88 | 20 | 43 |
| 6. | केनरा बैंक | 24 | 10 | 98 | 62 | 17 | 11 |
| 7. | यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 14 | 10 | 56 | 37 | 11 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | देना बैंक | 47 | 31 | 12 | 202 | 12 | 37 | 32 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 |
| 9. | सिंडिकेट बैंक | 2 | 5 | 62 | 111 | 24 | 38 | 3 | 5 | 66 | 63 | 31 | 43 |
| 10. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | — | — | 1 | 6 | — | 1 | — | 4 | 6 | 7 | — | 6 |
| 11. | इलाहाबाद बैंक | 40 | 41 | 107 | 98 | 37 | 67 | 26 | 45 | 110 | 80 | 24 | 60 |
| 12. | इंडियन बैंक | 9 | 15 | 141 | 95 | 15 | 31 | 12 | 15 | 34 | 65 | 17 | 26 |
| 13. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 3 | 1 | 11 | 15 | — | 10 | — | — | — | 8 | — | 21 |
| 14. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 1 | 2 | 78 | 40 | 20 | 27 | 2 | 6 | 61 | 25 | 23 | 20 |
| 15. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 2 | — | 15 | 31 | 60 | 37 | 2 | — | 19 | 28 | 52 | 33 |
| 16. | कारपोरेशन बैंक | 24 | 16 | 52 | 58 | 1 | 14 | 10 | 5 | 56 | 39 | 4 | 16 |
| 17. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 6 | 6 | 6 | 28 | 7 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 18. | विजय बैंक | 6 | 3 | 55 | 46 | 21 | 21 | — | 1 | 36 | 31 | 20 | 15 |
| 19. | न्यू बैंक आफ इंडिया | 10 | 5 | 47 | 30 | 27 | 24 | 7 | 1 | 40 | 18 | 26 | 18 |
| 20. | आंध्र बैंक | 8 | 2 | 17 | 13 | — | — | 6 | 2 | 2 | 3 | — | 1 |

| 1 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. देना बैंक | 22 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 |
| 9. सिंडिकेट बैंक | 2 | 1 | 33 | 24 | 7 | 18 |
| 10. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 5 | 9 | 34 | 21 | 17 | 27 |
| 11. इलाहाबाद बैंक | 17 | 7 | 37 | 39 | 8 | 11 |
| 12. इंडियन बैंक | 6 | 4 | — | — | 1 | 4 |
| 13. बैंक आफ महाराष्ट्र | 1 | — | 7 | 22 | 2 | 21 |
| 14. इंडियन ओवरसीज बैंक | — | — | 21 | 8 | 9 | 4 |
| 15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 1 | — | 12 | 14 | — | — |
| 16. कारपोरेशन बैंक | 6 | 4 | 25 | 17 | 3 | 6 |
| 17. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 2 | — | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 18. विजय बैंक | — | 2 | 13 | 12 | 2 | 6 |
| 19. न्यू बैंक आफ इंडिया | 1 | — | 10 | 10 | 1 | — |
| 20. आंध्रा बैंक | — | 1 | 15 | 8 | 2 | 4 |

**उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन**

10485. **डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदत्त धनराशि का 30 प्रतिशत भाग अनुदान और 60 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये ऋण राशियां विकास कार्यों पर खर्च नहीं की जाती हैं बल्कि इनका उपयोग ऋण और ब्याज की अदायगी हेतु किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) उत्तर प्रदेश की राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता 30% अनुदान के रूप में और 70% ऋण के रूप में दी जाती है और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता 90% अनुदान के रूप में तथा 10% ऋण के रूप में दी जाती है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश को राज्य योजना के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता राज्य योजना स्कीमों के लिए उपयोग में लाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अलौह धातुओं के मामले में आत्मनिर्भरता**

[अनुवाद]

10486. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अलौह धातुओं का वर्षवार कितना आयात किया गया और यह आयात इनकी कुल मांग का कितने प्रतिशत था;

(ख) अलौह धातुओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार अलौह धातुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के प्रयोजन से एक नई नीति तैयार करने का और देश को इन धातुओं के अग्रणी निर्यातकों की श्रेणी में शामिल करने का है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य अलौह धातुओं की कुल मांग और आयात मात्रा इस प्रकार है :—

| वर्ष | मांग (टन) | एमएमटीसी की मार्फत आयात (टनों में) | मांग पर आयात का प्रतिशत(%) |
|---|---|---|---|
| **एल्यूमिनियम** | | | |
| 1987-88 | 3,45,000 | 57,254 | 17% |
| 1988-89 | 3,70,000 | शून्य | — |
| 1989-90 | 4,00,000 | शून्य | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| तांबा | | | |
| 1987-88 | 1,28,000 | 88.083 | 69% |
| 1988-89 | 1,35,000 | 60,506 | 45% |
| 1989-90 | 1,35,000 | 60,292 | 45% |
| जस्ता | | | |
| 1987-88 | 1,49,100 | 71, 57 | 48% |
| 1988-89 | 1,53,000 | 62,883 | 41% |
| 198 -90 | 1,5-,000 | 53,395 | 34% |
| सीसा | | | |
| 1987-88 | 71,900 | 23,871 | 33% |
| 1988-89 | 67,000 | 21,474 | 32% |
| 1989-90 | 65,000 | 27,768 | 43% |

(ख) और (ग) एल्यूमिनियम के प्रसंग में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा उत्पादन शुरू होने से, देश आत्मनिर्भर हो गया है। हिन्दुस्तान कापर लि०, तलोजा (महाराष्ट्र) में 80,000 टन वार्षिक क्षमता का एक सतत तांबा छड़ ढलाई संयंत्र लगाया है, जिनसे देश में इस तरह की तांबा छड़ों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाएगी। मलंजखण्ड ताम्र प्रोजेक्ट (म०प्र०) के समेकित विकास हेतु विस्तृत गवेषण और साध्यता अध्ययन शुरू हो गया है। ऐसा ही अध्ययन सिंहभूम तांबा पट्टी (बिहार) में पूरा हो गया है। देश में जस्ता और सीसा की मांग को काफी हद तक देशी उत्पादन से पूरा करने के लिये, हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा हर साल 70,00( टन जस्ता और 35,0(0 टन सीसा उत्पादन हेतु चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) के निकट एक बड़ी समेकित परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

## सैनिटरी-वेयर और नहाने के साबुनों के निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

[हिन्दी]

10487. **श्री रामदास सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सैनिटरी-वेयर और नहाने के साबुनों के निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के अनेक मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में जिन निर्माताओं के नाम दिए गए हैं उनके विरुद्ध 307.75 लाख रु० के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करते हुए 25 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 14 मामलों में 55.85 लाख रु० की राशि के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की पुष्टि कर दी गई है और 4.21 लाख रुपये का अर्थ दण्ड लगाया गया है।

## विवरण

| क्र.सं. | कम्पनी का नाम | कारण बताओ नोटिस की तारीख |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | स्वास्तिक सैनिटरी वेयर्स, कादी | 10.5.1989 |
| 2. | मधुसूदन सैरामिक्स, कादी | 29.3.1989 |
| 3. | वही— | 19.6.1987 |
| 4. | विप्रो लिमिटेड, अमलनेर, जिला जलगांव | 16.2.1990 |
| 5. | रविन्द्रा इन्डस्ट्रीज, बम्बई | 12.2.1990 |
| 6. | गोदरेज सोप्स लिमिटेड, बम्बई | 28.10.1988 |
| 7. | रॉबसन इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता | 22.12.1988 |
| 8. | माडल सोप कं० कलकत्ता | 24.5.1989 |
| 9. | हिन्दुस्तान सैनिटरी वेयर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, बहादुरगढ़ | 18.8.1988 |
| 10. | —वही— | 29.8.1988 |
| 11. | —वही— | 29.11.1988 |
| 12. | —वही— | 30.1.1989 |
| 13. | —वही— | 22.2.1989 |
| 14. | —वही— | 31.8.1988 (अब समाप्त कर दिया गया है) |
| 15. | —वही— | 10.4.1989 |
| 16. | —वही— | 20.8.1989 |
| 17. | —वही— | 27.9.1989 |
| 18. | —वही— | 24.1.1089 |
| 19. | यूनिवर्सल सैरामिक्स लि०, नालगोण्डा | 3.1.1990 |
| 20. | गारनेट ग्लास फाइबर्स, मद्रास | 28.2.1990 |
| 21. | हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, खामगांव | 11.8.1989 |
| 22. | परशुराम पोटरी वर्क्स लिमिटेड थानगढ़ | 8.8.1987 |
| 23. | खोडियार पोटरी वर्क्स लि० सिहोर | 30.11.1987 |
| 24. | परशुराम पोटरी वर्क्स लि०, मोरवी | 29.7.1987 |
| 25. | हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई | 29.12.1987 |

फोटो कापिंग मशीनों का उपयोग

[अनुवाद]

10488. श्री मदन लाल खुराना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कार्यालयों में फोटो कापिंग मशीनों की व्यवस्था हो जाने से भारी संख्या में व्यक्तियों में परिचालित की जाने वाली बहुत अधिक पृष्ठों वाली, बड़ी-बड़ी टिप्पणियां; संक्षिप्त विवरण और रिपोर्टें तक स्टेन्सिल काटकर साइक्लोस्टाइल करने की बजाय भारी संख्या में फोटो कापी करके परिचालित की जा रही हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप खर्चे में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी कार्यालयों को इस प्रकार के निदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है कि अधिक पृष्ठों वाले दस्तावेजों की फोटो कापी करने के लिए फोटो कापिंग मशीनों का इस्तेमाल न किया जाए; और

(घ) यदि इस प्रकार के अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं; तो उनका पालन न करने के क्या कारण हैं और उनका पालन कराने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री : (क) भारत सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है जहां अधिक संख्या में व्यक्तियों में परिचालित करने के लिए बहुत अधिक पृष्ठो वाले दस्तावेजो की फोटोकापी की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत सरकार में फिजूलखर्ची से बचने के लिए पहले से ही हिदायतें दी हुई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लिखित है कि लेखन सामग्री में यथा संभव किफायत बरती जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई नई हिदायतें जारी करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

फोटोग्राफिक फिल्मों के लिए सीमा शुल्क स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र

10489. श्री कांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोटोग्राफिक फिल्मों को सीमा शुल्क की स्वीकृति हेतु पिछले छह महीनों के दौरान (31 मार्च, 1990 तक) कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा स्वीकृति प्रदान किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) शेष आवेदन-पत्रों को स्वीकृति-प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

### गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले यूनिटों का पुनर्वास

10490. श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले उन यूनिटों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1 जनवरी, 1990 के बाद पुनर्वास प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या इस वर्ष के शुरू में उद्यमियों के साथ हुई बातचीत में "शिपिंग क्रेडिट इनवेस्टमेंट कंपनी आफ इण्डिया लिमिटेड" के प्रतिनिधि उपस्थित थे; और

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के मामले में सरकार की पुनर्वास नीति को शिपिंग क्रेडिट इनवेस्टमेंट कपनी आफ इण्डिया लिमिटेड" द्वारा ठीक से लागू किए जाने हेतु यदि कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम को 28 मत्स्यन कम्पनियों के संबन्ध में पुनरूद्धार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो कम्पनियों के सम्बन्ध में पुनरूद्धार पैकेज कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा 8 कम्पनियां अर्थक्षम नहीं पाई गई हैं। 14 कम्पनियों के मामले विचाराधीन हैं। 4 कम्पनियों के मामले में मत्स्यन कम्पनियों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले पर भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश द्वारा अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है। अलबत्ता, कतिपय कम्पनियों ने, जिन्हें पहले अर्थक्षम नहीं पाया गया था, भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम/सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव पुन. भेजे हैं।

(ख) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम ने सूचित किया है कि इस वर्ष के आरंभ में उद्यमियों के साथ बातचीत के दौरान उसके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

(ग) भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश निगम पुनरूद्धार पैकेजों पर प्रत्येक एक की तकनीकी आर्थिक सक्षमता और भारत के सामान्य नीतिगत पैरामीटरों के आधार पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के अनुसार विचार करता है।

### तीस हजारी न्यायालय के वकीलों द्वारा हड़ताल

10491. श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री आर० एन० राकेश } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान तीस हजारी न्यायालय के वकीलों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने अथवा कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली बार एसोसिएशन, तीस हजारी-न्यायालय, दिल्ली के सदस्यों ने दिल्ली न्याया-

लयों के विभाजन के मुद्दे पर तारीख 9-4-1990 को अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी।

(ग) सरकार क. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक प्रशासन में कोई परिवर्तन करने का आशय नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लिए एक नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

## कच्चे माल का आयात

10492. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई स्थित अनेक कम्पनियां मिथ्या घोषणा और गलत वर्गीकरण करके अपेक्षाकृत कम आयात शुल्क देने के लिए मद्रास और कोचिन पत्तनों के माध्यम से कच्चे माल का आयात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, उपर्युक्त पत्तनों पर ऐसे गलत वर्गीकरण के मामलों का पता न चलने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे चोरी-छिपे आयात जिससे राजकोष को भी राजस्व की हानि हो रही है, की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) बम्बई स्थित कम्पनियों द्वारा कच्ची सामग्रियों का आयात मद्रास और कोचीन पत्तनों से भी किया जाता है। मद्रास में एक मामले में तथा कोचीन में सात मामलों में माल के मूल्य/विवरण की गलत घोषणा अथवा गलत वर्गीकरण किये जाने का पता चला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे आयातों के सम्बन्ध में विशेष निगरानी रखी जा रही है।

## पंजाब में व्यापारियों और उद्यमियों की रियायतें

10493. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक और/अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पंजाब में व्यापारियों और उद्यमियों को दी गई रियायतों तथा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन रियायतों की अवधि 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो जाती थी;

(ग) क्या पंजाब में व्यापारियों और उद्यमियों को रियायतें देने की अवधि और आगे बढ़ा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजाब में असामान्य स्थिति के कारण, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में सामने आने वाली

कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से, बैंकों से समय-समय पर यह कहा गया है—कि वे पंजाब में ऋणकर्ताओं को निम्नलिखित रियायतें छूटें प्रदान करें :—

(I) शाखा/नियंत्रक अधिकारी स्तर पर ऋण सीमा में 50 प्रतिशत तक तदर्थ वृद्धि बशर्ते कि अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये हो। 20 लाख रुपये से अधिक ऋण-सीमाएं उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जायेंगी।

(II) मार्जिन में कमी ताकि यह 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

(III) बिलों की उगाही की अवधि में एक महीने की वृद्धि।

(IV) पात्र मामलों में सावधि ऋणों की किस्तों की अदायगी के पुनर्निर्धारण की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाना।

(V) डिमांड ड्राफ्ट, अदायगी आदेशों, बैंकर्स चेकों और अन्य प्रेषणों के सेवा प्रभारों में 50 प्रतिशत तक कमी।

(VI) समग्र अनुज्ञेय बैंक वित्त के अन्दर-अन्दर ऋणकर्ताओं को उच्चतर-बिल पुनर्भुनाई ऋण सीमाएं प्रदान करना, और बिलों पर निर्धारित किया गया मार्जिन साधारणतया 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी पंजाब में नये उद्योगों को तरजीह दी है और उदार शर्तों पर ऋण दिया है। दी गयी रियायतों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(1) पुनर्वित्त योजना के तहत, पंजाब में नये औद्योगिक एककों को।

(2) 12.5 प्रतिशत की रियायती दर पर ऋण दिया जायेगा और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से संस्थाओं को 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जायेगी।

(3) जहां तक प्रवर्तकों के अंशदान और डी० ई० आर० का संबन्ध है, संस्थाएं प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर लचीला दृष्टिकोण अपना सकती हैं।

(ख से घ बैंकों द्वारा पंजाब में व्यापार तथा उद्योग को दी गयी रियायतें, जो 31 मार्च 1990 को समाप्त हो गयी हैं अब 31 मार्च, 1991 तक बढ़ा दी गयी हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन समग्र पंजाब में उद्योगों के लिये दी गयी रियायतें जो 31 मार्च, 1992 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

## प्राइम टिनप्लेट का उत्पादन

10494. श्री समर कुमार मंडल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राइम टिनप्लेट के कुल स्वदेशी उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कुल मांग की तुलना में कितना कम है;

(ग) देश में प्रतिवर्ष भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग तथा गैर-भोज्य पदार्थों की पैकजिंग के लिए लगभग कितनी मात्रा में टिनप्लेट का प्रयोग किया जाता है;

(घ) क्या टिन निर्माता, विशेषकर लघु औद्योगिक क्षेत्र में रद्दी और घटिया किस्म की टिनप्लेट का निर्माण कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का प्राइम टिनप्लेट के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने और भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए घटिया टिनप्लेट के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (दिनेश गोस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न कारकों से टिन प्लेट के स्वदेशी उत्पादन में कमी आई । इनमें टिन मिल ब्लैक प्लेट (टी० एम० बी० पी०) की उच्च आवक लागत, प्राइम टिन प्लेट तथा टिनप्लेट के छिजन के सीधे आयात में वृद्धि और प्लास्टिक पेपर, कार्ड बोर्ड इत्यादि जैसे पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य सामग्रियों से स्पर्धा शामिल हैं वर्ष 1989-90 में स्वदेशी उत्पादन कुल अनुमानित मांग के बीच लगभग 1.9 लाख मी० टन का अन्तर है ।

(ग) भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग तथा गैर-भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए देश में इस्तेमाल में लायी जाने वाली टिन प्लेट की मात्रा के सम्बन्ध में अधिप्रमाणित प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(घ) लघु क्षेत्र में टिन प्लेट का निर्माण नहीं किया जाता है । टिन प्लेट के छिजन तथा गौण ग्रेड के टिन प्लेट का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि ये टिन प्लेट के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं ।

(ङ) टिन प्लेटों का उत्पादन करने के लिए और अधिक इकाइयों को अनुमति दी जा रही है । भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए टिन प्लेट वेस्ट वेस्ट के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय नहीं है जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं होता ।

## भारतीय मत्स्य उद्योग का विकास

10495. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय मत्स्य उद्योग के विकास हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या "प्रयोजन स्टोरेज रेफ्रिजरेटिड ट्रकों" के निर्माण की योजनाएं रद्द कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार को इससे कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) :** (क) भारतीय मत्स्य उद्योग के विकास हेतु मैरीन प्राडक्टस एक्सपोर्ट डवलपमेन्ट अथारिटी एम्पीडा) द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) प्रौद्योगिकीय उन्नयन और मूल्यवर्धन योजना;

(2) उत्पाद विकास योजना;

(3) मूल्यवर्धित उत्पादों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का संवर्धन करने संबंधी परियोजनाओं में एम्पीडा द्वारा इक्विटी सहभागिता की योजना;

(4) समुद्री खाद्य प्रसंस्करण एककों के उन्नयन तथा क्वालिटी नियंत्रण की योजना;

(5) अण्डजों की सप्लाई के लिए झींगा मछली पालन के संवर्धन और झींगा मछली हैचरियां स्थापित करने संबंधी योजना; और

(6) विदेशों में विशेषीकृत वस्तु मेलों में भाग लेना, विदेशों में प्रचार कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन।

(ख) जी, हां।

(ग) ये योजनाएं आधारभत अवस्थापना सुविधाओं को प्रदान करके समुद्री निर्यात क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए उत्प्रेरक होने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थीं। इस सीमित प्रयोजन के पूरा हो जाने पर इन्हें बन्द कर दिया गया। इसलिए इन योजनाओं का लाभ अथवा हानि की दृष्टि से यथोचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

### सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन

10496. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस कंपनी में सरकार का कितना हिस्सा है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनर्वास, प्रस्ताव भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लिमिटेड के पास विचाराधीन है।

(ग) भारत सरकार की ऋणों और गारंटियों के रूप में कुल बकाया राशि 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार लगभग 178 रोकड़ रुपए है।

### सिलिका-मैंगनीज का जापान को निर्यात

10497. **श्री एस. बी. थोरट** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड द्वारा जापान को विशाखापत्तनम से सप्लाई किए गए सिलिको-मैंगनीज माल की घटिया किस्म के बारे में प्राप्त शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) और (ख) जी, हां । महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि. (मेल) ने वर्ष 1988-89 की अंतिम तिमाही तथा वर्ष 1989-90 की दूसरी तिमाही में मलेशिया तथा जापान को सिलिको-मैंगनीज का निर्यात किया था । दूसरा पोतलदान मैसर्स कोटिया इंटरनेशनल, परेषिती टोयो मेंका कोश्यो कम्पनी लि०, जापान तथा मेल के बीच हुए करार के अनुसार था । यद्यपि माल में रासायनिक संमिश्रण विनिर्देशन के अनुरूप थी, फिर भी मैसर्स कोटिया ने शिकायत की कि इसमें यह निश्चित मात्रा से अधिक थी । मैसर्स एस जी. एस इंडिया प्रा. लि. ने जिसे मैसर्स कोटिया इंटरनेशनल तथा मेल के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत भारतीय एजेंसी नियुक्त किया गया है, ने वाइजाग में अपनी नमूना परीक्षणों के आधार पर माल को मंजूर कर दिया था ।

2. यह माना गया है कि जापानी खरीददारों से क्वालिटी के सम्बन्ध में मिलने वाली शिकायतें मेल के वाणिज्यिक हित में नहीं होगी । अतः मेल के दो वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल जापान गया और सामग्री की जांच के बाद सामग्री की स्क्रीनिंग तथा अधिक मात्रा वाली कुछ सामग्री की रिसाइजिंग के लिए जापानी दल को व्यय की प्रतिपूर्ति के बारे में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

जापानी दल को यह भुगतान अपरिहार्य था; अन्यथा मेल को भारी क्षति के साथ-साथ अपनी सामग्री को वापस लेना होता ।

(ग) निर्यात से सम्बन्धित मामलों पर मेल प्रबन्धन द्वारा एक विभागीय जांच की गई तथा इस रिपोर्ट के आधार पर क्वालिटी के बारे में इस प्रकार की शिकायतें दुबारा न होने से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे । मेल ने माल के प्रेषण के लिए गलत ढंग से मंजूरी देने पर मैसर्स सी जी.एस. इंडिया प्रा. लि. के विरुद्ध कारवाई भी शुरू कर दी है ।

**विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन**

10498. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितनी विदेशी मुद्रा भेजी गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के कितने मामलों का पता लगा और इनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इस धनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : क) निजी अन्तरण विषयक प्राप्तियों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीयता के अनिवासी भारतीयों से प्राप्त धन-राशियां भी शामिल हैं, का ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

| वर्ष | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| 1985-86 | 2716 |
| 1986-87 | 2991 |
| 1987-88 | 3533 |

(ख) "फेरा" के अन्तर्गत पकड़े गए मामलों की संख्या का और उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| वर्ष | जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या | कारण बताओ नोटिसों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि |
|---|---|---|
| 1986-87 | 6278 | 40.87 करोड़ रुपए |
| 1987-88 | 8509 | 203.48 करोड़ रुपए |
| 1988-89 | 5077 | 166.35 करोड़ रुपए |

(ग) "फेरा" के उपबन्धों के अन्तर्गत न्याय-निर्णय विषयक कार्यवाहियों के साथ-साथ उक्त अधिनियम के उल्लंघन करने पर अभियोजन की कार्यवाही करने की भी व्यवस्था है। जांच-पड़ताल पूरी होने पर कानून के अन्तर्गत यथापेक्षित कारंवाई की जाती है।

## अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बम्बई

10499. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृत्त चित्रों और लघु फिल्मों के लिए मूलत: एक वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाले बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को अब दो वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या औचित्य है;

(ग) द्विवार्षिक फिल्म समारोह आयोजित करने में लगभग कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) क्या कलकत्ता शहर में, जो कभी फिल्मों का सांस्कृतिक केन्द्र था और जिसमें इस प्रयोजन की आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं; यह समारोह कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं।

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र)** : (क) जी, हां। सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि वृत्त चित्र और लघु फिल्मों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हर दो वर्ष में एक बार अथवा द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाए।

(ख) यह निर्णय 8वीं पंचवर्षीय योजना की वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लिया गया।

इसके अलावा यह महसूस किया गया है कि बेहतर यह होगा कि वृत्तचित्र और लघु फिल्म समारोह तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह बारी-बारी आयोजित किए जाएं।

(ग) वर्ष 1992 और वर्ष 1994 में समारोह पर क्रमशः 62 लाख रुपये तथा 71 लाख रुपये के अनन्तिम व्यय का अनुमान लगाया गया है।

(घ) सरकार ने यह समारोह द्विवार्षिक आधार पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसलिये कलकत्ता में वर्ष में कम से कम एक बार फिल्म समारोह आयोजित करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है।

तथापि, कलकत्ता में बारी-बारी से फिल्म समारोह आयोजित करने के प्रश्न पर मंत्रालय द्वारा उपयुक्त समय पर यथोचित विचार किया जायेगा।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

## यूको बैंक की स्कीमें

[हिन्दी]

10500. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में यूको बैंक ने योजना-बार विभिन्न योजनाओं में कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) इस बैंक की राजस्थान में जिला बार कितनी शाखाएं हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इस बैंक की कितनी जमाराशियां हैं और उसने राज्य में कितने ऋण दिये हैं;

(घ) निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य में बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुये हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बैंक में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो इसका तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) :** (क) यूको बैंक ने सूचित किया है कि 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के वर्षों के दौरान, विभिन्न योजनाओं में बैंक द्वारा निम्नलिखित निवेश किया गया है :

| योजना का नाम | स्वीकृत रकम (लाख रुपये में) | | |
|---|---|---|---|
| | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 2972 | 3310 | 2219 |
| शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना | 2296 | 1346 | 1780 |

| योजना का नाम | शेष बकाया (लाख रुपए में) | | |
|---|---|---|---|
| शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम | 496 | 563 | 542 |
| | मार्च 87 | मार्च 88 | मार्च 89 |
| विभेदी ब्याज दर | 2102 | 1954 | 1810 |
| 20 सूत्री कार्यक्रम | 19688 | 23536 | 29347 |
| कमजोर वर्ग | 20186 | 24997 | 29771 |

(ख) बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.1990 को राजस्थान में यूको बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 135 थी। जिला-वार स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :

| जिला | संख्या | जिला | संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अलवर | 2 | श्री गंगा नगर | 4 |
| भरतपुर | 2 | जोधपुर | 33 |
| जयपुर | 39 | पाली | 1 |
| झुंझुनू | 4 | अजमेर | 7 |
| चुरू | 1 | भीलवाड़ा | 1 |
| सीकर | 1 | बून्दी | 1 |
| टोंक | 2 | कोटा | 5 |
| बाड़मेर | 1 | नागौर | 23 |
| बीकानेर | 6 | उदयपुर | 2 |
| | | कुल संख्या | 135 |

(ग) यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में बैंक की कुल जमाराशियां और राज्य में दिए गए ऋणों की रकम निम्नानुसार है :—

शेष बकाया (लाख रुपए में)

| | मार्च 1987 | मार्च 1988 | मार्च 1989 |
|---|---|---|---|
| जमा राशियां | 14642 | 19510 | 24364 |
| अग्रिम | 7906 | 8839 | 10727 |

(घ) यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत हिताधिकारियों की योजना-वार संख्या नीचे दर्शाई गई है

| कार्यक्रम/योजना का नाम | उन हिताधिकारियों की संख्या जिन्हें ऋण स्वीकृत किया गया |
|---|---|

| | मार्च 1987 | मार्च 1988 | मार्च 1989 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 4972 | 6781 | 6205 |
| शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना | 986 | 539 | 618 |
| शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम | 1492 | 1905 | 1419 |
| | उन हिताधिकारियों की संख्या जिनके नाम ऋण बकाया है | | |
| विभेदी ब्याज दर | 7683 | 5518 | 5570 |
| 20 सूत्री कार्यक्रम | 32530 | 37938 | 44077 |
| कमजोर वर्ग | 35603 | 41039 | 46731 |

(ङ और च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान में यूको बैंक के कार्यालयों में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याएं थी। बैंक ने राज्य में अपनी शाखाओं के सामान्य कार्यकरण के वास्ते उपयुक्त कार्यवाही की है।

### सरकारी क्षेत्र के बैंकों में चेयरमैन की नियुक्ति

[अनुवाद]

10501. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन / श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी क्षेत्र के किन्हीं बैंक के चेयर मैनों की नियुक्ति के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के क्या नाम हैं जिनमें चेयरमैन की नियुक्ति अभी की जानी है; और

(घ) ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (घ) इस समय न्यू बैंक आफ इंडिया के केवल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद दिनांक 11 अप्रैल, 1990 से खाली है। सरकार का इस रिक्त पद को शीघ्र भरने का प्रयास होगा। वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए किसी अध्यक्ष की नियुक्ति के विरुद्ध कोई विशिष्ट, शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### भारत पर्यटन विकास निगम का कुल लाभ

10502. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और 1987 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम को कुल कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वृद्धि दर क्या है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के किन-किन एककों को सबसे अधिक लाभ हुआ है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल मलिक)** (क) भारत पर्यटन विकास निगम का गत दो वर्षों का कुल कारोबार नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | कुल कारोबार |
|---|---|
| | (लाख रुपयों में) |
| 1988-89 | 10616.69 |
| 1989-90 (अनन्तिम) | 11854.26 |

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1986-87 की तुलना में 1989-90 के दौरान कुल कारोबार में हुई वृद्धि (अनन्तिम परिणामों के आधार पर) 42.43% बैठती है।

(घ) अशोक होटल, नई दिल्ली ने 1989-90 के दौरान 248.68 लाख रुपए (अनन्तिम) का अधिकतम लाभ कमाया है।

**दंत उपकरणों का आयात**

10503. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विचार का चालू वर्ष के दौरान दंत उपकरणों के आयात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दंत उपकरणों पर लगाए गए करों/शुल्कों में वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले कुछ दिनों में दन्त उपस्कर पर सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए दन्त उपस्कर पर लगाए गए करों/शुल्कों में हुई वृद्धि के दुष्प्रभावों का

मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कोई अध्ययन किए जाने का कोई प्रश्न नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मेंढक की टांगों का निर्यात

10504. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेंढक की टांगों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) प्रथम बार प्रतिबन्ध कब लगाया गया था; और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) प्रतिबन्ध लगाए जाने से पूर्व कुल समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में मेंढक की टांगों की प्रतिशतता कितनी थी?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जी हां, मेंढक की टांगों के निर्यात पर प्रतिबन्ध अब भी लागू है।

(ग) पर्यावरण सम्बन्धी महत्व को देखते हुए पहली बार दिनांक 1 अप्रैल, 1987 को प्रतिबन्ध लगाया गया था।

(घ) प्रतिबन्ध लगाए जाने से पहले कुल समुद्री खाद्य के निर्यात में मेंढक की टांगों के निर्यात की प्रतिशतता वर्ष 1981-82 में मात्रा के रूप में 5.8% से लेकर 1986-87 में 0.5% के बीच रही।

धातु एवं खनिज व्यापार निगम द्वारा गैर-सारणीबद्ध मदों का निर्यात

10505. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु एवं खनिज विभाग का वर्ष 1890-91 के दौरान ऐसी मदों का निर्यात बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसका निर्यात किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए ऐसे मदों के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी मदवार ब्योरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए एम.एम.टी.सी. ने गैर-सरणीकृत निर्यात लक्ष्य 550 करोड़ का निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) एम०एम०टी०सी० ने अनेक गैर सरणीकृत निर्यात समूह बनाए हैं। इंजीनियरी परियोजनाओं के निर्यात पर अलग से एक विभाग ध्यान दे रहा है। एम०एम०टी०सी० निर्यात

के लिए चुनिन्दा मदों का पता लगाने के लिए तथा सप्लाई के लिए ऐसे विश्वसनीय घरेलू स्रोतों का पता लगाने के लिए बाजार अध्ययन करता रहा है, जो एम.एम.टी.सी. के सहयोगी सप्लायर्स के रूप में कार्य कर सकें।

वर्ष 1990-91 के दौरान गैर सरणीकृत मदों के निर्यात के लिए एम.एम.टी.सी. द्वारा विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:—

| मद | मूल्य (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| खनिज | 65 |
| कृषि उत्पाद | 25 |
| औद्योगिक उत्पाद | 40 |
| हीरे/रत्न | 120 |
| वाणिज्यिक कारोबार | 15 |
| परियोजनाएं | 80 |
| प्रति व्यापार | 205 |
| कुल | 550 |

## महाराष्ट्र में सातवीं योजना में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

[हिन्दी]

10506. **श्री हरीशंकर महाले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का महाराष्ट्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र)** : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में दिनांक 4.4.86 को शोलापुर में एक आकाशवाणी केन्द्र चालू किया गया है।

तथापि, आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में माहराष्ट्र राज्य में, कोल्हापुर, नासिक, अहमदनगर, धुले, बीड़, चन्द्रपुर, नान्देड, अकोला, यवतमाल, सतारा और ओस्मानाबाद में एक-एक अर्थात कुल 11 नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों के 1990-91 के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय आवंटन और वास्तविक लक्ष्य को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही महाराष्ट्र राज्य में आकाशवाणी सेवा का और विस्तार किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

### भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण

[अनुवाद]

10507. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राव वाडियर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने देश का चुम्बकीय मानचित्र तैयार करने और हवाई भौगोलिक सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कार्य पूरे किये जा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने अथवा किसी अन्य संस्था ने समुद्र तल का मानचित्र प्राप्त करने हेतु अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1989 से शुरू 15 वर्षीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के कुम्बकीय मानचित्र तैयार करने का कार्य आरम किया है जो चालू है। 36% लक्षित क्षेत्र पर कार्य पूरा हो चुका है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(घ) और (ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने दो ही सर्वे के क्षेत्रीय पैमाने पर आर्थिक एकाधिकार क्षेत्र के 60% क्षेत्र को समुद्रतलीय मानचित्रण में शामिल कर लिया है।

### नमक का उत्पादन

10508. श्री के॰ एस॰ राव : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितना नमक का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना नमक निर्यात किया गया;

(ग) नमक का निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(घ) क्या नमक बाजार में बंगला देश के प्रवेश से नमक के भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा।

(ङ) यदि हां, तो कितना प्रभाव पड़ेगा; और

(च) आगामी वर्षों में नमक का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक का उत्पादन :

| वर्ष | मात्रा लाख मी० टन में |
|---|---|
| 1987 | 99 |
| 1988 | 83 |
| 1989 | 99 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए नमक की मात्रा

| वर्ष | मात्रा लाख मी० टन में |
|---|---|
| 1987 | 4.3 |
| 1988 | 5.5 |
| 1989 | 6.1 |

(ग) जिन देशों से नमक का निर्यात किया गया वे निम्नलिखित हैं:— बंगला देश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, नेपाल, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, तन्जानिया, उगाण्डा, संयुक्त अरब, अमीरात, जैरे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे ।

(घ) और (ङ) बंगला देश नमक का एक आयातक है और वर्तमान संकेतों के अनुसार अगले कुछ वर्षों तक नमक का आयात करता रहेगा ।

(च) नमक का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों में शामिल है खासकर निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नमक वर्क्स की स्थापना, नमक विनिर्माताओं को बैंक से वित्तीय सहायता का प्रावधान सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नमक विनिर्माण के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना, नमक की गुणवत्ता में सुधार करना आदि ।

## समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के लिए स्थान

10509. श्री जे० चोक्का राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी समाचार-पत्रों के पृष्ठ विज्ञापनों से भरे होते हैं और उनमें समाचारों के लिए बहुत कम स्थान रह जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार विचार समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का कोटा आबंटित करते समय विज्ञापनों से होने वाली उनकी आय को ध्यान में रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) कैलेण्डर वर्ष 1988 के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार 345 दैनिकों ने विज्ञापनों के स्थान के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किये थे। इनमें से 5 दैनिकों ने विज्ञापनों को 60 प्रतिशत और उससे अधिक स्थान दिया था। 16 दैनिकों ने 50-59 प्रतिशत के बीच स्थान दिया। शेष 333 दैनिकों में विज्ञापनों का स्थान 50 प्रतिशत से कम था।

(ख) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ऐसा करना प्रेस की आजादी जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है, का, उल्लंघन होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## पोशाक संबंधी सामग्री का निर्यात

10510. **श्री के० एस राव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पोषक सामग्रियों, सिले-सिलाए कपड़ों, कपड़े की अन्य मदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिन पर कुरान आयतें छपी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इसके लिए निर्यात नियन्त्रण आदेश में संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, हां।

(ख) अंजुमन अहले नामक एक मुस्लिम संगठन ने ऐसी पोशाक सामग्री/परिधान और अन्य फैब्रिक्स/वस्त्र मदों के निर्यात के विरुद्ध अभिवेदन किया था, जिन पर पवित्र कुरान की आयतें छपी हैं, क्योंकि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचता है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 16-3-1990 को सार्वजनिक सूचना सं० 26-ई टी सी (पीन एन) 90 के साथ पठित निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ, 88/ए एम (49) जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आयात-निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड-2) की घोषणा करते समय दिनांक 30-3-90 का निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० ई (सी) ओ, 1988/ए एम (50) जारी किया गया है।

## लघु उद्योग क्षेत्र में सफलता

10511. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जा रहे संस्थागत ऋणों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की

समीक्षा के लिए गठित एक उच्च स्तरीय स्थायी सलाहकार समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती रुग्णता की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में बढ़ती रुग्णता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) अप्रैल 1986 में भारतीय रिजर्व बैंक ने उप गवर्नर की अध्यक्षता में स्थाई सलाहकार समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को संस्थागत ऋण के प्रवाह और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा करना और इस क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई सहायता सुरक्षित करने के वास्ते ऋण प्रदान करने की प्रणाली के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समिति की समय-समय पर बैठकें होती हैं और इसकी छठी बैठक 21 अप्रैल, 1990 को बुलाई गई थी। इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु उद्योगों में रुग्णता की बढ़ती प्रकृति को समिति ने गंभीरता से लिया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये मार्गनिर्देश प्रारम्भिक रुग्णता का शीघ्रता से पता लगाने और समय पर उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता पर बल देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों को राहत/रियायत उपलब्ध कराने के लिए अर्थक्षमता मानदण्ड और पैरामीटर निर्धारित किए हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी बैंकों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से रुग्ण लघु उद्योग एककों को पुनर्वास सहायता देने के लिए एक पुनर्वित्त योजना तैयार की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1987 में शुरू की गई राष्ट्रीय ईक्विटी निधि योजना भी लघु उद्योग क्षेत्र में संभावित अर्थक्षम रुग्ण एककों को, जो योजना के अन्तर्गत पात्र हैं, पुनर्वास के लिए ईक्विटी जैसी सहायता उपलब्ध कराती है।

**सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट**

10512. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तौड़गढ़ के निकट सुपर जिन्क स्मेल्टर प्लांट का निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ होगा और इसमें उत्पादन कब से प्रारम्भ हो जाएगा;

(ख) क्या इसमें रोजगार देने के मामले में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) चित्तौड़गढ़ के निकट हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रद्रावक का कार्य अप्रैल, 1989 में आरंभ हुआ था। जून, 1991 से उत्पादन आरंभ हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) कामगारों की भर्ती, उनकी उपयुक्तता के आधार पर, जिला रोजगार कार्यालय की मार्फत, की जा रही है। रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों को पद की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त न पाये जाने पर, खुले विज्ञापन द्वारा भर्ती की जा रही है।

**घरेलू क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देना**

10513. **श्री चोक्का राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का घरेलू क्षेत्र में बचत को बढ़ावा देने के लिए कौन से अन्य उपाय करने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी राशि की बचत किए जाने की संभावना है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) सरकार द्वारा शासित अल्प बचत योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यकता होती है, संग्रहों को अधिकाधिक करने के उद्देश्य से उनमें परिवर्तन किए जाते हैं।

इसके अलावा, सरकार का प्रस्ताव है कि सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की जमा योजना, 1989 का विस्तारण सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया जाए। राष्ट्रीय बचत योजना, 1987 के अन्तर्गत जमा राशियों की सीमा एक वर्ष में 30,000 रुपए से 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत 5,500 करोड़ रुपए के निवल संग्रह होने का अनुमान है।

**खाद्यान्नों का निर्यात**

[हिन्दी]

10514. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन खाद्यान्नों/दालों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) ये जिन्सें किन-किन देशों को निर्यात की जा रही हैं;

(ग) पिछले वर्ष कितने मूल्य के खाद्यान्न/दालें निर्यात की गईं;

(घ) चालू वर्ष के लिए इन वस्तुओं के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन जिन्सों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) और (ख) निर्यात के लिए अनुमत खाद्यान्न हैं : बासमती चावल, जिसकी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति है, और गैर बासमती चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ जिसकी सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा के अध्यधीन अनुमति दी जाती है जो निर्यात बेशीमाल की उपलब्धता पर निर्भर होती है। इन मदों की भारी मात्रा का निर्यात मध्य पूर्व देशों, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका को किया जाता है।

अग्रिम लाइसेंसिंग योजना, पास बुक के अन्तर्गत या अनुमोदित 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक द्वारा आयातित दालों से बनी संसाधित दालों के अतिरिक्त दालों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान निर्यातित खाद्यान्नों का कुल मूल्य अनुमानत: 427 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ङ) चूंकि सीमित सीमा के अन्तर्गत मदों का निर्यात अनुमानित उत्पादन, खपत और शेषी माल तथा उनकी कीमत प्रतिस्पर्धा क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए खाद्यान्नों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। इन मर्यादाओं के अन्तर्गत परिचालन सम्बन्धी प्रतिबन्धों का सामना करके निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास किए जाते हैं।

**अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों की संख्या में कमी**

**[अनुवाद]**

10511. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) निम्नलिखित विवरण में, अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदनों की संख्या औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अनुसूचित प्रस्तावों की संख्या (औद्योगिक अनुमोदनों के लिए सचिवालय) और अनिवासी भारतीय निवेश की प्रस्तावित राशि दर्शाई गई है :—

| | 1988 | 1989 |
|---|---|---|
| (I) प्राप्त आवेदनों प्रस्तावों की संख्या | 162 | 112 |
| (II) अनुमोदित आवेदनों की संख्या | 102 | 54 |
| (III) अनिवासी भारतीय निवेश | (करोड़ रुपए) | |
| (क) प्रत्यावर्तन आधार पर | 17.78 | 64.26 |
| (ख) अप्रत्यावर्तन आधार पर | 28.89 | 13.59 |
| (VI) परियोजना लागत | 228.98 | 577.08 |

उपर्युक्त तालिका से पता लगता है कि यद्यपि आवेदनों की संख्या में कमी आई है, तथापि भारत में अनिवासी भारतीय निवेश से संबंधित अनुमोदनों में वृद्धि हुई है।

### पोत तोड़ने के यार्ड

10516. गोपीनाथ गजपति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोत तोड़ने के यार्डों की संख्या कितनी है और वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक में कितने पोत तोड़ने की अनुमति दी गई;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में पारादीप और गोपालपुर में पोत तोड़ने के यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) देश के विभिन्न तटवर्ती राज्यों में स्थित मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन से पंजीकृत जहाज तोड़ने के 95 यार्ड है। इनके अतिरिक्त, बम्बई में लगभग 100 तथा कलकत्ता में 30 जहाज तोड़क हैं जिन्हें जब भी संबंधित पत्तन प्राधिकारियों द्वारा तोड़ने के स्थलों का आवंटन किया जाता है, तो उन्हें जहाज तोड़ने की अनुमति दी जाती है। वर्ष 1989-90 के दौरान अलंग (गुजरात में इस प्रकार के प्रत्येक 3 पंजीकृत यार्ड को एम.एम.टी सी. द्वारा 3-3 जहाज आवंटन किए गए। इनके अतिरिक्त आर. ई पी./अतिरिक्त लाइसेंस योजना के अन्तर्गत जहाज तोड़कों द्वारा तोड़ने के लिए 44 जहाजों को सीधे आयात करने की जानकारी मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### भारत को अमरीकी आर्थिक सहायता बन्द

10517. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
श्री चित्त बसु } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने वर्ष 1991 के लिए भारत के लिए पहले ही निर्धारित 2 करोड़ 50 लाख डालर की आर्थिक सहायता बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रशासन द्वारा कांग्रेस के समक्ष रखे गए प्रस्तावों के अनुसार भारत को राजकोषीय वर्ष 1991 में विकास सहायता के रूप में 220 लाख सं० रा० अमेरिकी डालर की राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### बिहार में नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार

[हिन्दी]

10518. श्री तेज नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकृति को रोकने हेतु कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) बिहार में पकड़ी गई विभिन्न नशीले औषध द्रव्यों की मात्राओं के संबंध में नारकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरों के पास उपलब्ध सूचना से उस राज्य में नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार में वृद्धि होने के मामले का कोई संकेत नहीं मिलता है। तथापि इसके नेपाल के समीप होने के कारण, बिहार नशीले औषध द्रव्यों, विशेषतया हशीश और गांजा का अवैध व्यापार किए जाने के लिए एक सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। नशीले औषध- द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए हमारी प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क रहती हैं। इस क्षेत्र में नशीले औषध-द्रव्यों के अवैध व्यापार पर निगरानी रखने के लिए तथा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित राज्य एजेंसियों के साथ तालमेल रखने के लिए वाराणसी में नारकोटिक्स नियन्त्रण ब्यूरो के एक क्षेत्रीय कार्यालय की भी स्थापना की गई है जिसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार राज्य भी आता है।

## लोहे और इस्पात के वितरण के लिए कार्यदल

[अनुवाद]

10519. **श्री के० एस० राव** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात के वितरण के बारे में सुधारों का सुझाव देने और इस हेतु दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) से (ग) कार्यदल ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे वर्गीकरण प्राथमिकता संविदा दल पात्रता निर्धारित करने के आधार, लघु उद्योग, नई और रुग्ण इकाइयों आदि की सप्लाई करने की पद्धति का उल्लेख किया है और उनमें से कुछ के बारे में सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

## व्यापारिक बैंकरों के लिए मार्ग निर्देश

10520. **श्री के० एस० राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में व्यापारिक बैंकरों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छोटे व्यापारिक बैंकरों ने मार्गनिर्देशों में निहित अनुबन्धों पर अपना रोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ छोटे व्यापारिक बैंकरों के भय को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) सरकार ने व्यापारिक बैंकरों के लिए 9 अप्रैल, 1990 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

(ख) मार्गनिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मार्गनिर्देशों का, कुल मिलाकर स्वागत किया गया है। संभव है कि कुछ व्यापारिक बैंकरों को मार्गनिर्देशों के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में संकोच हो जिनसे उनके कार्यकलाप विनियमित होते हैं। फिर भी भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड ने यह बताया है कि अभी तक किसी भी छोटे व्यापारिक बैंकर ने मार्ग निर्देशों में परिकल्पित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से लिखित में या मौखिक रूप से कोई विरोध प्रकट नहीं किया है, हालांकि कुछ समाचार पत्रों में उनके बारे में रिपोर्ट छपी हैं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

## विवरण

### व्यापारिक बैंकरों के लिए मार्गनिर्देश

1. **प्राधिकार**

व्यापारिक बैंकिंग का कारोबार करने का प्रस्ताव करने वाले किसी भी व्यक्ति या निकाय को भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड से उनके निर्धारित फार्मेट में प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह बात उन पर भी लागू होगी जो प्रबन्धकों, निर्गमों के परामर्शदाताओं या सलाहकारों सहित इस समय व्यापारिक बैंकिंग कार्यकलाप में कार्यरत हैं।

2. **प्राधिकृत कार्यकलाप**

(क) निर्गम प्रबन्ध, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विवरण पत्र तथा निगम संबंधी अन्य जानकारी की तैयारी, विसपोषण ढांचे का निर्धारण, विसपोषणों का संयोजन तथा अभिदान का अन्तिम आबंटन और/या वापसी शामिल हैं।

(ख) निर्गम संबंधी निगमित सलाह सेवाएं।

(ग) हामीदारी

(घ) पोर्टफोलियो प्रबन्ध सेवाएं

(ङ) निर्गम में प्रबन्धक, परामर्शदाता या सलाहकार

3. प्राधिकार मानदण्ड

सभी व्यापारिक बैंकरों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सभी कार्यों को सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के साथ करेंगे भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकरों के लिए एक आचरण संहिता निर्धारित करेगा। इसी संदर्भ में भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के प्राधिकार-मानदण्ड में मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा :—

(क) व्यावसायिक दक्षता।

(ख) कार्मिक, उनकी पर्याप्तता व गुणवत्ता तथा अन्य आधारभूत संरचना।

(ग) पूंजी पर्याप्तता।

(घ) उनके समस्त लेन-देनों में उनका पिछला रिकार्ड, अनुभव, सामान्य ख्याति तथा ईमानदारी।

4. प्राधिकार की शर्तें :

(क) मौजूदा व्यापारिक बैंकरों सहित सभी व्यापारिक बैंकर इन मार्ग निर्देशों के जारी होने के तीन महीने के भीतर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करेंगे। भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड इस अवधि को अपने विवेकानुसार अधिक से अधिक तीन महीने तक और बढ़ा सकता है।

(ख) सभी व्यापारिक बैंकरों की कम से कम एक करोड़ रुपए की निवल मालियत होनी चाहिए।

(ग) प्राधिकार आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा।

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकरों से आरम्भिक प्राधिकरण शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क वसूल कर सकता है।

(ङ) सभी निर्गमों का प्रबन्ध एकमात्र प्रबन्धक या मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने वाले कम से कम एक प्राधिकृत व्यापारिक बैंकर द्वारा किया जाए आम तौर पर, किसी सार्वजनिक निर्गम के लिए मुख्य प्रबन्धक, सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में दो से अधिक व्यापारिक बैंकर सम्बद्ध न किए जाएं। 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के निर्गमों में, व्यापारिक बैंकरों की संख्या अधिक से अधिक चार हो सकती है।

(च) निर्गम से पूर्व मुख्य प्रबन्धक की विशिष्ट जिम्मेदारियों भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को अवश्य प्रस्तुत की जाए।

(छ) निदेशक, प्रवर्तन तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो विवरण पत्र का निर्गम प्राधिकृत करता है, विवरण पत्र की विषय वस्तु की पूरी जिम्मेदारी लेगा, व्यापारिक बैंकर स्वतन्त्र रूप से विवरण-पत्र की विषय वस्तु और उसमें अभिव्यक्त किए गए विचारों के औचित्य को सत्यापित करते हुए सम्यक् तत्परता बरतेंगे। निर्गम

सम्बन्धी व्यापारिक बैंकर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ज) इनके द्वारा प्रबन्ध किए जाने वाले निर्गम में व्यापारिक बैंकर (बैंकरों) का प्रत्यक्ष दावा सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य प्रबन्धकों से निर्गम में उच्चतम सीमा के अधीन रहते हुए न्यूनतम 5 प्रतिशत हामीदारी की बाध्यता स्वीकार करने की अपेक्षा की जाएगी।

(झ) मुख्य प्रबन्धक/व्यापारिक बैंकर निवेशकों की प्रतिभूतियों के समय पर आबंटन और वापसियों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ञ) व्यापारिक बैंकरों की एक निर्गम में सम्बद्धता कम से कम अनिवार्य अनुवर्ती कार्रवाई पूरी होने तक बनी रहेगी, जिसमें लिखत का सूचीबद्ध करना और प्रमाण पत्रों/वापसियों का प्रेषण कार्य शामिल है। चाहे इनमें से बहुत से कार्यकलाप अन्य मध्यस्थों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी व्यापारिक बैंकर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ये एजेंसियां अपने कार्य पूरा करें और निर्गमकर्ता कम्पनी के साथ उपयुक्त करारों के जरिए इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के योग्य हो सकें।

(ट) व्यापारिक बैंकर भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड को ऐसी जानकारी दस्तावेज, विवरणियां और रिपोर्टें उपलब्ध कराएगा जो निर्धारित की जाएं या मांगी जाएं।

(ठ) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड व्यापारिक बैंकरों के लिए आचार संहिता तैयार करेगा और निर्धारित करेगा, जिसका उन्हें अनुपालन करना चाहिए।

(ड) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड मार्ग निर्देशों के उल्लंघन होने पर, व्यापारिक बैंकरों के प्राधिकार उपयुक्त अवधि के लिए निलंबित/रद्द कर सकता है। ऐसे सभी मामले पूंजी निर्गम नियन्त्रक के ध्यान में लाए जाएंगे। इस बारे में सुसंगत ब्यौरे भारतीय बोर्ड द्वारा तैयार किए जाएंगे।

(ढ) इन मार्ग निर्देशों में से कोई भी बात कम्पनी उसके कार्यकर्ताओं अथवा अन्य को किसी मौजूदा विधि, विनिमय, मार्ग निर्देशों या किसी स्वीकृति सहित लगाई गई शर्त द्वारा दी गई किसी की जिम्मेवारी में छूट प्रदान नहीं करेगी।

### निर्यात में प्रत्येक राज्य का अंशदान

10521. श्री बापूसाहेब देशमुख : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने यह जानने के लिए कोई अध्ययन किया है कि गत एक वर्ष के दौरान भारत से किये गये कुल निर्यात में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का अंशदान कितना कितना रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या ऐसे आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं जिनके आधार पर विभिन्न राज्य निर्यात में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकें ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) और (ख) राज्यवार निर्यात आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) 19 राज्यों की निर्यात संभावना को बढ़ाने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण/भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने राज्यवार कार्य योजनाएं/सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

## पश्चिमी महाराष्ट्र में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

**[हिन्दी]**

10522. **श्री हरीशंकर महाले** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी महाराष्ट्र में जिला-वार कितने-कितने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र के अनेक गांवों में दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं देखे जा सकते;

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी क्षेत्र सहित आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र के करीब आधे गांव राज्य के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। तथापि वास्तविक संग्रहण मध्यवर्ती दूरी और स्थलाकृति पर निर्भर करता है। चालू वर्ष के दौरान अम्बाजोगई में लगाए जा रहे उच्च शक्ति 10 कि० वा० दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू किए जाने और औरंगाबाद के मौजूदा 1 कि० वा० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने पर दूरदर्शन सेवा द्वारा कवर होने वाले गांवों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार/सुधार दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं में इस प्रयोजन हेतु साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

### विवरण

### आकाशवाणी केन्द्र

महाराष्ट्र के निम्नलिखित प्रत्येक जिलों में एक-एक आकाशवाणी केन्द्र की व्यवस्था की गई है :—

1. औरंगाबाद
2. बम्बई

3. जलगांव
4. नागपुर
5. परभनी
6. पुणे
7. रत्नागिरी
8. सांगली
9. सोलापुर

दूरदर्शन केन्द्र

| | दूरदर्शन पारेषण केन्द्रों की संख्या |
|---|---|
| | (2 चैनल) |
| 1. ग्रेटर बम्बई | 1 |
| 2. रत्नागिरी | 1 |
| 3. नासिक | 3 |
| 4. धुले | 3 |
| 5. जलगांव | 4 |
| 6. अहमदनगर | 1 |
| 7. पुणे | 1 |
| 8. सतारा | 2 |
| 9. सांगली | 1 |
| 10. सोलापुर | 3 |
| 11. कोलापुर | 1 |
| 12. औरंगाबाद | 2 |
| 13. परभनी | 1 |
| 14. बीड | 2 |
| 15. नान्देड़ | 2 |
| 16. ओस्मानाबाद | 2 |
| 17. बुल्डाना | 1 |
| 18. अकोला | 1 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 19. अमरावती | 2 |
| 20. यवतमाल | 2 |
| 21. वर्धा | 1 |
| 22. नागपुर | 1 |
| 23. भंडारा | 1 |
| 24. चन्द्रपुर | 2 |

रायगढ़ और थाणे जिले उच्च शक्ति ट्रांसमीटर बंबई से कवर होते हैं।

**महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले दैनिक साप्ताहिक समाचार-पत्र**

10523. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से प्रकाशित होने वाले दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्रों को जिले-बार संख्या कितनी है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक को गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-बार कितनी मात्रा में अखबारी कागज आवंटित किया गया ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी॰ उपेन्द्र)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में रखे गए रिकार्ड के अनुसार महाराष्ट्र में पंजीकृत दनिक और साप्ताहिक समाचार-पत्रों की दिनांक 31.12,1988 तक जिलेवार संख्या

| क्र.सं. | जिला | दैनिकों की संख्या | साप्ताहिकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अहमदनगर | 13 | 14 |
| 2. | अकोला | 7 | 41 |
| 3. | अमरावती | 8 | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | औरंगाबाद | 12 | 35 |
| 5. | बीड | 7 | 10 |
| 6. | भण्डारा | 8 | 33 |
| 7. | बम्बई | 51 | 194 |
| 8. | बुल्डाना | 1 | 10 |
| 9. | चन्द्रपुर | 4 | 17 |
| 10. | धुले | 5 | 22 |
| 11. | जलगांव | 7 | 27 |
| 12. | जालना | 3 | 5 |
| 13. | कोल्हापुर | 12 | 17 |
| 14. | लतूर | 3 | 4 |
| 15. | नागपुर | 18 | 46 |
| 16. | नांदेड | 7 | 16 |
| 17. | नासिक | 11 | 51 |
| 18. | परभणी | 6 | 95 |
| 19. | पुणे | 20 | 53 |
| 20. | रायगढ़ | — | 1 |
| 21. | रत्नागिरी | 4 | 16 |
| 22. | सांगली | 9 | 22 |
| 23. | सतारा | 6 | 6 |
| 24. | सिंधुगढ़ | 1 | 2 |
| 25. | शोलापुर | 10 | 17 |
| 26. | थाणे | 6 | 20 |
| 27. | उस्मानाबाद | 1 | 11 |
| 28. | वर्धा | 3 | 28 |
| 29. | यवतमाल | 8 | 28 |

(ख) वर्ष 1989-90, 1988-89 तथा 1987-88 के दौरान महाराष्ट्र में अखबारी कागज का जिलेवार आबटन

| क्र.स. जिला | 1989-90 | | 1988-89 | | 1987-88 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | समाचार पत्रों की संख्या | मात्रा मी०टन में | समाचार पत्रों की संख्या | मात्रा मी०टन में | समाचार पत्रों की संख्या | मात्रा मी०टन में |
| 1. अहमदनगर | 8 | 655.58 | 5 | 350.92 | 5 | 233.86 |
| 2. अकोला | 4 | 118.51 | 5 | 93.56 | 4 | 193.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अमरावती | 1 | 42.22 | 1 | 33.14 | 1 | 15.18 |
| 4. | औरंगाबाद | 9 | 2893.18 | 9 | 2436.05 | 6 | 2574.05 |
| 5. | बीड | 1 | 37.03 | 1 | 19.61 | — | — |
| 6. | भण्डारा | — | — | — | — | 1 | 1.12 |
| 7. | बम्बई | 53 | 61227.90 | 61 | 58094.27 | 63 | 52721.84 |
| 8. | चन्द्रपुर | 1 | 33.11 | 1 | 54.58 | 1 | 62.19 |
| 9. | धुले | 1 | 44.79 | 1 | 37.56 | 1 | 30.45 |
| 10. | जलगांव | 4 | 905.47 | 5 | 916.53 | 5 | 906.85 |
| 11. | कोल्हापुर | 5 | 2117.17 | 6 | 1781.20 | 6 | 1593.56 |
| 12. | लतूर | 1 | 43.60 | 1 | 16.31 | 1 | 56.46 |
| 13. | नागपुर | 12 | 6929.95 | 9 | 6353.83 | 12 | 5929.90 |
| 14. | नांदेड़ | 3 | 272.64 | 3 | 129.97 | 2 | 212.50 |
| 15. | नासिक | 9 | 1234.84 | 10 | 1293.94 | 9 | 1191.03 |
| 16. | परभणी | — | — | 1 | 7.16 | 2 | 25.49 |
| 17. | पुणे | 13 | 8556.91 | 15 | 5979.64 | 15 | 7260.92 |
| 18. | रत्नागिरी | 2 | 273.60 | 5 | 196.70 | 1 | 99.91 |
| 19. | सांगली | 2 | 307.96 | 3 | 295.23 | 2 | 216.49 |
| 20. | सतारा | 3 | 369.22 | 2 | 148.59 | 1 | 96.68 |
| 21. | शोलापुर | 5 | 950.02 | 2 | 650.43 | 2 | 432.31 |
| 22. | रायगढ़ | — | — | 1 | 1.18 | 1 | 0.82 |

**यूको बैंक के कारोबार की जांच**

**[अनुवाद]**

10524. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट**
**श्री एन० जे० राथवा** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूको बैंक में कारोबार की स्थिति की जांच करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी, नहीं। यूको बैंक में कारोबार की स्थिति की जांच करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(ग) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा स्वविवेक से बैंक का वित्तपोषण**

10525 **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट**
**श्री एम० जे० रायबा** } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक दृष्टि से संकट-ग्रस्त बैंकों को उबारने के लिए स्वविवेक से उनका वित्त-पोषण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल कितना वित्तपोषण करने पर सहमति प्रकट की है;

(घ) इससे बैंकों को कहां तक सहायता मिलेगी; और

(ङ) इस समय, उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे किन बैंकों को, यदि कोई हैं, सहायता उपलब्ध कराए जाने का विचार किया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंकों को थोड़े समय के लिये स्वविवेक पुनर्वित्त सहायता देता है ताकि बैंकों के संसाधनों और उनकी निधियों के बीच अस्थायी रूप से जो असमानता आ जाती है, उसे दूर किया जा सके। विवेकाधीन पुनर्वित्त, बैंकों की निधि सम्बन्धी स्थिति की संरचना सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के इरादे से उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को वर्ष 1936-87 में उनकी औसत कुल जमाराशियों के 0 50 प्रतिशत हिस्से के बराबर विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके आधार पर, विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमा की कुल रकम 460.63 करोड़ रुपये बैठती है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर, नकदी सम्बन्धी अस्थायी समस्याओं को दूर करने के वास्ते अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त की व्यवस्था कर सकता है। 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार बैंकों को वास्तविक रूप से मंजूर की गयी कुल सीमा की रकम 404.92 करोड़ रुपये बैंकों ने इसमें से कुल 277.54 करोड़ रुपए की रकम वास्तविक रूप से निकाली है।

**बैलाडिला खानों से लौह-अयस्क का निर्यात**

10526. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानीज स्टील मिल्स ने लौह-अयस्क की ढुलाई के लिए जहाज नामनिर्देशित नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इससे देश के लिए विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ है तथा बैलाडिला खानों में उत्पादन रुक गया है;

(घ) क्या सरकार ने यह मामला जापान सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) और (ख) अप्रैल में जापानी पत्तनों पर भीड़-भाड़ के कारण जापानी स्टील मिल्स द्वारा जहाजों के नामांकन में कुछ कमी आ गई थी।

(ग) विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि अप्रैल में आई कमी को बाद के महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। तथापि, बैलाडिला परियोजना नं० 5 में उत्पादन दिनांक 17-4-90 से 24-4-90 तक आठ दिनों के लिए रुका रहा।

(घ) और (ङ) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) ने यह मामला जापानी क्रेताओं के साथ उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप मई और जून, 1990 के दौरान पर्याप्त संख्या में जहाज नामांकित कर दिए गए हैं।

## राजस्थान में पुष्कर और अजमेर की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या

**[हिन्दी]**

10527. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के अजमेर जिले में प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर और दरगाह शरीफ स्थल की यात्रा पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटक आये और इससे कुल कितने राजस्व की आय हुई ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : राज्य सरकार से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गत 3 वर्षों के दौरान पुष्कर तथा अजमेर की यात्रा करने आए विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है : —

| वर्ष | विदेशी पर्यटकों की संख्या | |
|---|---|---|
| | पुष्कर | अजमेर |
| 1987 | 11,187 | 6,657 |
| 1988 | 11,889 | 7,553 |
| 1989 | 14,104 | 8,097 |

पर्यटन से होने वाली विदेशी-मुद्रा आय का अनुमान राज्यवार अथवा स्थानवार नहीं लगाया जाता।

## भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

[अनुवाद]

10528. श्री मित्रसेन यादव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने समूचे देश में अपने यूनिटों/डिवीजनों में अपने कार्यकारी अधिकारियों के लिए ठोस और व्यापक स्थानान्तरण नीति नियम बनाने हेतु वर्ष 1989-90 में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी नियम तैयार किये हैं;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्थानांतरण नियमों की व्यापक रूप-रेखा क्या है और इन नियमों को भारत पर्यटन विकास निगम में किस तारीख से अधिसूचित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इसी प्रकार के व्यापक और ठोस स्थानान्तरण नियम भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-सरकारी वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी तैयार करके कार्यान्वित किये जाएंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

## अनिवासी भारतीयों द्वारा आयातित फिल्मों पर प्रतिबंध

10529. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
श्री पी० एम० सईद
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री आर० एम० राकेश
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों द्वारा फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से फिल्में आयात करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा फीचर फिल्मों के आयात की नीति की पुनरीक्षा कर रही है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा (अप्रैल, 1990 मार्च, 1993-भाग-।) घोषित आयात-निर्यात नीति के अनुसार राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम पहले ही फिल्मों का आयात कर रहा है। इसमें विदेशी फीचर फिल्मों के वीडियो अधिकारों तथा वीडियो फिल्मों का आयात शामिल हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा यह आयात सरकार द्वारा निगम को जारी की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर सामान्य खुले लाइसेन्स के तहत किया जाता है।

## नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट

10530. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में कुछ विसंगतियों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है और सरकार ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को रियायती दर पर सहायता

10531. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति**
**श्री बालासाहिब विखे पाटिल** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत को एशियाई विकास बैंक से रियायती दर पर सहायता पाने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक ने हमारी सरकार से औद्योगिक विनियमों में ढील देने में और औद्योगिक लाइसेंस देने में उदारता बरतने में तेजी लाकर व्यापार में सुधार करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या नई आयात-निर्यात नीति से उदारीकरण और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने में सहायता मिली है जिससे निजी क्षेत्र एशियाई विकास बैंक की सहायता का लाभ उठा सके;

(च) यदि हां, तो भारतीयों खासकर निजी क्षेत्र की मंजूर किए गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या एशियाई विकास बैंक ने अपने दाता और सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अपनी भावी कार्य संचारात्मक पद्धति और नीतियों का अध्ययन किया है; और

(ज) यदि हां, तो उस अध्ययन की विशेषकर भारत को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में, मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नई निर्यात-आयात नीति में इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

(छ) जी, हां, । एशियाई विकास बैंक ने प्रख्यात विशेषज्ञों के एक विदेशी पैनल द्वारा एक अध्ययन करवाया था। और "दशवें दशक में एशियाई विकास बैंक" नामक अपनी रिपोर्ट में इसके विकासशील सदस्य देशों की उभरती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एशियाई विकास बैंक के लिए भावी संक्रियात्मक तरीकों और नीतियों का सुझाव दिया गया है।

(ज) पैनल की सिफारिशों में सामाजिक आधार भूत ढांचे सम्बन्धी क्षेत्र, विशेष रूप से लोक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तथा गरीबी को दूर करने के लिए, बैंक से उधार को बढ़ाना गरीबों पर सभी परियोजनाओं के प्रभाव की जांच करना, रोजगार पहलू पर विशेष ध्यान देना; सभी परियोजनाओं में पर्यावरणीय जोखिमों को कम से कम करके पर्यावरण का संरक्षण करना; पर्यावरण सम्बन्धी नीति तैयार करने में विकासशील सदस्य देशों की सहायता करना; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र का सम्वर्धन, विकासशील सदस्य देशों के साथ बैंक की नीति सम्बन्धी चर्चा को व्यापक व सुदृढ़ करना, लोक शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं के माध्यम से जनसंख्या के क्षेत्र में बैंक की संक्रियाए; नयी प्राथमिकताओं के समर्थन में तकनीकी सहायता देना; बैंक के एशियाई विकास निधि स्रोतों के लिए विकासशील सदस्य देशों की पात्रता का विस्तार करना; दाता समन्वयन में सक्रिय भागीदारों, बैंक के सह-वित्तीय कार्यकलापों का विस्तार, बैंक संक्रियाओं में वित्तीय नवीकरण करना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक के प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता, छोटे विकासशील सदस्य देशों को बैंक की सहायता देना सम्मिलित हैं।

### पर्यटन का विकास

10532. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को कई वातानुकूलन एककों का आयात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) क्या ऐसे एककों को स्वदेशी स्रोतों से भी प्राप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका आयात करने के क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) अभी हाल ही में सरकार ने 300 वातानुकूलन एककों का आगामी 2 वर्षों के दौरान आयात करने के लिए अनुमति प्रदान की है जिसके लिए भारत पर्यटन विकास निगम को 50 प्रतिशत की घटी हुई दर पर इन आयातों के सम्बन्ध में नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

(ख) अभी तक कोई पक्की कोटेशन प्राप्त नहीं हुई हैं परन्तु एसी सम्भावना है कि 2 वर्ष की अवधि के दौरान 10.50 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

(ग) और (घ) देश में निर्मित बस वातानुकूलक विदेशी पर्यटकों को वैसा आराम नहीं दे पा रहे हैं जिसके वे आदी होते हैं, इसलिए वातानुकूलक एककों को आयात करने की जरूरत महसूस की गई। इन आयातों से भारत पर्यटन विकास निगम सहित पर्यटन उद्योग को विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने में सहायता मिलने की सम्भावना है।

## लघु उद्योग समूह द्वारा नई आयात निर्यात नीति की आलोचना

10533. **श्री समरेन्द्र कुण्डू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग समूह ने सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई आयात-निर्यात नीति के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की है;

(ख) क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो लघु उद्योग समूह किन-किन पहलुओं पर यह महसूस करता है कि उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) से (घ) आयात-निर्यात नीति, 1990-93 की घोषणा के बाद नीति में निहित कुछ प्रावधानों के खिलाफ कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, मूलभूत रूप में ये सुझाव निर्यात स्तर की मंजूरी के लिए निर्धारित उस न्यूनतम सीमा से सम्बन्धित हैं जोकि पहली नीति के दौरान 2 करोड़ रु० की तुलना में नई नीति में निबल विदेशी मुद्रा आय के आधार पर 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। प्राप्त अभिवेदनों के आधार पर निर्यात सदन के रूप में मान्यता के लिए न्यूनतम स्तर उपयुक्त परिवर्ती व्यवस्थाओं के साथ अब 4 करोड़ रुपये तक (निबल विदेशी मुद्रा अर्जन आधार पर) कम कर दी गयी है। ताकि निर्यात सदनों को निर्यात के उपयुक्त स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

## प्रौद्योगिकी वित्त और विकास के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की योजना

10534. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**
**श्री शंकर सिंह वघेला** } : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकीय आविष्कारों को बढ़ावा देने और देश में इनके वाणिज्यिकीकरण के लिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम

लिमिटेड द्वारा आवश्यक वित्त समर्थन की व्यवस्था कराने के लिए वर्ष 1988 के अंत में प्रौद्योगिकी वित्त और विकास की एक नई योजना आरम्भ की गई थी;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ग) साफ्टवेयर डेवेलपमेंट, आर्टीफिसीयल इन्टेलीजेन्स, एजूकेशनल रोबोट्स डिजिटाइज्ड फोन्ट्स कीटनाशी और संकर बीज के लिए "इन्टरमिडियेट्स" के क्षेत्रों में किन परियोजनाओं की सहायता की गई;

(घ) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलने की तथा कितने पूंजी-निवेश की सम्भावना है और इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी एवं प्रौद्योगिक वित्त निगम लि० ने 1988 के अन्त में प्रौद्योगिक वित्त एवं विकास की एक योजना शुरू की थी और मंजूरियां 1989 के शुरू से आरम्भ की गई।

बताया गया है कि 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत कुल 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। उल्लिखित निर्दिष्ट क्षेत्रों में मंजूर की गई कुछ परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :—

| क्र. सं. | क्षेत्र | परियोजना का नाम |
|---|---|---|
| 1. | साफ्टवेयर विकास | सिस्टम्स डायनिमक्स प्रा० लि० नई दिल्ली। |
| 2. | कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफीश्यल इन्टेलीजेन्स) | मिशान्ति इन्जीनियर्स प्रा० लि० कलकत्ता। |
| 3. | शैक्षिक रोबोट | प्रवाक साइबरनेटिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली। |
| 4. | अंकीय समुच्चय (डिजीटाईज्ड फोंट) | आई० टी० आर० ग्राफिक प्रा० लि०, पुणे। |
| 5. | कीटनाशकों के मध्यस्थ | मेवाड़ आयल एण्ड जनरल मिल लि०, उदयपुर<br>ट्रावनकोर कोचीन केमिकल्स लि०, उद्योग मंडल, केरल |
| 6. | संकर बीज | हिन्दुस्तान एग्रीजेनेटिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद। |

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं में, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं परिकल्पित निवेश 1696 लाख रुपए है और 640 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है।

जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिक वित्त निगम का वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल 12 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर करने का प्रस्ताव है।

## महाराष्ट्र में वर्ष 1988-89 के दौरान स्थापित किए गए दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र

10535. **श्री वसन्त साठे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : महाराष्ट्र में वर्ष 1988 और 1989 के दौरान किन-किन स्थानों पर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किये गये और प्रत्येक प्रसारण केन्द्र की क्षमता कितनी है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) :** महाराष्ट्र में वर्ष 1988 और 1989 के दौरान चालू किए गए टी०वी० ट्रांसमीटरों के स्थान और उनकी क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| चालू होने का वर्ष | स्थान | ट्रांसमीटर |
|---|---|---|
| 1988 | गढ़चिरौली | अ.श.ट्रां. (100 वाट) |
| | पुसाड़ | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| 1989 | अचलपुर | अ.श.ट्रा (100 वाट) |
| | अमलनेर | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | बर्शी | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | बम्बई | उ.श.ट्रा. (10 कि.वा.) (द्वितीय चैनल के लिए 1 कि.वा. ट्रांसमीटर के स्थान पर) |
| | चालिस गांव | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | डिगलुर | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | हिंगोली | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | इचलकरंजी | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | किनवट | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | कराड | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | मनमाड | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | नन्दुरबर | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | उस्मानाबाद | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | पन्ढरपुर | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | पुणे | उ.श.ट्रा. (10 कि.वा.) (0.6. कि.वा. ट्रांसमीटर को बदलकर) |
| | शाहद | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |
| | वर्धा | अ.श.ट्रा. (100 वाट) |

## नागपुर में एल्यूमिनियम अनुसन्धान संस्थान

10536. श्री वसन्त साठे क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागपुर में एल्यूमिनियम अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) जी हां, सरकार ने नागपुर में जवाहर लाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसन्धान विकास तथा डिजाइन केन्द्र की स्थापना की मंजूरी दी है; जिसकी अनुमानित लागत यू. एन. डी. पी. की 4.11 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता राशि सहित 15.94 करोड़ रुपये है।

(ख) नागपुर में केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि मिल गयी है। इस स्थल पर आधार-भूत सुविधायें जुटाने का आरम्भिक कार्य शुरू हो गया है। उपकरणों की खरीद तथा वैज्ञानिकों एवं अन्य स्टाफ की भर्ती का काम चल रहा है। यू० एन० डी० पी० के अन्तर्गत केन्द्र निदेशक तथा मुख्य तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति हो गयी है। हंगरी के मैसर्स एलुतर्व—एफ० के० आई० को अन्तर्राष्ट्रीय सब-कन्ट्रैक्टर नियुक्त किया गया है।

केन्द्र को रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

## भंडारा, महाराष्ट्र में मैंगनीज/क्रोमाइट अयस्क भंडार

[हिन्दी]

10537. प्रो० महादेव शिवनकर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के भंडारा जिले में मैंगनीज और क्रोमाइट अयस्क के बहुमूल्य भंडार उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां खनन कार्य शुरू कर दिया गया है और क्या सरकार को इस संबंध में 29 जनवरी, 1990 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) भंडारा जिले के डूंगरी बुजुर्ग, चिकला—एवं हिवारा असोलपानी नो गांव-हिवाड़ा जी० एफ० कान्गो तथा जी० एफ० भवानथली क्षेत्रों में मैंगनीज के तथा पावनी में क्रोमाइट के भण्डार होने की सूचना है।

*(ख) और (ग) अभी केवल डूंगरी बुजुर्ग, चिकला एवं हिवाड़ा और मैंगनीज खानों में खनन हो रहा है।*

भंडारा जिले के चंडी गांव में मैंगनीज और क्रोमाइट अयस्क होने और उनके खनन की संभावनाओं के बारे में माननीय सदस्य का 2-1-1990 का पत्र मिला था। भारतीय खान ब्यूरो की मार्फत इस बाबत जांच करायी गई, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि चन्डी गांव में मैंगनीज तथा क्रोमाइट अयस्क नहीं है।

**औरंगाबाद महाराष्ट्र में आकाशवाणी दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ाना**

10538. **प्रो० महादेव शिवनकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की वर्तमान प्रसारण क्षमता कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता से वृद्धि करने का है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) से (ग)

**आकाशवाणी**

आकाशवाणी, औरंगाबाद में इस समय 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर है। इस केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

**दूरदर्शन**

दूरदर्शन की अनुमोदित सातवीं योजना में औरंगाबाद के अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर उच्च शक्ति (10 किलोवाट) करने की स्कीम शामिल है। औरंगाबाद में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगा दिया गया है और यह 7-5-90 से 1 किलोवाट कम की गयी शक्ति पर कार्य कर रहा है क्योंकि दूरदर्शन टावर से सम्बन्धित कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। टावर पूरा हो जाने पर इस ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर चालू करने का कार्यक्रम है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि**

**[अनुवाद]**

10539. **श्री वी. एस. बासवराज**
**श्रीमती बासव राजेश्वरी** } **: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्धनता निवारण कार्यक्रमों के लिए सहायता देना है; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अप्रैल; 1990 में गौहाटी, असम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की स्थापना की है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण एवं शहरी निर्धन तथा शारीरिक रूप से विकलांग और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में लगी या परिवार कल्याण कार्यक्रमों में लगी स्वैच्छिक संगठनों को स्थापित करना, उनका विकास करना, उन्हें सहयोग देना तथा विकसित करना है। आरम्भ में संस्था का उद्देश्य अपने कार्यों को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ही सीमित रखना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि का दो करोड़ रुपये तक की सचित निधि (कोरपस फण्ड) प्रदान करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत है।

## चमड़े और चमड़ा उत्पादों का निर्यात

10540. **श्री के० योक्का राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़े और चमड़ा-उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए बाजार संवर्धन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निर्यात के कड़े अभियान के लिए कौन-कौन से विशिष्ट बाजारों का पता लगाया जा रहा है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) चर्म उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने वाले बाजार सवर्धन उपायो में विशेषीकृत उत्पादों के लिए सर्वेक्षण, क्रेता-विक्रेता संगठन की बैठक आयोजित करना विक्रय स्थल का प्रायोजन देना, विशेषीकृत वस्तु मेलों में भाग लेना आदि तथा विभिन्न अन्तराष्ट्रीय सहायता एव सहयोग योजनाओं के अन्तर्गत तकनीशियनों को डिजाइन एवं विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ख) पश्चिम यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमरीका और जापान कठोर निर्यात अभियान के अन्तर्गत खोजे जा रहे विशेष बाजार हैं।

## बैंक और वित्तीय संस्थाओं में भर्ती हेतु प्रश्न-पत्र

[हिन्दी]

10541. **कुमारी उमा भारती** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनमें सीधी भर्ती और विभागीय परीक्षाओं में प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी माध्यम से देने की अनुमति नहीं दी जाती है और प्रश्न-पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार नहीं किये जाते हैं; और

(ख) इन परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से उत्तर देने की अनुमति कब तक प्रदान की जायेगी और प्रश्न-पत्र दोनों भाषाओं में तैयार किये जायेंगे ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) जबकि बैंकों के लिए खुली भर्ती परीक्षा विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती है, विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं प्राय: बैंकों द्वारा स्वयं ली जाती हैं या बैंक कर्मचारी चयन संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र द्विभाषिक रूप में तैयार किये जाते हैं और उम्मीदवारों को परीक्षाओं में हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखने का विकल्प दिया जाता है।

अधिकांश बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं अपनी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दे रही हैं और परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र द्विभाषिक रूप में दिये जा रहे हैं। सरकार ने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से सभी परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम उपलब्ध करवाने तथा बिना किसी और देरी के प्रश्न-पत्र द्विभाषिक रूप से में तैयार करने के काम को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

## शुल्क-मुक्त पूंजीगत का सामान का आयात

[अनुवाद]

10542. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
**श्री रामदास सिंह** } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात अनुबंध के एवज में कुछ औद्योगिक इकाइयों को शुल्क मुक्त पूंजीगत सामान का आयात करने की अनुमति इस शर्त पर दी है अथवा दी जायेगी कि उन्हें अपने उत्पाद का निर्धारित प्रतिशत अनिवार्यत: निर्यात करना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) राजस्व विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार ने घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित एककों के लिए निर्यात दायित्व के बदले शुल्क मुक्त पूंजीगत सामान के आयात को न तो अनुमति दी है और न ही अनुमति देने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## पंजाब में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करना

10543. **श्री कमल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पंजाब में स्थापित किए गए आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब में और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) से (ग) पंजाब राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान किसी आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है। तथापि, आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में पंजाब राज्य के भटिंडा और पटियाला में 2×3 किलोवाट एफ० एम० ट्रांसमीटरों, बहु प्रयोजन स्टुडियो, संग्रहण सुविधाओं और स्टाफ क्वाटरों सहित एक-एक अर्थात् कुल दो नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों के 1990 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

## पत्रकारों की काम की दशा

10544. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सम्बद्ध स्वतंत्र पत्रकारों के काम की दशाओं और उनको मिलने वाले भुगतान के बारे में अध्ययन करने का विचार है ताकि उनका शोषण न हो, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ख) उनकी काम की दशाओं में सुधार के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) और (ख) आकाशवाणी या दूरदर्शन के साथ स्थायी आधार पर कोई स्वतंत्र पत्रकार सम्बद्ध नहीं है। विशिष्ट विषय में पत्रकारों की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्यक्रमों के लिए उन्हें बुक किया जाता है और वर्तमान नियमों के अनुसार उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

## बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा आय कर अपवंचन

10545. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृह गैस्ट हाउसेज के रख-रखाव पर भारी मात्रा में खर्च दिखा कर आय कर अपवंचन कर रहे हैं जब कि वास्तविकता यह है कि इन गैस्ट हाउसेज का इन कम्पनियों के निदेशकों के आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान गैस्ट हाउसेज पर प्रत्येक वर्ष में किए गए अनुमानत: व्यय का कम्पनीवार ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) आयकर अधिनियम की धारा 37 4) के अधीन किसी रिहायशी आवास के रख-रखाव पर किसी कर-निर्धारती द्वारा एक अतिथि गृह के रूप में उस पर किए गए किसी व्यय को उक्त कर निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाती है । यदि किसी कम्पनी का कोई निदेशक उक्त कम्पनी के किसी भवन का इस्तेमाल; जिसमें अतिथि-गृह भी शामिल है, यथोचित किराए की अदायगी किए बिना ही अपने रिहायशी-प्रयोजनों के लिए करता है तो आयकर नियमावली के अनुसार सगणित की गयी परिलब्धियों के मूल्य को-उक्त निदेशक की कुल आय में शामिल किया जाता है तथा उस पर कर लगाया जाता है ।

(ख) बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों से संबन्ध रखने वाली कम्पनियों द्वारा, जिनके नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, विगत तीन वर्षों के दौरान अतिथि-गृहों के रख-रखाव पर किए गए व्यय के संबन्ध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी बड़े-बडे औद्योगिक घरानों की उन सभी कम्पनियों के कर-निर्धारण विषयक रिकार्डों का हवाला देना अपेक्षित होगा, जिनका समूचे देश में विविध कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण किया जाता है । इस सूचना को हजारों फाइलों में से एकत्र करन में किया जाने वाला प्रयास तथा लगाया जाने वाला समय उसकी उपयोगिता के अनुरूप नहीं होगा ।

(ग चूंकि अतिथि गृहों के दुरुपयोग को कर-अपवंचन का एक तरीका महसूस किया गया था, इसलिए ऊपर उल्लिखित आयकर अधिनियम की धारा 37 (4) के उपबन्धों को बनाया गया था ताकि आयकर विभाग को किसी रिहायशी आवास के रख रखाव पर एक अतिथि-गृह के रूप में उस पर किए गए समूचे व्यय को अनुमति नहीं देने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

**दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण की समय-सीमा से प्रतिबन्ध हटाना**

10546. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों की समय-सीमा पर लगे प्रतिबन्ध को हटाए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) से (ग) 10

सैकिंड की न्यूनतम निर्धारित अवधि के अलावा प्रमारण के लिए वाणिज्यिक विज्ञापन की लम्बाई पर प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि, किसी विशेष कैपसूल के लिए विज्ञापनों को स्वीकार करना सम्बद्ध कैप्सूल अवधि पर निर्भर करता है।

### एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक

10547. श्रीमती बासव राजेश्वरी
श्री बी० एस० बासवराज } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एशियाई विकास बैंक की तेइसवीं वार्षिक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एशियाई विकास बैंक की नीतियों के निर्माण में विकसित देशों की बहुत अधिक दखलअन्दाजी और ऋणों के लिये शर्तें निर्धारित करने से विकासशील देश परेशानी में पड़ गए; और

(ग) इस वार्षिक बैठक में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक की नीतियां निदेशक बोर्ड द्वारा तय की जाती है, जहां एशियाई देशों की शेयरों में भागीदारी बहुमत में है।

(ग) एशियाई विकास निधि में आगामी पुन: भरण चौथी सामान्य पूंजीगत वृद्धि, विकासशील देशों में निरन्तर बढ़ती गरीबी और टर्की तथा मंगोलिया दोनों देशों के बैंक में प्रवेश सम्बन्धी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, इन मामलों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

### तलाशी और जब्ती के मामले

10548. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार, तलाशी और जब्ती सम्बन्धी कितने मामलों में कर अपवंचन का मूल्यांकन किया जाना बाकी है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान कोई अभियोग चलाए गए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार तलाशी एवं अभिग्रहण के मामलों में 16,211 कर-निर्धारण विचाराधीन थे।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान 8,929 अभियोजन की कार्यवाहियां शुरू की की गई। जिनमें से 595 कार्यवाहियां कर-अपवंचन के लिए शुरू की गईं।

## लोह और इस्पात सामग्री का वितरण

10549. **श्री नकुल नायक**
**श्री केशरी लाल**
**श्री ए० विजयराघवन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाखा बिक्री कार्यालय, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से लाइसेंस युक्त क्षमता तथा पार्टियों की माल उठाने सम्बन्धी हकदारी के मानदण्डों का उल्लंघन करके इस्पात का वितरण किया है;

(ख) विभागीय समिति/सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा क्रमशः दिनांक 21-10-89/1-1-1990 और 26-12-89 को दर्शायी गयी भारी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्टों से सम्बद्ध पार्टियों का, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् अपनी मांग में परिवर्तन करने की अनुमति देने, कम्प्यूटर गणना के बाद बुकिंग लेने अधिक मात्रा में बुकिंग करने और अधिक माल के व्यावहारिक रूप से निर्गम की गयी के रूप में पक्ष लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्टों से सम्बद्ध प्रत्येक पार्टी का इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत अप्रैल, 1989 से जून 1990 तक का प्रति तिमाही ब्यौरा, उसकी लाइसेंस क्षमता, कम्प्यूटर गणना के हिसाब से मांग की तुलना में मद/मात्रावार निर्गम, मद-वार माल उठाये जाने/बुक की गयी और निर्गम की गयी मदों/मात्राओं से सम्बन्धित हकदारी के विवरण सहित, क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्यायमंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) और (ख) बी० एस० ओ० सेल; नई दिल्ली ने जे० पी० सी० के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर लोहे और इस्पात की सामग्री सप्लाई की थी।

दिल्ली शाखाओं से सम्बद्ध/एक पार्टी से शिकायत मिलने पर सेल की आन्तरिक समिति से इसकी जांच करने को कहा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21-10-1989 को पेश कर दी थी। रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गयी। पार्टी द्वारा प्रकाशित मुद्दे दिसम्बर, 89 और जनवरी, 90 में लेखा परीक्षा मेमो की भी विषय वस्तु थी।

वितरण नीति से सम्बन्धित लेखा परीक्षा मेमो का "सेल" द्वारा उत्तर दे दिया गया है, और चेकों को अस्वीकार किये जाने से सम्बन्धित अन्य मामले के बारे में उत्तर भेजा जा रहा है। चूंकि "सेल" विपणन संगठन मुख्यालय का इस मामले के बारे में जानकारी मिली है अत: इस मुद्दों की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए "सेल" ने दो वरिष्ठ स्तरीय समितियां भी नियुक्त की थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि :—

(I) न तो जे० पी० सी० और न ही "सेल" के आन्तरिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किया था।

(II) शाखा ने अनेक वर्षों से प्रचलित पद्धतियों का अनुसारण किया है।

(III सभी बुकिंग सामान रूप से की गई हैं।

(ग) मांग पंजीकरण का एक बाहरी कम्प्यूटर एजेंसी द्वारा सारांशीकृत किया है। इसके साथ-साथ सारांश हाथ से भी तैयार किया जाता है। हाथ से तैयार सारांश का प्रयोग आर्डर बुक करने के लिए किया जाता है। कम्प्यूटर से तैयार किए गए सारांश तथा हाथ से तैयार किए गए सारांश में कुछेक भिन्नता समिति की जानकारी में आई हैं। हांलाकि शाखा को पंजीकरण की अन्तिम तारीख बढ़ाने का अधिकार है फिर भी पंजीकरण की अन्तिम तारीख और कम्प्यूटर सारांश तैयार करने की तारीख में परस्पर निवेशन (जो सामान्यतया चार सप्ताह से अधिक नहीं होती) को नकारा नहीं जा सकता। सतर्कता को इस मामले की और अधिक जांच करने के लिए कहा गया है। इसी बीच पुनरावृत्ति से बचने के लिए कारवाई की गई है। निवेशन, यदि कोई हो, से उन अन्य पार्टियों को मिलने वाली सप्लाई में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, जिन्होंने तिमाही के दौरान सप्लाई के लिए पंजीकरण करवाया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## जापान को निर्यात

10550. डा० वेंकटेश काबड़े : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जापान को चमड़े का सामान, खिलौनों, और हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात करने में किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का जापान को उपर्युक्त वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) व्यापार मंडल ने इस मन्त्रालय को कोई ऐसी सामान्य कठिनाइयां नहीं बताई हैं, जिन्हें जापानी सरकार के साथ उठाया जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना और भारत में उत्पाद विकास-प्रयास।

## हंगरी को लोह अयस्क के टुकड़ों का निर्यात

10551. **श्री वी० कृष्णराव** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने कर्नाटक के कुद्रेमुख से लोह अयस्क के टुकड़े आयात करने के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं ?

(ख) यदि हां तो, हंगरी द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का लोह अयस्क के टुकड़ों का आयात करने का विचार है और इस सौदे की अवधि कितनी है,

(ग) क्या हंगरी कुद्रेमुख से लोह अयस्क टुकड़े आयात करने वाला प्रथम देश है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड (के. आई. ओ. सी. एल.) ने वर्ष 1990 तक के लिए वैध, एक तीन वर्षीय करार किया है जिसके तहत वर्ष 1990 में 6.0 लाख मी. टन पैलेटों का निर्यात किए जाने की संभावना है। मूल्यों के बारे में बताना वाणिज्यिक रूप से कम्पनी के हित में नहीं होगा।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने हाल ही में आगामी 4 वर्षों (1991 से 1994 तक) के लिए हंगरी को पैलेटों का निर्यात करने हेतु एक अन्य करार किया है। आपूर्ति की जाने वाली मात्रा का दायरा 4.0 लाख मी. टन से 7.5 लाख मी. टन वार्षिक के बीच रहेगा। इन आपूर्तियों के मूल्य का निर्धारण संविदागत फार्मूला के आधार पर प्रत्येक वर्ष किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) हंगरी को अब तक निर्यात किए गए प्लेटों की मात्रा निम्नानुसार है :—

| वर्ष | मात्रा (लाख टन) |
|---|---|
| 1986-87 | 0.94 |
| 1987-88 | 4.35 |
| 1988-89 | 5.94 |
| 1989-90 | 5.31 |

**छापों के दौरान स्वर्ण और नशीले पदार्थों का जब्त किया जाना**

[हिन्दी]

10552. **श्री राजवीर सिंह** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान जब्त की गई नकदी, सोना, तस्करी के सामान तथा मादक पदार्थों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा पार से तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। तस्करी-रोधी तन्त्र को विशेषतया तटीय तथा भू-सीमाओं और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों तथा समुद्र पत्तनों के सुगम्य स्थानों पर मजबूत बना दिया गया है। एक्स-रे असबाबी मशीनों, धातु खोजी यन्त्रों, रात को प्रयोग में लाई जाने वाली दूरबीनें आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का—अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने में कार्यरत सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा।

**बैंक लाकरों से चोरी**

10553. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1989 के दौरान बैंक लाकरों से गहनों की चोरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1989 के दौरान बैंक आफ महाराष्ट्र के अमृतसर शाखा में 7/8 जनवरी, 1989 को एक सेंधमारी की घटना की सूचना दी गई थी, जिसमें 44 सेफ डिपाजिट लाकर टूटे पाए गए थे। इसके अलावा, ग्राहकों की दो शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक केनरा बैंक की मैसूर शाखा और दूसरा देना बैंक की पार्क सर्कस (कलकत्ता) शाखा के संबंध में थी, जिनमें लाकरों में से कुछ आभूषणों के लापता होने का आरोप लगाया गया है।

(ग) लाकरों के रख-रखाव और संचालन के लिए बैंकों के अपने आंतरिक अनुदेश/मार्गनिर्देश होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए कहा है जिनमें विशेष रूप से वाल्ट की अवस्थिति, लाकरों का प्रकार, सेंधमारी अलार्म प्रणाली की आवश्यकता और स्थानीय पुलिस के साथ सम्पर्क पर जोर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की कुछ शाखाओं का अध्ययन भी किया है और अपने अध्ययन के आधार पर बैंकों से कहा है कि वे कमियों को दूर करके प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि सुरक्षा जमा कक्षों से वस्तुओं की क्षति न हो।

## जीवन बीमा निगम द्वारा केरल को दी गई वित्तीय सहायता

**[अनुवाद]**

10554. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा केरल को विभिन्न योजनाओं के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम को तत्काल क्षतिपूर्ति की गई है; और

(ग) केरल की कौन-कौन सी योजनाएं जीवन बीमा निगम के विचाराधीन हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) जी, हां।

(ग) कोई नहीं।

## विवरण

(क) पिछले तीन सालों के दौरान केरल की समाजोन्मुखी योजनाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम के निवेश।

(करोड़ रुपए)

| | आयोजना-क्षेत्र | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. राज्य सरकार सामाजिक आवास योजनाएं | 7.33 | 7.36 | 10.62 |
| | 2. जल-आपूर्ति/मल-जल योजनाएं | 6.60 | 8.61 | 9.47 |
| | 3. राज्य विद्युत बोर्ड | 8.34 | 9.17 | 10.10 |
| | 4. राज्य सड़क परिवहन निगम | 3·93 | 3 23 | 3.55 |
| | आयोजना भिन्न क्षेत्र | | | |
| | 1. शिखर (एपेक्स) सहकारी आवास वित्त सोसाइटी | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| | 2. केरल स्वास्थ्य अनुसंधान और कल्याण सोसाइटी | — | — | 0.40 |

(1.70 करोड़ रुपए 1989-90 के दौरान स्वीकृत किए गए थे)

(ख) अन्य वर्गों के अंतर्गत निवेश

(करोड़ रुपए)

| | | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. राज्य सरकार प्रतिभूतियां | 13.20 | 15.09 | 17.28 |
| | 2. भूमि विकास बैंक ऋण-पत्र | 11.72 | 6.80 | 9.43 |
| | 3. विद्युत बोर्ड बांड | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| | 4 वित्तीय निगम बाण्ड और शेयर | — | — | 1.50 |
| | 5. निगमित क्षेत्र (शेयर ऋण-पत्र और कंपनियों को ऋण) | 11,77 | 6.35 | लागू नहीं होता |

## काजू का निर्यात

10555. श्री ए० चार्ल्स : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का संसाधित काजू निर्यात किया गया;

(ख) चालू वर्ष में काजू निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) काजू का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) काजू निर्यात संवर्धन परिषद से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1989-90 के दौरान निर्यात किए गए काजू की गिरी मात्रा एवं मूल्य क्रमशः 45,196 मीट्रिक टन तथा 363.52 करोड़ रुपए थे।

(ख) 1990-91 के दौरान काजू गिरी के निर्यात का अनुमानित लक्ष्य 400 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। इसमें संशोधन किया जा सकता है।

(ग) काजू गिरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) निर्यात खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है;

(2) काजू गिरी के निर्यात पर 10% की आर० ई० पी० प्रदान की गई है;

(3) एक किलो या उससे कम के उपभोक्ता-पैकों में भूनी एवं नमकीन काजू गिरी के निर्यात पर 8% की नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की गई है;

(4) विदेशों में स्थित भारतीयों मिशनों द्वारा प्रचार विभिन्न विदेशी भाषाओं में संवर्धनात्मक साहित्य का प्रकाशन और विदेशों में उसका वितरण किया जाता है।

(5) आयातकों के साथ सम्पर्क को मजबूत करने एवं बढ़ाने के लिये तथा समस्याओं का पता लगाने के लिये निर्यातकों के शिष्टमंडल।

## केरल को वित्तीय सहायता

10556. श्री ए० चार्ल्स : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 90 के दौरान केरल को नियोजित योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि के अलावा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) किन उद्देश्यों के लिये यह सहायता दी गई और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने दी गई सहायता को सही ढंग से और पूरा खर्च किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन मामलों में आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया या दुरुपयोग किया गया है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) राज्य की वार्षिक योजना तथा उस वर्ष की केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त केरल सरकार को 1989-90 के दौरान कुल 636.03 करोड़ रुपये की राशि दी थी, जो नीचे दिखाई गई है :—

(करोड़ रुपये)

| | मदें | राशि | प्रयोजन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्सा | 455.90 | आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य को संसाधनों का अन्तरण |
| (2) | रेल यात्री किराए पर कर के बदले अनुदान | 3.42 | —तदैव-- |
| (3) | प्रशासन के स्तर को सुधारने के लिये अनुदान | 0.87 | नवें वित्त आयोग के कार्यों के लिये 65.00 लाख रुपये और आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रशासन के स्तरों को सुधारने के लिये 22.26 लाख रुपये। |
| (4) | लघु बचतों को निवल उगाहियों के प्रति ऋण | 144.43 | लघु बचतों की इकाइयों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन |
| (5) | बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता | 24.06 | बाढ़ द्वारा प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास |

के और

| | | | |
|---|---|---|---|
| (I) | योजना भिन्न अनुदान | 19.56 | बाढ़ों के कारण अतिग्रस्त |
| (II) | सीमान्त राशि का केन्द्र का हिस्सा | 14.30 | सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत/पुरुद्धार करने के लिए। |
| (6) | 1989-90 में सूखे के कारण केन्द्रीय सहायता (1988.89 का खर्च आदि छोड़कर) | 7.35 | सूखे के कारण सूखे द्वारा प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए। |
| | जोड़ | 636.03 | |

(ग) और (घ) केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्सा तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत रेलवे यात्री किराये पर कर के बदले अनुदान राज्य को सामान्य सहायता के स्वरूप के थे तथा इस प्रकार उनका जारी किया जाना किसी विशेष प्रयोजन से जुड़ा हुआ नहीं था। इसी तरह से, राज्य में निवल उगाहियों के आधार पर दिए गए लघु बचत ऋण किसी विशेष प्रयोजन से नहीं जुड़े हुए थे।

प्रशासन के स्तर को सुधारने और प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिये केन्द्रीय सहायता स्कीमों में हुई प्रगति/पूरा होने के आधार पर दी गई थी।

**प्राकृतिक रबड़ की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर**

10557. **श्री ए० चार्ल्स : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती का विस्तार करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने हेक्टेयर भू-क्षेत्र पर रबड़ की खेती शुरू की गई; और

(घ) अधिक उपज देने वाले रबड़ के पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) :** (क) देश में प्राकृतिक रबड़ की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा किए जा रहे मुख्य उपायों में

शामिल हैं : रबड़ की खेती का विस्तार करके स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना। इस कार्य के लिए आवश्यक आयात भी किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की खेती बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय रबड़ अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना, पौध-शालाओं की स्थापना करना, विस्तार सेवाओं का प्रावधान, रबड़ बागान विकास योजना के तहत आपूर्ति और प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता देना शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान रबड़ के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र नीचे दिए गए हैं :

| वर्ष | क्षेत्र (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| 1987-88 | 4,000 |
| 1988-89 | 6,000 |
| 1989-90 | 8,000 (अनन्तिम) |

(घ) रबड़ बोर्ड द्वारा स्थापित पौध-शालाएं छोटे भूस्वामियों को रियायती दरों पर रोपण सामग्री वितरित करती है। इसके अलावा गैर-सरकारी भू-स्वामियों और रबड़ उपजकर्ताओं की समितियो द्वारा संचालित पौधशालाएं भी रबड़ उपजकर्ताओं को अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री देती है।

10558. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ऐलुमिनियम का उत्पादन कर रहे सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐलुमिनियम के उत्पादन में वृद्धि किए जाने की दिशा में सरकारी क्षेत्र की उक्त कम्पनियों की क्या उपलब्धि रही है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना में ऐलुमिनियम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार किया गया है ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) ऐल्युमिनियम धातु का उत्पादन करने वाली सरकारी सेक्टर की दो कम्पनियां भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) तथा नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि० (नाल्का) हैं।

(ख) सातवीं योजना के दौरान बाल्को का उत्पादन 90% अधिक क्षमता पर हुआ।

नाल्को ने वर्ष 1987-88 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और 25,753 टन का उत्पादन किया, जो क्रमशः बढ़कर सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1989-90 में 135,018 टन हुआ।

(ग) और (घ) जी हां, आठवीं योजना के दौरान कुछ प्राथमिक ऐल्युमिनियम उत्पादक का आधुनिकीकरण और अपनी वर्तमान क्षमता के विस्तार का कार्यक्रम है।

**राज्य-वार दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र**

10559. **श्री ए० विजयराघवन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र और जनसंख्या दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं; और

(ख) पूरे केरल में कब तक दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाए जा सकेंगे?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) :** (क) इस समय विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रवार और जनसंख्यावार दूरदर्शन कवरेज संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 तक कालीकट में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर (विद्यमान अल्प शक्ति) 100 वाट (ट्रांसमीटर को बदलकर) के चालू हो जाने पर केरल के लगभग 97 प्रतिशत क्षेत्र को दूरदर्शन कवरेज के अंतर्गत लाने की उम्मीद है। (इनमें सीमावर्ती सेवा प्राप्त करने वालों के क्षेत्र भी शामिल हैं जहां सन्तोषजनक संग्रहण प्राप्त करने के लिए ऊंचे एन्टिना और बूस्टर आदि की आवश्यकता होती है) केरल में दूरदर्शन कवरेज में और सुधार, इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है।

## विवरण

| क्र० सं० | राज्य | टी. वी. कवरेज (25 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार) कवर होने वाले क्षेत्र का प्रतिशत | कवर हुई जनसंख्या का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 52.7 | 68.5 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 11.0 | 44.4 |
| 3. | असम | 73.1 | 80.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 74.0 | 78.2 |
| 5. | गोवा | 100.0 | 100.0 |
| 6. | गुजरात | 63.0 | 76.8 |
| 7. | हरियाणा | 96.6 | 98.5 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 37.2 | 58.7 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 26.2 | 89.8 |
| 10. | कर्नाटक | 44.4 | 57.1 |
| 11. | केरल | 84.0 | 86.3 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 43.5 | 52.1 |
| 13. | महाराष्ट्र | 50.0 | 68.0 |
| 14. | मणिपुर | 31.3 | 66.4 |
| 15. | मेघालय | 94.6 | 97.2 |
| 16. | मिजोरम | 42.1 | 53.1 |
| 17. | नागालैण्ड | 43.4 | 47.2 |
| 18. | उड़ीसा | 50.0 | 65.5 |
| 19. | पंजाब | 100.0 | 100.0 |
| 20. | राजस्थान | 29.9 | 51.8 |
| 21. | तमिलनाडु | 89.5 | 89.2 |
| 22. | सिक्किम | 36.6 | 63.1 |
| 23. | त्रिपुरा | 93 3 | 93.3 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 75.8 | 87.6 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 94.3 | 95 1 |
| | संघ शासित क्षेत्र | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 23.00 | 99.0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. चंडीगढ़ | *100.0* | *100.0* |
| 3. दादर और नागर हवेली | *40.0* | *43.6* |
| 4. दिल्ली | 100.0 | 100.0 |
| 5. दमण और दिव | 100.0 | 100.0 |
| 6. पांडिचेरी | 100.0 | 100.0 |
| 7. लक्ष द्विप समूह | 99.00 | 99.0 |
| राष्ट्रीय औसत | 55.3 | 76.7 |

नोट : 1. उपरिल्लिखित कवरेज आंकड़ों में सीमान्त क्षेत्र शामिल हैं, जहां सतोषजनक रिसेप्शन के लिये ऊंचे एंटीना तथा बूस्टर आदि लगाने पड़ते हैं।

2. कवरेज आंकड़ों का परिकलन करते समय भूभागीय परिस्थितियों को हिसाब में नहीं लिया गया है।

**खनन क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्ति**

10560. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितना क्षेत्र खनन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;

(ख) खनन क्षेत्र के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को लाने की क्या समग्र योजना बनाई गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खनन कार्य के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों से कितने व्यक्ति विस्थापित हुए और वर्ष 1990-91 में कितने व्यक्तियों के विस्थापित होने की संभावना है ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) से (ग) देश में खनि पट्टों के अंतर्गत समाहित कुल क्षेत्र 9,26,923 हेक्टर है।

नये क्षेत्रों को खनि कार्यों के अन्तर्गत लाना क्षेत्र की खनिज सम्पन्नता और खनिज की मांग सहित विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। इस बारे में कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं है।

खनि क्षेत्रों से सामान्यत: बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन नहीं हुआ है। बड़ी खनन परियोजनाओं के प्रसंग में कुछ विस्थापन होता है और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की जरूरत होती है तथा परियोजना प्राधिकरणों द्वारा उनके पुनर्वास के उपाय अनिवार्यत: किये जाते हैं।

## खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा लोहे की खरीद और निर्यात

10561. श्री गोपीनाथ गजपति राजू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न लौह अयस्क खानों में लौह अयस्क का भण्डार जमा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने लौह अयस्क की खरीद और निर्यात कम कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जापानी इस्पात मिलों द्वारा विजाग पत्तन के लिए जहाजों के नामांकन में हुए विलम्ब के फलस्वरूप बेलाडीला खानों पर अप्रैल, 1990 में लौह अयस्क के कुछ स्टाक जमा हो गए थे जिसका कारण जापानी पत्तनों पर भीड़-भाड़ होना था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## काफी बोर्ड के बिक्री केन्द्र

10562. श्री एच०सी० श्रीकांतय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में काफी बोर्ड के बिक्री केन्द्र सप्ताह में पांच दिन खुलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनता की सुविधा के लिए इन बिक्री केन्द्रों का छः दिन का सप्ताह लागू करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) जी हां। काफी बोर्ड के सभी कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय सप्ताह (40 घंटे) को देखते हुए यह महत्वपूर्ण होगा कि काफी बोर्ड के रिटेल डिपों के लिए पृथक मानदंड अपनाना सम्भव नहीं होगा ।

## विदेशी मुद्रा के लेन देन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्र और कवर आपरेशन

10563. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली में विदेशी मुद्रा लेन-देन केन्द्र खोले हैं और वहां डीलरों को नियुक्त किया है जिससे विदेशी मुद्रा लेन-देन और कवर आपरेशन को विकेन्द्रीकृत किया जा सके जो अब तक इसके विदेशी मुद्रा विभाग, कलकत्ता में केन्द्रीकृत थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने केवल वाणिज्यिक आवश्यकताओं और विदेशी बैंकों सहित अन्य बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा के मामले में होने वाली प्रतियोगिता के कारण ही बम्बई, मद्रास और दिल्ली में लेन-देन कक्ष स्थापित किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, इन केन्द्रों में लेन-देन कक्षों की स्थापना के बाद भी विदेशी मुद्रा का कार्य और कवर आपरेशन का काम केन्द्रीय रूप से विदेश विभाग, कलकत्ता में ही किया जा रहा है।

**पर्वतीय पर्यटन स्थानों पर होटलों का निर्माण करने की योजना**

**[हिन्दी]**

10564. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विदेशी पर्यटकों को आवास सम्बन्धी और अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से देश के पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थानों पर होटलों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक आवासों का विकास करने के लिए होटल उद्योग को वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) और (ख) जी, हां। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटक केन्द्रों पर बनने वाले होटलों में पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से, पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 फुट से ऊपर स्थापित नए अनुमोदित होटलों को, जिनमें उचित मानक (3-स्टार और उससे ऊपर) के 300 से अधिक कमरे न हों, 10 वर्ष की अवधि के लिए व्यय कर से छूट मिलेगी और साथ ही आय-कर अधिनियम की धारा 80-आई के अंतर्गत कर में 50% की छूट भी दी जाएगी बशर्ते कि होटल दिसम्बर 1993 तक चालू हो जाए।

(ग) और घ) होटलों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थानों की स्थापना की गई है।

**उत्तर प्रदेश में धारचूला में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना**

10565. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले के कुछ सीमान्त क्षेत्रों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम नहीं पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र के निवासियों के हित के लिए धारचूला में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार को अनेक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर 1990-91 में एक आकाशवाणी केन्द्र मंजूर करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के सीमान्त क्षेत्रों में मीडियम वेव पर आकाशवाणी के कार्यक्रम नहीं पहुंचते हैं। तथापि, इस जिले में शार्टवेव पर लखनऊ तथा दिल्ली से सेवा उपलब्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान धारचूला में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। धारचूला को लखनऊ तथा दिल्ली के 10 कि० वा० शा० वेव ट्रांसमीटरों से शार्टवेव सेवा प्राप्त हो रही है। आकाशवाणी के सातवीं योजना प्रस्तावों में लखनऊ तथा दिल्ली के शार्टवेव ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाकर 50 कि० वा० शा० वेव करने की स्कीमें शामिल हैं। जब ये ट्रांसमीटर चालू हो जाएंगे तो आशा है कि धारचूला सहित समूचे पिथौरागढ़ को अतिरिक्त शार्टवेव सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

## फलों का निर्यात

10566. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान फलों के निर्यात हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में फलों का निर्यात किया जाएगा; और

(ग) किन-किन फलों का निर्यात करने का प्रस्ताव है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान फलों के निर्यात हेतु कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात सम्वर्धन के प्रयोजन से सरकार द्वारा गठित दि एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्राडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलमेंट अथारिटी (एपीडा) फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और नए बाजार विकसित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, आदि शामिल है। वर्ष 1990-91 के दौरान फलों के निर्यात का पक्का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण आदि जैसे अनेक

कारकों पर निर्भर करेगा। जिन फलों का निर्यात किया जा रहा है उनके नाम हैं : आम, अंगूर, सेब, चीकू, नीबू जाति के फल, तरबूज आदि।

**उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में बैंक शाखाएं खोलना**

10567. **श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखायें खोली गई; और

(ख) वे किन-किन स्थानों पर खोली गई हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख)** वर्ष 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के मींड़ा और मुक्खु में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दो शाखाएं खोली गई थीं।

**विदेशी बैंक**

[अनुवाद]

10568. **श्री एम० एम० पल्लम राजू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से विदेशी बैंक चल रहे हैं तथा इनकी शाखाएं कहां-कहां हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इन सभी विदेशी बैंकों को कितना-कितना लाभ हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इन बैंकों की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि/निक्षेप कितना-कितना रहा; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन बैंकों ने कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजी ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) से (घ)** सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा सांविधियों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**ग्रेनाइट का निर्यात**

10569. **श्री एम० एम० पल्लम राजू : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क)** गत तीन वर्षों के दौरान कितना परिष्कृत ग्रेनाइट प्रतिवर्ष निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) किन-किन देशों को अधिकांश परिष्कृत ग्रेनाइट निर्यात किया जाता है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कौन-कौन से देश भारत के मूल प्रतिस्पर्धी हैं; और

(घ) ग्रेनाइट उद्योग को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टाइल्स सहित पालिश किए हुए ग्रेनाइट का अनुमानित निर्यात निम्नलिखित है :

| | | |
|---|---|---|
| 1987-88 | — | 895 लाख रुपए |
| 1988-89 | — | 1400 लाख रुपए |
| 1989-90 | — | 2300 लाख रुपए |

(ख) पालिश किए हुए भारतीय ग्रेनाइट के मुख्य क्रेता जापान, ब्रिटेन, यू.एस.ए. पश्चिम जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर हैं।

(ग) भारतीय ग्रेनाइट के प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यू०एस०ए० कनाडा आदि हैं।

(घ) ग्रेनाइट उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में से कुछ नीचे दिए गए हैं—तराशे गए और पालिश किए गए ग्रेनाइट के निर्यात उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन, ग्रेनाइट के पट्टों के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थायी नीतियों की घोषणा करना, प्रयासों के लिए ग्रेनाइट उद्योग को थ्रस्ट क्षेत्र में शामिल करना आदि।

### विदेशों में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान

10570. श्री एम०एम० पल्लम राजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में हमारे वित्तीय संस्थान कितने सफल रहे हैं;

(ख) विदेशों में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन देशों में उक्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं;

(ग) क्या विदेशी बैंकों को देश में शुल्क लेकर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दिए जाने के बारे में नियमों में कोई छूट देने का विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) इस समय बाहर के

25 देशों में 9 भारतीय बैंक कार्य कर रहे हैं, इन देशों में ये बैंक विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात व्यवसाय का वित्त पोषण, अप्रलेखी साख-पत्र आदि सहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन बैंकों ने भारत सम्बद्ध व्यापार वित्त पोषण, अनिवासी निवेशों के प्रवाह का संवर्धन, तदनुरूपी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने एवं भारतीय कम्पनियों के लिए संसाधन जुटाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मेरिल लिंच के सहयोग से 1988 में अनिवासी भारतीयों से निधियां जुटाने के लिए भारतीय विकास निधि नाम की एक समुद्र पारीय निधि आरम्भ की। यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, उपलब्ध होने पर, विदेशों में परामर्शी सेवाओं का कार्य भी हाथ में लेता है। भारतीय बैंकों के नाम और जहां ये कार्य कर रहे हैं, उन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों को उनकी वित्तीय सेवाओं के प्रदान करने में किसी तरह की रियायत देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## विवरण

| | बैंक का नाम | देशों के नाम जहां समुद्र-पारीय शाखाएं कार्यरत हैं |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक | यू०के०, यू०एस०ए०, बंगला देश, बाहमास, बहरीन, बैल्जियम, फ्रांस, जापान, हांग-कांग, पनामा, सिंगापुर, श्रीलंका, मालद्वीव समूह द्वीप समूह, पूर्वी जर्मनी, कैमे आइलैण्ड्स, |
| 2. | बैंक आफ इण्डिया | यू० के०, यू० एस० ए०, जापान हांग-कांग; सिंगापुर, ओमान आइलैण्ड्स, फ्रांस केनया, चैनल आइलण्ड्स, |
| 3. | बैंक आफ बड़ौदा | यू० के०, यू० एस० ए०, बाहमा, बैहरीन, बैल्जियम, फिजी आइलैण्ड्स, गोयाना, केनया, मोरिशस दुबई, सिषली, ओमान |
| 4. | इण्डियन ओवरसीज बैंक | श्रीलंका, सिंगापुर, हांग-कांग, साउथ कोरिया |
| 5. | इण्डियन बैंक | श्रीलंका, सिंगापुर |
| 6. | यूको बैंक | यू०के०, सिंगापुर, हांग-कांग |
| 7. | केनरा बैंक | यू०के०, |
| 8. | सिंडिकेट बैंक | यू०के०, |
| 9. | भारत ओवरसीज बैंक | थाइलैण्ड |

**आर्थिक केन्द्रीकरण और जनसंख्या विभाजन के बारे में अध्ययन**

10571 **श्री ए० के० राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच आर्थिक केन्द्रीकरण और जनसंख्या विभाजन के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में वेतन न पाने वाले, जो आय कर की सीमा में है, आयकर के दायरे से बच जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जनसंख्या के व्यय-वितरण का अध्ययन करने के लिए घरेलू खपत व्यय का सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के नवीनतम दौर अर्थात् 43वां दौर (1987-88) से प्राप्त अनन्तिम परिणामों के आधार पर दो आर्थिक समूहों नामतः "निर्धन" तथा "गैर-निर्धन" के बीच जनसंख्या का बंटवारा निम्नानुसार किया गया है :—

| | व्यक्तियों की संख्या (मिलियन में | कुल व्यक्तियों का प्रतिशत अनुपात |
|---|---|---|
| निर्धन | 232 | 29.2 |
| गैर-निर्धन | 563 | 70.8 |

(ग) और (घ) ऐसे व्यक्तियों की सही सही संख्या का अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है, जिनके पास करयोग्य आय तो है लेकिन वे आयकर के जाल से बाहर हैं। फिर भी, आयकर विभाग सभी श्रेणियों के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है, जिनके पास कर योग्य आय तो है लेकिन अभी तक उन पर कर नहीं लगाया गया है। ऐसे सभी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए निरीक्षण स्कंध आयकर अधिनियम की धारा 133 क के अध्यधीन व्यापारिक तथा वाणिज्यिक परिसरों का सर्वेक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सूचना शाखाएं भी ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्र करती हैं तथा उसकी जांच-पड़ताल करती हैं।

**विदेशों के साथ समझौते**

[हिन्दी]

10572. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

जनवरी, 1989 से 31 मार्च 1990 के दौरान भारत ने किन-किन देशों के साथ व्यापार समझौते किए और इन समझौतों के अंतर्गत आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

| | देशों के नाम | करार जिन पर हस्ताक्षर किए गए | इन करारों के तहत आयात तथा निर्यात होने वाले माल के ब्यौरे |
|---|---|---|---|
| 1. | भूटान | भारत तथा भूटान के बीच दिनांक 2.3.1990 को व्यापार एवं वाणिज्य करार पर हस्ताक्षर हुए। | इन व्यापार करारों में आयात एवं निर्यात के लिए माल का कोई उल्लेख नहीं था। |
| 2. | बांग्लादेश | भारत तथा बांग्लादेश के बीच हुए व्यापार करार की वैधता अवधि दिनांक 3.10.1989 से तीन वर्षों के लिए बढ़ाई गई। | |
| 3. | बेल्गो-लग्जेम्बर्ग इकानामिक यूनियन | दिनांक 26.3.1990 को आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी निगम पर करार। | इस करार में आयात तथा निर्यात होने वाले माल के ब्यौरों का उल्लेख नहीं किया गया है। |

### मध्य प्रदेश में खनिजों का खनन

10573. **श्री रेशम लाल जांगड़े**
**श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 से दिसम्बर, 1989 के दौरान, वर्षवार मध्य प्रदेश की खानों से कितनी मात्रा में कोयले, लोहे, कोरंडम टिन, डोलोमाइट, तांबे, हीरे और चूना-पत्थर का खनन किया गया तथा उस समय उनका बाजार भाव क्या था; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को इन खनिजों के लिए रायल्टी की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी, : (क) केन्द्र सरकार द्वारा सामान्यतः सीधे कोई खनन कार्य नहीं किया जाता।

केन्द्र सरकार ने 1984 से दिसम्बर, 1989 के दौरान मध्य प्रदेश में ऐसा कोई खनन कार्य नहीं किया।

(ख) राज्य सरकार को पट्टाधारी द्वारा ही रायल्टी देय होती है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के आलोक में, केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश शासन को रायल्टी अदायगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

**बस्तर से जापान को लौह अयस्क का निर्यात**

[अनुवाद]

10574. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार ने बस्तर से जापान को अयस्क के निर्यात से कितना राजस्व अर्जित किया; और

(ख) बस्तर से लौह अयस्क के निर्यात की दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम०एम०टी०सी० द्वारा बस्तर क्षेत्र से जापान को निर्यात किए गए बैलाडीला लौह अयस्क का बिक्री मूल्य निम्नानुसार है :

| वर्ष | मूल्य (रुपए/करोड़) |
|---|---|
| 1987-88 | 119.69 |
| 1988-89 | 163.42 |
| 1989-90 (अनन्तिम) | 203.83 |

(ख) बस्तर से बैलाडीला लौह अयस्क के ढलों की निर्यात वचनबद्धता वर्ष 1990-91 के लिए कम कर दी गयी है। इस किस्म के अयस्क की घरेलू मांग के कारण ऐसा किया गया है।

**मध्य प्रदेश में सोने का भण्डार**

[हिन्दी]

10575. **श्री रेशम लाल जांगड़े** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर और रायगढ़ जिलों के कुछ गांवों में बड़ी संख्या में लोग बालू को छान कर सोना निकाल रहे हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश में सोने का पता लगाने का कभी कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में और उसका क्या परिणाम निकला ?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से मिली सूचना के अनुसार, रायगढ़ जिले के बजोर, तपकरा, फर-जबाहर, मन्देरबहर, पन्डरीपानी, खुटगांव, कन्हाई भर, सेमर कच्छार, गरियाबन्द, सबदमुण्डा, सोनाजपुरी नाला भद्रखुण्डा नाला, गरीघाट नाला, आदि स्थानों तथा रायपुर जिले के बाघमारा, देवगांव, सोना झरिया नाला के डूमरपाली चीनी क्षेत्र, बजालपुर और खरनकोई तथा कुम्हारी आदि की बालू को छानने से अति अल्प मात्रा में बजरी स्वर्ण मिलने की सूचना है ।

(ग) और घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रायगढ़ जिले के धरमजय-गढ़ और जसपुर तहसीलों में तफरा-पर्डार-पानी लुडे क्षेत्रों में स्वर्ण खनिजीकरण के बारे में सन् 1981 से प्रारंभिक मूल्यांकन कर रहा है । अब तक के कार्य से, प्राथमिक जोनों के बेड राक में 0.1 से 8 2 पी.पी.एम. रेशीडुअल मिट्टी में 0.1 से 0.7 पी०पी०एम०, तथा प्रवाल जोनों/एलूवियन प्लेसर्स में 0.1 ग्राम से 0.8 ग्राम/टन मात्रा में स्वर्ण के संकेत मिले हैं ।

**बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा कन्नड़ फीचर फिल्में दिखाया जाना**

[अनुवाद]

10576. **श्री एच०सी० श्रीकांतय्या** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रत्येक शनिवार को कन्नड़ फीचर फिल्म दिखाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रत्येक रविवार को कन्नड फीचर फिल्म दिखाए जाने के लिए कदम उठाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक शनिवार को क्षेत्रीय कन्नड़ भाषा के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त समय आबंटित करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर से शनिवार को क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रसारण पहले ही सप्ताह के अन्य दिनों से आधा घंटा पूर्व शुरू हो जाता है।

### बंगलौर दूरदर्शन द्वारा कन्नड़ दूरदर्शन धारावाहिक का प्रसारण

10577. श्री एच० सी० श्रीकांतय्या : क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और के दौरान बंगलौर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कन्नड़ दूरदर्शन धारावाहिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन धारावाहिकों के निर्देशकों के नाम क्या क्या हैं और उन्हें बंगलौर दूरदर्शन से कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या बंगलौर दूरदर्शन कुछ ही निर्देशकों द्वारा निर्मित धारावाहिकों में से चयन करता है; और

(घ) कन्नड़ दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी. उपेन्द्र)** : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर से वर्ष 1988-89 में सात तथा 1989-90 मे 22 कन्नड़ धारावाहिक दिखाए गए। इन धारावाहिकों के निर्देशकों नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये सभी प्रायोजित टी० वी० धारावाहिक जिनके लिए दूरदर्शन द्वारा उनके निर्देशकों को कोई राशि देने की जरूरत नहीं थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सभी दूरदर्शन धारावाहिकों जिनमें कन्नड़ धारावाहिक भी शामिल हैं, का चयन पट-कथा के गणों निर्देशक और निर्माता दल के अन्य सदस्यों की साख तथा कार्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

### विवरण

वर्ष 1988-89 में प्रसारित धारावाहिक

| धारावाहिक का नाम | निर्देशक का नाम |
|---|---|
| 1. कण्डक्टर करियप्पा | महादेवन |
| 2. वैद्य नारायण हरि | विश्व प्रसाद |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | जन जीवन | जी०आर० श्रीनिवास |
| 4. | कृष्णा नी बेजने बारो | एच०एम०के० मूर्ति |
| 5. | सप्तस्वर | गोबिन्द |
| 6. | बिसिलु कुदुरे। | श्याम सुन्दर |
| 7. | नम्बर 55 | बी०एन० चन्द्रकांत |
| | वर्ष 1989-90 में प्रसारित धारावाहिक | |
| 1. | सवंदागुल | ए०एन० प्रसन्ना |
| 2. | आसफगलि नूराऊ। | राजवर्धन |
| 3. | बिसिलु कुदुरे-2 | श्याम सुन्दर |
| 4. | हिम श्वेता | पद्मिनी रामचन्द्रा |
| 5. | कावेरी | विश्व प्रसाद |
| 6. | परिवर्तन | रवि किरण और महादेव |
| 7. | असेगलु नूराऊ-2 | राजवर्धन |
| 8. | प्रेमावेन्दरे इदे इदे | रवि किरण |
| 9. | चन्द्र चकोरी | श्रीधर |
| 10. | दोड्डा मने | राघवेन्द्र |
| 11. | मेकेनिक मुद्दा | रमेश भट्ट |
| 12. | अलेगलु | कट्टा रामचन्द्र |
| 13. | मि० टेनेंट | सिद्दी कहि चन्द्रशु |
| 14. | नम्मा नम्माली | अर्जुन देव और टी.एन. नरसिम्हन |
| 15. | प्रेमदा करंजी | विश्व प्रसाद |
| 16. | क्रेजी कोलंनल | लिंगराज |
| 17. | नागालेसू | कट्टारामचन्द्र |
| 18. | नीब्यू नाब्यू | ए०एस० मूर्ति |
| 19. | बदुकु बन्नाडा चित्तरा | एच०टी० नगेन्द्रप्पा |
| 20. | स्फोटा | आर. नागेश |
| 21. | कन्ना मुचे काडु कोडे | आर०एस० कौशिक |
| 22. | प्रीति प्रेम | अर्जुन देव |

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सभागार (आडिटोरियम)

10578. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा किन-किन स्थानों पर आडिटोरियम बनाए गए हैं,

(ख) क्या इन सभागारों को प्राइवेट पार्टियों के लिए भी बुकिंग की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इन सभागारों की बुकिंग और शुल्क का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार वर्ष 1990 और 1991 के दौरान ऐसे कुछ और सभागारों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपने निम्नलिखित सभागार हैं।

(1) सिरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली

(2) फिल्म प्रभाग सभागार, महादेव रोड, नई नई दिल्ली

(3) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सभागार, बम्बई

(4) आकाशवाणी सभागार, बम्बई

(5) आकाशवाणी सभागार, नई दिल्ली

(6) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सभागार, पुणे

(ख) उपरिल्लिखित (1) से (3) तक के सभागारों की प्राइवेट पार्टियों के लिए बुकिंग की जाती है।

(ग) प्राइवेट बुकिंग पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर की जाती है। बुकिंग प्रभार का विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी हां। आकाशवाणी का पुणे में एक छोटा सभागार तथा मद्रास में एक रिकार्डिंग सह-सभागार का निर्माण करने का कार्यक्रम है।

### विवरण

1. सिरी फोर्ट आडिटोरियम, नई दिल्ली

(क) नाटक/सांस्कृतिक कार्यक्रम :

प्रातःकालीन एक शो (प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7,500/- रुपये

सांयकालीन एक शो (सांय 4.00 बजे से रात्रि 10,00 बजे तक)
10,000/- रुपये

अतिरिक्त शो (उसी दिन)- 4,500/- रुपये (अधिकतम 3 घंटे)

पूर्वाभ्यास :—

| | |
|---|---|
| (1) प्रातः कालीन सत्र (वातानुकूलन सहित) | -7,500/- रुपये |
| (2) प्रातः कालीन सत्र (बिना वातनुकूलन के) | -3,000/- रुपये |
| (3) सांयकालीन सत्र (वातानुकूलन सहित) | -7,500/- रुपये |
| (4) सांयकालीन सत्र (बिना वातानुकूलन के) | -5,000/- रुपये |
| (ख) सिनेमा शो | |
| (1) केवल एक शो के लिए | -10,000/- रुपये |
| (2) एक शो से अधिक के लिए :— | |
| पहला शो | 10,000/-रुपये |
| दूसरा शो | 10,000/- रुपये |
| तीसरा शो | 8-000/- रुपये |
| बाद के शो (प्रत्येक शो) | 6,000/- रुपये |
| (ग) सम्मेलन : | |
| अधिकतम आठ घटे | 12,000/- रुपये |
| आठ घंटे से अधिक होने पर प्रत्येक 1 घंटे के लिए 2,000/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क | |

टिप्पणी :—समागार किराये पर लेने वाली पार्टी आवश्यकतानुसार निम्नलिखित अतिरिक्त स्थान भी प्रत्येक के सामने दर्शाये गये शुल्क पर ले सकती है :—

1. सिरी फोर्ट सांस्कृतिक केन्द्र काम्पलेक्स में कार्यालय कमरे
   211/-रु. प्रति कमरा प्रतिदिन/प्रति शो

2. दो ग्रीन रूम तथा बैक स्टेज :
   498/- रु० प्रतिदिन/प्रति शो

II. फिल्म प्रभाग सभागार, नई दिल्ली

| | |
|---|---|
| (1) सप्ताह के दिनों में कार्यालय समय में शो पहले एक घंटे या उसके एक भाग के लिए | -260/- रु० |
| (2) प्रत्येक अतिरिक्त आधे घंटे या उसके भाग के लिए | |
| (3) रविवार, छुट्टी के दिन तथा सप्ताह के दिनों में कार्यालय समय के बाद शो | -330/- रु० |
| (4) प्रत्येक अतिरिक्त आधे घंटे या उसके भाग के लिए | 165/- रु० |
| 11 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बम्बई प्रत्येक शो शुल्क | 800/- रु० |

**नववर्ष की पूर्व, संध्या पर आयोजित कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए श्रोताओं/दर्शकों को आमंत्रित करना**

10579. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नववर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के सम्बन्धियों/परिचितों को दर्शक के रूप में आमंत्रित करने के बजाय आम जनता को आमंत्रित करने के मानदण्ड को व्यापक बनाने का है;

(ख) यदि हां; तो इस मानदण्ड को कब तक व्यापक बनाया जायेगा, और

(ग) इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) से (ग) नववर्ष की पूर्व संध्या पर तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जाता है। दर्शकों को उनसे प्राप्त अनुरोधों और ऐसे कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किए जाने वाले दर्शकों के पैनल के आधार पर आमंत्रित किया जाता है जिसे श्रोता अनुसंधान एकक तैयार करता है।

**वैष्णोदेवी मन्दिर पर पर्यटन सुविधाएं**

10580. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वैष्णोदेवी मन्दिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है,

(ख) क्या पर्यटन विभाग ने वहां अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये है;

(ग) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष और आगामी दो वर्षों में दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल-मलिक)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर आधारिक-संरचनात्मक सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे प्रस्तावों पर उनके गुणावगुणों, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में जम्मू-कश्मीर सरकार से ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कन्सल्टेंटस लिमिटेड**

10581. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कन्सलटेंट्स लिमिटेड की वित्तीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाता है; और

(ख) क्या एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कन्सल्टेंट्स लिमिटेड में कर्मचारियों की नियुक्ति ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बोर्ड द्वारा की जाती है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि एग्रीकल्चरल फाइनन्स कन्सलटेंट्स लि० की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति (1) परियोजना तैयार करने, मूल्यांकन करने, निगरानी और अन्य अध्ययनों से प्राप्त परामर्श शुल्क तथा (2) सदस्य बैंकों और सरकारी क्षेत्र के निगमों में निवेश निधि से अर्जित ब्याज से की जाती है।

(ख) जी नहीं।

**दिल्ली में सूरी ब्रदर्स के कार्यालय परिसरों में छापे**

10582. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशक और आयकर विभाग ने इस महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान दिल्ली में सूरी ब्रदर्स के कार्यालय और आवास परिसरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो छापों के दौरान जब्त किये गये अभिशंसी दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 2 मई, 1990 को तलाशियां ली गई थीं। आयकर, विभाग के अधिकारियों को भी उनमें शामिल किया गया था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सीमा शुल्क और आयकर की दृष्टि से कतिपय अपराध-आरोपणीय दस्तावेज अभिग्रहीत किए गए हैं।

(ग) राजस्व-एजेन्सियों द्वारा जांच-पड़ताल पूरी किए जाने पर संगत कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

**पंजाब को ओवरड्राफ्ट सुविधा**

10583. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से पंजाब सरकार को ओवरड्राफ्ट वापस करने के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) क्या पंजाब सरकार ओवरड्राफ्ट को समय पर वापस कर रही है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**पंजाब में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों द्वारा कर अपवंचन**

10584. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में स्टील के बर्तन बनाने वाली विभिन्न फैक्ट्रियां, जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं हैं, बिक्री व खरीद का कोई लेखा-जोखा नहीं रख रही हैं और इस प्रकार करों का अपवंचन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो फैक्ट्रियों द्वारा कर अपवंचन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार की फैक्ट्रियों द्वारा किए गए कर अपवंचन के कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) बर्तनों पर केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत शुल्क से छूट प्राप्त है।

जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 44 ए ए में विनिर्दिष्ट है, बर्तन बनाने वालों को, जिनकी आय 25,000/- रु. से अधिक हो अथवा जिनका कुल व्यवसाय 2,50,000/-रु० से अधिक हो अथवा जिनका कुल व्यवसाय 2,50,000/-रु० हो, लेखा-जोखा रखना अपेक्षित होता है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान आयकर-अपवंचन का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

**हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा मशीनों का आयात**

10585. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने हाल ही में कई मशीनों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो आयात की गई मशीनों का ब्यौरा क्या है और इन मशीनों का आयात किस प्रयोजन के लिए किया गया है;

(ग) उन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनसे इन मशीनों का आयात किया गया है;

(घ) क्या इन मशीनों में कोई खराबी पायी गयी है; और

(ङ) यदि हां; तो सरकार ने दोषयुक्त मशीनों के आयात के लिए क्या जिम्मेदारी की है?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र जा रही है।

**प्रकाश-सुग्राही (फोटोसेन्सिटिव) पदार्थों के आयात और वितरण हेतु लाइसेंस**

10586. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने सरकार से प्रकाश सुग्राही (फोटोसेन्सिटिव) पदार्थों के आयात और वितरण हेतु लाइसेंस देने की प्रथा को समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार का प्रकाश-सुग्राही (फोटोसेन्सिटिव) पदार्थों के आयात और वितरण पर लाइसेन्स की प्रथा समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वदेश में ही उपलब्ध होने के कारण कुछ विशेष प्रकार की एक्सरे फिल्मों जैसे (1) लो-डोज मैमोग्राफिक फिल्मस (2) मोस मिनिमेचर फिल्मस (3) चैन्जर्स के लिये प्रयुक्त होने वाली विशेष प्रकार की एक्सरे फिल्म (4) कैट-स्कैनर्स के लिए एक्सरे फिल्मस को नई आयात-निर्यात नीति 1990-93 में इन्हें खुले आम लाइसेंस से हटाकर सीमित अनुमेय सूची में शामिल किया गया है। ऐसा उपमहानिदेशक स्वास्थ्य सेवा की अध्यक्षता में गठित कुशल रेडियोलोजिस्ट की समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। अन्य प्रकार के प्रकाश सुग्राहीकृत माल के आयात की अनुमति खुले आम लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है।

## विवादग्रस्त अप्रत्यक्ष कर

10587. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रत्यक्ष करों और विशेष रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बहुत बड़ी धनराशि विवाद में फंसी है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने के लिए निपटान आयोग के पैटर्न पर एक मंच की स्थापना करने की विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था पर विचाराधीन है।

## सातवीं योजना के दौरान पंजाब में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

10588. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में कितने और कहां-कहां आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये हैं,

(ख) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान पंजाब में नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो उनकी स्थापना के लिये किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब राज्य में कोई नया आकाशवाणी केन्द्र चालू नहीं किया गया है। तथापि, आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में भटिंडा तथा पटियाला में नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें हैं। इन केन्द्रों क वर्ष 1990 के दौरान चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

*(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक लक्ष्यों तथा वित्तीय आबंटन को अंतिम रूप दे दिए जाने के पश्चात् ही पंजाब राज्य में आकाशवाणी सेवा के और विस्तार पर विचार किया जा सकता है।*

## विदेशी कारों का आयात

10589. **श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कारों के आयात से संबंधित नियमों को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## मध्य प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

10590. **श्री रेशमलाल जांगड़े : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में किन-किन स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 की अवधि के दौरान अपनी शाखाएं खोली हैं, और इनमें से अनुसूचित जाति बहुल स्थान कितने हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 की अवधि में, मध्य प्रदेश में स्थित बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर जिलो में जिन केन्द्रों में अपनी शाखाएं खोली थीं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले केन्द्रों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती ।

### विवरण

| जिला/केन्द्र का नाम | बैंक का नाम |
|---|---|
| I. बिलासपुर | |
| 1. कोडरी. | इलाहाबाद बैंक |
| 2. बिलासपुर | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | कोरबा | पंजाब एंड सिंध बैंक |
| 4. | सेवार | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 5. | सिरगिट्टी | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 6. | बुदगाहन | पंजाब नेशनल बैंक |
| 7. | भोतिया | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 8. | कोठारी | भारतीय स्टेट बैंक |
| 9. | सोहागपुर | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 10. | गेवरा | भारतीय स्टेट बैंक |
| 11. | टेंगनमाडा | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 12. | छापोरा (कोटा) | पंजाब नेशनल बैंक |
| 13. | सेमारसल | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 14. | रामेपुर | पंजाब नेशनल बैंक |
| 15. | खपरीकला | पंजाब नेशनल बैंक |
| 16. | अचनकमर | पंजाब नेशनल बैंक |
| 17. | चांदली | भारतीय स्टेट बैंक |
| 18. | सिगाड़ा | इलाहाबाद बैंक |
| 19. | गौड़ | पंजाब नेशनल बैंक |
| 20. | कटाउड़ | भारतीय स्टेट बैंक |
| 21. | उतारडा | यूनियन बैंक आफ इंडिया |
| 22. | पोंडी | यूनियन बैंक आफ इंडिया |
| 23. | कोसाला | इलाहाबाद बैंक |
| 24. | कोनार | बैंक आफ महाराष्ट्र |
| 25. | साशा | पंजाब नेशनल बैंक |
| 26. | छिल्पी बंगला | भारतीय स्टेट बैंक |
| 27 | मोहगांव | भारतीय स्टेट बैंक |
| 28. | बैचलपुर | भारतीय स्टेट बैंक |
| 29. | बामापुर | यूनियन बैंक आफ इंडिया |
| 30. | सिलदाहा | इलाहाबाद बैंक |
| 31 | अमोरा | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 32. | मोरगा | भारतीय स्टेट बैंक |

| 1 2 | 3 |
|---|---|
| 33. सकती | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 34. बेलपान | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 35. छटौना | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 36. मोच बिलासपुर | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| II. रायगढ़ | |
| 37. बिमदा | रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| 38. साराबकोम्बो | भारतीय स्टेट बैंक |
| 39. लारीपानी | रायगढ़ ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक |
| 40. मुलरापाड़ा | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 41. कोंडालारी | भारतीय स्टेट बैंक |
| 42. संकारा | पंजाब नेशनल बैंक |
| 43. गाजियादीह रायगढ़ | भारतीय स्टेट बैंक |
| III. रायपुर | |
| 44. रायपुर | बैंक आफ महाराष्ट्र |
| 45. रायपुर | इंडियन ओव्‍रसीज बैंक |
| 46. रायपुर | स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र |
| 47. नारा | देना बैंक |
| 48. गंजार | पंजाब नेशनल बैंक |
| 49. सोनादीह | भारतीय स्टेट बैंक |
| 50. चाहनत | देना बैंक |
| 51. लाम्बार | देना बैंक |
| 52. कोलियादेवरी | पंजाब नेशनल बैंक |
| 53. बिछिया | भारतीय स्टेट बैंक |
| 54. पंडरावन | इंडियन बैंक |
| 55. धनसिर | भारतीय स्टेट बैंक |
| 56. सामोदा | देना बैंक |
| 57. गोदी | देना बैंक |
| 58. बाना | देना बैंक |
| 59. चन्दखुरी | पंजाब नेशनल बैंक |
| 60. पालौद | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 61. झाकरापाड़ा | यूनियन बैंक आफ इंडिया |
| 62. धवलपुर | देना बैंक |
| 63. पथरला | देना बैंक |
| 64. कोहाकुड़ा | भारतीय स्टेट बैंक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 65. | बोरसी | इलाहाबाद बैंक |
| 66. | मेघा | देना बैंक |
| 67. | शोमा | पंजाब नेशनल बैंक |
| 68. | उरमल | यूनियन बैंक आफ इंडिया |
| 69. | नरटोरा | पंजाब नेशनल बैंक |
| 70. | शेर | भारतीय स्टेट बैंक |
| 71. | सोरिडखुर्द | भारतीय स्टेट बैंक |
| 72. | बमहानी | भारतीय स्टेट बैंक |
| 73. | गीतापुरी | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 74. | देवसुन्दरा | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 75. | रोहांसी | भारतीय स्टेट बैंक |
| 76. | गुमा | यूनियन बैंक आफ इंडिया |
| 77. | उरला | स्टेट बैंक आफ इंदौर |
| 78. | बालोदा | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया |
| 79. | खेड़वा | इंडियन बैंक |
| 80. | सुहेला | इलाहाबाद बैंक |
| 81. | गट्टासीली | देना बैंक |
| 82. | मेचका | पंजाब नेशनल बैंक |
| 83. | केरागांव | पंजाब नेशनल बैंक |
| 84. | सोना रायपुर | देना बैंक |

**एम० आई० टी० सी० ओ० के कर्मचारियों के वेतनमान**

[अनुवाद]

10591. **श्री ए० के० राय :** वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम०आई०टी०सीओ० कारखानों के ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिनको एम०एम०टी०सी० से केन्द्र सरकार के वेतनमान मिल रहे हैं;

(ख) एम०आई०टी०सी०ओ० कारखानों के ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है जिनको एम०आई०टी०सी०ओ० के वेतन बोर्ड के वेतनमान मिल रहे हैं;

(ग) इन दो वेतनमानों के अनुसार कुल वेतन में कितना औसत अन्तर है;

(घ) क्या एम०आई०टी०सी०ओ० का एम०एम०टी०सी० में विलय कर दिया गया है और यह इसमें प्रभाग के रूप में कार्य करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को भी एम०एम०टी०सी० में खपाया जायेगा और उन्हें उसके वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलेगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) एम. एम. टी. सी. का वेतनमान पाने वाले मिटको के अधिकारियों एव कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

| | | |
|---|---|---|
| अधिकारी | — | 134 |
| कर्मचारी | — | 341 |

यह कार्यालय या कारखानों में उनकी नियुक्ति से असम्बद्ध है।

(ख) मिटको के कामगारों को मजदूरी समझौते के अनुसार मजदूरी मिलती है। मजदूरी समझौते के अन्तर्गत आने वाले मजदूरों की कुल संख्या 916 है।

(ग) मिटको और एम०एम०टी०सी० के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमान बराबर होने के कारण उन दोनों संगठनों में वेतन के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं है। जहां तक मजदूरी का सम्बन्ध है, एम० एम० टी० सी० में नियोजन एवं वेतनमानों का कोई समान ग्रेड नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मिटको को एम० एम० टी० सी० के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। मिटको को एम० एम० टी० सी० के साथ मिलाने के प्रस्ताव में शामिल बहुत सारी बातें, जिनमें उनके वेतनमान तथा कैडर शामिल हैं, की जांच एम० एम० टी० सी० द्वारा की जा रही है।

**सिनेमा कर्मकार कल्याण कोष के लाभार्थी**

10592. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिनेमा कर्मकार कल्याण कोष के कुल कितने लाभार्थी हैं;

(ख) सिनेमा कर्मकारों को क्या-क्या कल्याण और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) ऐसे क्या उपाय करने का विचार है जिनसे अधिकतम संख्या में सिनेमा कर्मकारों का कल्याण हो ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) (I) कल्याण कमिश्नरों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि अन्य कल्याण निधियों के अंतर्गत मौजूदा चिकित्सा प्रतिष्ठानों के माध्यम से सिने कर्मकारों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(II) अन्य कल्याण निधियों के अन्तर्गत चलाई जा रही छात्रवृत्ति स्कीम सिने-कर्मकार कल्याण निधि पर भी लागू की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार है:—

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1987-88 | 1,17,700 रुपये |
| 1988-89 | 1,41,550 रुपये |
| 1989-90 बजट प्राक्कलन | 3,55,000 रुपये |

(ग) निधि के सीमित साधनों (वार्षिक आय 7 से 8 लाख रुपये) को ध्यान में रखते हुये, फिलहाल सिने कर्मकारों के लिये नई कल्याण स्कीम शुरू करना संभव प्रतीत नहीं होता। तथापि, अधिक से अधिक लाभार्थियों को छात्रवृत्ति देने की स्कीम का लाभ देने के लिये निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। कल्याण सुविधाएं साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रदान की जाती है।

**सिनेमा कलाकार कल्याण कोष में धनराशि का अंतरण**

10593. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री चलचित्र श्रमिक कल्याण कोष के नाम लाभ के अन्तरण के बारे में दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा कलाकार कल्याण कोष में अन्तरित की जाने वाली समूची धन राशि को उक्त कोष में अंतरित किया जा चुका है, और

(ख) यदि नहीं तो उक्त धन राशि को शीघ्र अन्तरित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सर रिचर्ड एटनबरो के, जो "गांधी" फिल्म के सहनिर्माण और वित्तपोषण करार के एक पक्षकार हैं वकील के साथ अप्रैल, 1990 में हुई एक बैठक में "गांधी" फिल्म के सहनिर्माण और वित्तपोषण करार के प्रावधानों के अनुसार सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड के नाम से एक अलग ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसा ट्रस्ट, राष्ट्रीय फिल्म

विकास निगम द्वारा बनाया जाये। निगम ने सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड के नाम से 10,001 रु० के आरंभिक अंशदान से एक ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के विलेख का अंतिम प्रारूप तैयार किया जा रहा है। "गांधी" फिल्म के निवल लाभ को 5 प्रतिशत राशि सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड में अन्तरित करने के लिए विस्तृत विचार विमर्श हेतु एक भारतीय शिष्ट-मण्डल को इंग्लैण्ड भेजने का प्रस्ताव अलग से विचाराधीन है।

### रुग्ण एककों द्वारा सहायता का उपयोग

10594. **श्री राम नाईक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बोर्ड फोर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशल रिकन्सट्रक्शन" और/अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक रुग्ण एककों को दी गई अन्तरिम धनराशि के खर्च पर नियन्त्रण रखते हैं;

(ख कर्मचारियों द्वारा रुग्ण एकक संचालन हेतु बनाई गई को-आपरेटिव सोसाइटी की प्रबन्ध समिति में मालिकों के रिश्तेदार और/अथवा विश्वसनीय मित्रों का न होना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त प्राधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि वैध देय राशि का जो श्रम कानून के अन्तर्गत सरक्षित नहीं है, नियत तारीखों को भुगतान किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा रुग्ण एककों के छोटे जमाकर्त्ताओं और डिबेंचर धारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (घ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में किये गये प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास रुग्ण/कमजोर एककों को धनराशि देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे संवितरण अन्यों के साथ-साथ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये जाते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे संवितरित की गई रकम के उपयोग पर नजर रखें।

औद्योगिक तथा वित्तीय।; पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि अभी तक उसने केवल एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अर्थात कमानी ट्यूब्स लिमिटेड को कर्मचारियों की भागीदारी के साथ पुनरुज्जीवित करने की योजना को मंजूर किया है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है (I) कम्पनी के (लगभग 91.6 प्रतिशत) और अन्यों के 95 लाख रुपये के अंकित मूल्य के शेयरों का कर्मचारी सहकारी समितियों में अन्तरण (II) कम्पनी के प्रबन्धन को पुनर्गठित निदेशक मण्डल को सौंपना जिससे व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त/अनुभवी व्यक्ति होंगे और उनमें से दो प्रतिनिधि कर्मचारी सहकारी समिति के हों, (III छटनी मुआवजे का भुगतान (IV) अन्य के साथ-साथ जमाकर्ताओं आदि को किये जाने वाले भुगतान की व्यवस्था। इस योजना के कार्यान्वयन पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा नजर रखी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर उपचारी कार्रवाई आरम्भ की जा सके।

ईरान द्वारा भारतीय कम्पनियों का रोका गया धन

10595. श्री इरा अम्बारासु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने कुछ भारतीय कम्पनियों का 59 करोड़ रुपये रोक लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले पर ईरान के साथ बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, ईरान को किए गए परियोजना निर्यातों तथा वस्तु निर्यातों के सम्बन्ध में 31.3 89 को बकाया राशि 46.98 करोड़ रुपए के बराबर थी।

(ख) और (ग) विभिन्न भारतीय कम्पनियों को देय भुगतानों का मामला, भारत सरकार ने अगस्त, 1989 में ईरान सरकार के साथ उठाया था। इस बात पर सहमति हुई थी कि ईरान सरकार भारतीय कम्पनियों के दावों की जांच करेगी और वैध बकाया दावों के सम्बन्ध में ईरानी फर्मों/सरकारी अभिकरणों व अन्य कानूनी अस्तित्व वाली संस्थाओं के भुगतान दिलवाने में उनकी सहायता करेगी।

गरीबों को बैंक ऋण

10596. श्री इरा अम्बारासु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को गरीबों को अधिक ऋण देने के कोई निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) :** (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे अपने कुल अग्रिमों में से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले हिस्से को बढ़ाकर क्रमशः 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दें। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बैंक सरकार द्वारा चलाए जा रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर योजना और शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने के विशेष कार्यक्रमों में सक्रीय भाग ले रहे हैं। विभेदी ब्याज दर योजना गरीबों में अधिक गरीब की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उनके छोटे उत्पादक उद्यमों के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पता लगाए गए निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता और संस्थागत वित्तपोषण प्रदान करके उनको उत्पादक परिसम्पत्तियां प्राप्त करने के योग्य बनाकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में सहायता प्रदान करना है। शहरी गरीबों

की स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी शहर/नगर आते हैं जिन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ नहीं मिला है। जिन व्यक्तियों की कुल पारिवारिक आय 600/- रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है, वे सभी इस कार्यक्रम के तहत सहायता पाने के हकदार हैं।

**सिक्कों की काला बाजारी**

10597. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिक्कों की काला बाजारी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कोई गिरफ्तारियां की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) सिक्कों के उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, देश में सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। सिक्कों की काला बाजारी करने के लिये किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई गिरफ्तारी किए जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

**तमिलनाडु में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता**

10598. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि तीन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड ने गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु स्थित परियोजनाओं को निम्नलिखित राशियां मंजूर और संवितरित की :

(करोड़ रुपए)
(अप्रैल-मार्च

| | 1987-88 | 1988-89 |
|---|---|---|
| मंजूरियां | 667.34 | 1029.96 |
| संवितरण | 421.13 | 647.85 |

## बोकारो इस्पात संयंत्र

10599. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र से पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात तथा अन्य सामग्री की चोरी की कितनी घटनाएं हुई तथा इसके कारण हुई हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान संयंत्र की सुरक्षा पर कितनी धनराशि व्यय की गई,

(ग) क्या उपर्युक्त दोनों चीजों में वृद्धि हो रही है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इनकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गए हैं।

इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

| वर्ष | सूचित किये गये कुल मामलों की सं० × | हानि |
|---|---|---|
| 1985 | 36 | 1,00,115 |
| 1986 | 32 | 70,260 |
| 1987 | 30 | 2,68,800 |
| 1988 | 35 | 73,550 |
| 1989 | 45 | 57,257 |

× इसमें निजी खानों के मामले भी शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान संयंत्र की सुरक्षा पर 2406.29 लाख रुपए राशि खर्च किए गए।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। ऐसा कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है।

## अभ्रक व्यापार निगम में भ्रष्टाचार

10600. श्री ए० के० राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक व्यापार निगम में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) और (ख) सरकार को कुछ शिकायतें मिली थीं। अभ्रक व्यापार निगम से तथ्यों के सत्यापन के बाद पाया गया कि आरोप प्रत्यक्षत: सत्य नहीं थे।

**सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों पर होने वाला व्यय**

10601. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के दोनों सदनों पर सत्र के दौरान प्रति घंटा कितनी धन-राशि व्यय होती है; और

(ख) सत्रावसान की अवधि के दौरान प्रति घंटा कितनी धन-राशि व्यय होती है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) संसद के दोनों सदनों के सत्र के दौरान और सत्रावसान की अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा किए गए खर्च के संकलन के लिए इस समय कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। संसद के एक दिन के बैठने पर सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च में केवल संसद के दोनों सचिवालयों का खर्च ही सम्मिलित नहीं होता अपितु विभिन्न संसद सम्बन्धी कार्यों में अपेक्षित भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों का खर्च, भी सम्मिलित होता है। इन मूलभूत कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अर्थपूर्ण ढंग से अपेक्षित सूचना का संकलन करना व्यवहार्य नहीं है।

**महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामले**

10602. **श्री वसंत साठे** : क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में कितने मामले अनिर्णीत रहे, और

(ख) बकाया पड़े अनिर्णीत मामलों को शीघ्र निपटाने तथा निर्णय शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

| वर्ष | मामलों की संख्या |
|---|---|
| 1987 | 139548 |
| 1988 | 142891 |
| 1989 | 156454 |

(ख) मुम्बई उच्च न्यायालय में रिक्त पदों को भरने का मामला सरकार के ध्यान में है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय का सुझाव देने के लिए जनवरी, 1989 में उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है।

## राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन

10603. श्री वसंत साठे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रथम पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों के उत्कृष्टता-वार नाम क्या हैं जिनका कार्य निष्पादन वर्ष 1989-90 के दौरान उत्कृष्ट रहा है और उनकी मुख्य उपलब्धियां क्या हैं और ऐसे निचले तीन बैंकों के नाम क्या हैं जिनका कार्य निष्पादन सबसे अधिक असंतोषजनक रहा है;

(ख) बेहतर कार्य निष्पादन हेतु दिये गये प्रोत्साहन तथा असंतोषजनक कार्य-निष्पादन हेतु दिये गये हतोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं। करने का विचार है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) बैंकों के कार्यनिष्पादन की जांच उनके कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न पैरामीटरों द्वारा की जा सकती है। जहां तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है, जिनके लिए कुल अग्रिमों का क्रमशः 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. दिसम्बर, 1989 के अंत में (अद्यतन उपलब्ध) उनके कार्य निष्पादन के अनुसार पहले पांच और आखिरी तीन राष्ट्रीयकृत बैंक (20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से) नीचे दिए गए हैं :—

| बैंक का नाम | कुल अग्रिमों के मुकाबले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की प्रतिशतता के अनुसार रैंक (लक्ष्य 40 प्रतिशत) |
|---|---|
| सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 1 (50.5 प्रतिशत) |
| इलाहाबाद बैंक | 2 (48.6 प्रतिशत) |
| कारपोरेशन बैंक | 3 (48.5 प्रतिशत) |
| देना बैंक | 4 (48.5 प्रतिशत) |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 5 (48.3 प्रतिशत) |
| न्यू बैंक आफ इण्डिया | 18 (41.8 प्रतिशत) |
| पंजाब एण्ड सिंध बैंक | 19 (41.1 प्रतिशत) |
| यूको बैंक | 20 (39.4 प्रतिशत) |

| बैंक का नाम | कुल अग्रिमों के मुकाबले कमजोर वर्गों के अग्रिमों की प्रतिशतता के अनुसार रैंक (लक्ष्य 10 प्रतिशत) |
|---|---|
| पंजाब नेशनल बैंक | 1 (13.5 प्रतिशत) |
| आंध्रा बैंक | 2 (13.2 प्रतिशत) |
| इलाहाबाद बैंक | 3 (12.8 प्रतिशत) |
| यूनियन बैंक आफ इण्डिया | 4 (12.3 प्रतिशत) |
| विजया बैंक | 5 (11.9 प्रतिशत) |
| न्यू बैंक आफ इण्डिया | 18 (10.3 प्रतिशत) |
| देना बैंक | 19 (10.2 प्रतिशत) |
| बैंक आफ बड़ौदा | 20 (10.1 प्रतिशत) |

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार बैंक को अनुदेश जारी किए जाते हैं।

**संसद सदस्यों को पेंशन**

10604. **प्रो के०वी० थामस :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं लोक सभा से त्यागपत्र देने वाले संसद सदस्यों को पेंशन देने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) :** (क) और (ख) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति ने भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन की दर आदि के सम्बन्ध में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है। यह सरकार के विचाराधीन है।

**उड़ीसा उच्च न्यायालय में निर्णीत मामले**

10605. **श्री अनादि चरण दास :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा उच्च न्यायालय में 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत पड़े मुकदमों की कुल संख्या कितनी है और इनमें से दीवानी और आपराधिक मुकदमों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार मुकदमों का निपटारा शीघ्र कराने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) 31 दिसम्बर, 1989 को उड़ीसा उच्च न्यायालय में 37330 मामले (32888 सिविल और 4442 दांडिक मामले) लंबित थे ।

(ख) और (ग) जी हां । उड़ीसा उच्च न्यायालय के स्थायी अपर न्यायाधीशों के 14 स्वीकृत पदों में से 2 रिक्त पदों को भरने का मामला सरकार के ध्यान में है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**आवास के लिए जीवन बीमा निगम की सहायक यूनिट की स्थापना**

10606. **श्री ए० आर० अन्तुले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जीवन बीमा निगम के पालिसी धारकों को आवास ऋण देने से सम्बन्धित कार्य को देखने के लिए जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत एक अलग निगम अथवा सहायक यूनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने सरकार के अनुमोदन से अपनी गतिविधियों को आवास वित्त के क्षेत्र मे उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक सहायक आवास वित्त के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए एक सहायक आवास वित्त कम्पनी की स्थापना की है ।

जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड नामक कम्पनी, जिस की स्थापना जीवन बीमा निगम द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक ऋण और विशेष निगम और आई. एफ. सी. आई. के साथ सयुक्त रूप से की गई थी, जीवन बीमा निगम से चरणबद्ध ढंग से उसके अलग आवासीय ऋण पोर्टफोलियो को अपने अधिकार मे ले रही है और अब यह 8 केन्द्रों से अपना कार्य कर रही है ।

**अंडमान निकोबार द्वीप समूह के औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता**

10607. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने पिछले दो वर्षों के दौरान अंडमान

और निकोबार द्वीपसमूह के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से कितनी राशि वास्तव में इस संघ राज्य क्षेत्र में वितरित की गई ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि चार अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एककों को गत दो वर्षों के दौरान मिलकर जो राशि मंजूर और संवितरित की है वह निम्नलिखित है :—

(लाख रुपए)

| | 1987-88 | 1988-89 |
|---|---|---|
| मंजूरिया | 62.0 | 23.0 |
| संवितरण | 42.0 | 39.0 |

## अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

10608. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान खोले गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 में और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी तक किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

## शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण

[हिन्दी]

10609. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत, अब तक कितने लोगों को ऋण दिया गया है;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 से 1988-89 की अवधि के दौरान 12.36 लाख व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए । शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए हिताधिकारियों की संख्या और उन्हें मजूर ऋणों की राशि के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) योजना के अन्तर्गत सरकार ऋण राशि का 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के रूप में उधारकर्ताओं को देती है जिसके लिए वर्ष 1990-91 में 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

**भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त किये गये विदेशी परियोजनाओं के ठेके**

10610. **श्री राजवीर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों को विदेशों में कितनी परियोजनाओं के ठेके प्राप्त हुए हैं; और

(ख) ऐसे ठेके किन-किन देशों ने दिये हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) इण्डियन बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त सूचना के अनुसार 1987, 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त विदेशी परियोजनाओं के ठेकों की कुल संख्या 100 थी ।

(ख) परियोजनाएं प्रदान करने वाले देशों के नाम निम्नानुसार थे :—

1. अल्जीरिया
2. बहरीन
3. बंगला देश
4. इथोपिया
5. इण्डोनेशिया
6. ईरान

7. ईराक,

8. कन्या

9. कुवैत

10. जार्डन

11. लीबिया

12. मलेशिया

13. मलावी

14. माल्टा

15. मालद्वीप

16. मौजाम्बिक

17. नेपाल

18. नाइजीरिया

19. नाइजर

20. ओमान

21. पी०डी०आर०वाई०

22. कतर

23. सउदी अरब

24. श्रीलंका

25. सोमालिया

26. सूडान

27. सीरिया

28. ताइवान

29. थाइलैंड

30. टर्की

31. संयुक्त अरब अमीरात

32. यमन अरब गणराज्य

33. जाम्बिया

## राष्ट्रीयकृत बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

[अनुवाद]

10611. श्री आर० जीवरत्नम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के सम्बन्धित शाखा प्रबंधकों द्वारा पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिहाड़ी पर रखा जाता है तथा बाद में उन्हें नियमित किया जाता है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुपालन हेतु नियम एवं प्रक्रिया तैयार करने का विचार है; और

(ग) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में अस्थायी/दिहाड़ी पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनकी सेवाए कब नियमित की जाएंगी ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ सवर्ग में नियुक्तियां रोजगार कार्यालयों/जिला सैनिक बोर्डों/व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से की जाती हैं। बैंकों के अधीनस्थ सवर्ग में नियमित नियुक्तियां सीधे शाखा प्रबंधक द्वारा नहीं की जाती हैं। अलबत्ता, अस्थाई प्रकृति के कार्य में हुई वृद्धि/नियमित अधीनस्थ कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने के कारण हुई कमी का सामना करने के लिए बैंक अस्थाई प्रकृति के खाली स्थानों को अस्थाई तौर पर/दैनिक मजदूरी के आधार पर भरते हैं। द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों और औद्योगिक कानूनों के अंतर्गत अस्थाई कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि वे योग्यता आदि की शर्तों के साथ-साथ द्विपक्षीय समझौता/औद्योगिक कानूनों के समुचित प्रावधानों के अनुसार पात्र हों। भविष्य की रिक्तियों में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बैंक सामान्य तौर पर इन कर्मचारियों का पैनल रखते हैं। कुछ बैंकों के अधीनस्थ संवर्गों के लिए नियुक्तियां अचल/क्षेत्रीय/मडलीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर की जाती हैं, अत: उनके पास उपलब्ध आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऐसे कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में अपेक्षित ढग से सूचना तत्काल एकत्र नहीं करती है।

## समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में दिये गये ऋण

10612. श्री आर० जीवरत्नम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जारी रखने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में लोगों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के ऋण वितरित किये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण वितरित करने की प्रक्रिया से स्थानीय संसद सदस्यों को सम्बद्ध करने का है ताकि वे ऋण वास्तव में जरूरतमन्द लोगों को वितरित करा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वर्ष 1990-91 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा संवितरित ऋण की राशि निम्नानुसार है :—

| वर्ष | राशि (लाख रुपए) |
|---|---|
| 1987-88 | 8374.05 |
| 1988-89 | 8487.48 |
| 1989-90 (फरवरी 1990 तक) | 7357.18 |

(ग) और (घ) कार्यक्रम को जिलास्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी का एक शासी निकाय होता है जिसका अध्यक्ष कलक्टर होता है। अन्य लोगों के साथ-साथ जिले के सभी संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य होते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के शासी निकाय की बैठक प्रत्येक तिमाही को होती है।

## दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में घाटा

10613. **श्री आर० जीवरत्नम** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और कितना घाटा हुआ है; और

(ग) भविष्य में कम्पनी में हो रहे घाटे को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है?

**इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) और (ख) पुरानी प्रौद्योगिकी, पुराने संयत्र तथा उपस्कर, और मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों दृष्टि से कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई जिससे ऊर्जा की खपत में भारी वृद्धि हुई है; उत्पादकता तथा क्षमता का उपयोग कम होता है, के कारण संयंत्र को मुख्य रूप से घाटा हुआ है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में हुए घाटे की वास्तविक धनराशि का पता लेखाओं के लेखा-परीक्षण को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही लग पायेगा फिर भी संयंत्र को वर्ष 1989-90 के दौरान घाटा होने की संभावना है।

(ग) पुराने संयंत्र का प्रतिस्थापन तथा संयंत्र की प्रौद्योगिकी का उन्नयन और अत्यन्त लागत प्रभावी ढंग से इस्पात का उत्पादन करने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है। इस आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप विशिष्ट ऊर्जा की

लागत में कमी होने, क्षमता और उसके उपयोग उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार होने की आशा है।

**महाराष्ट्र में शिरडी का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जाना**

10614. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य में शिरडी को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**महाराष्ट्र के सभी जिलों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का देखा जाना**

10615. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी जिलों में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम देखे जा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में नहीं देखे जा सकते;

(ग) क्या सूक्ष्मतरंग प्रणाली के अन्तर्गत इन शेष जिलों को जोड़ने का कार्य आरंभ हो गया है; और

(घ) इन जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण कब तक आरंभ हो जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) और (ख) महाराष्ट्र में (1981 की जनगणना के अनुसार) सभी 26 जिलों में पूर्णरूप से या आंशिक रूप से दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान औरंगाबाद तथा अम्बाजोगाई लगाए जा रहे उच्च शक्ति (10 कि.वा.) ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने पर इनमें से कुछ जिलों में दूरदर्शन कवरेज में पर्याप्त सुधार होने की आशा है।

(ग) और (घ) प्राथमिक (क्षेत्रीय) सेवा को रिले करने के लिए महाराष्ट्र के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटर उपग्रह की मार्फत दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई से जुड़े हुए हैं।

## नशीली दवाओं के दुष्परिणामों से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण

10616. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के खतरे को रोकने के लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था,

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को तैयार करते समय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के विचार प्राप्त किये गये हैं,

(घ) क्या ये कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों से भी प्रसारित किए जा रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र)** : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा विभिन्न फार्मेटों में नशीली दवाओं के दुष्परिणामों पर नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ।

इसी प्रकार आकाशवाणी केन्द्र नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के विषय पर प्रतिमाह करीब 400 कार्यक्रम प्रसारित करते हैं । इसके अलावा आकाशवाणी ने 28 भागों का "रेडियो डेट" नामक विशेष धारावाहिक आरम्भ किया है जिसे 8 अप्रैल, 1990 से प्रसारित किया जा रहा है ।

(ग) इन कार्यक्रमों को तैयार करते समय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के विचारों को प्रतिबिम्बित किया गया है/ध्यान में रखा गया है । "रेडियो डेट", (रेडियो, नशीली दवाइयां, मद्य, तम्बाकू शिक्षा) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है ।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र, नामतः दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, श्रीनगर, मद्रास, जलंधर, लखनऊ, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम अपनी कार्यक्रम अपेक्षाओं के अनुसार नशीली दवाओं के दुष्परिणामों पर कार्यक्रम प्रसारित करते हैं ।

आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम प्रसारण केन्द्र नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के विषय पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और "रेडियो डेट" धारावाहिक 15 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है ।

## रिवर्स पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

10617. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पौड़ी गढ़वाल में रिवर्स नामक स्थान का पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और इसे कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।

## मछुआरों को ऋण सुविधाएं

10618. श्री टी० बशीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे मछुआरों के लिए ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने और अन्य प्रोत्साहन देने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मत्स्यन के लिए दिया जाने वाला अग्रिम प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आता है क्योंकि यह कृषि से सम्बद्ध कार्य है और अतः रियायती ब्याज दर और उधार मार्जिन तथा प्रतिभूति मानदण्डों जैसे विभिन्न रियायतों के पात्र हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि मत्स्यन के लिए आवश्यकता पर आधारित अल्पावधिक ऋण दिया जाना चाहिए। इसके लिए ब्याज दर निम्नलिखित है—

| | (वार्षिक प्रतिशत) |
|---|---|
| (क) 7,500/- रु० तक की ऋण राशि के लिए | 10.00 |
| (ख) 7,500/- रु० से अधिक और 15,000 रु० तक की ऋणों पर | 11.50 |

| | |
|---|---|
| (ग) 15,000/- रु० से अधिक और 25,000/- रु० तक के ऋणों पर | 12.00 |
| (घ) 25,000/- रु० से अधिक ऋणों पर | 14.00 से 15.50 |

मत्स्यन को 3 वर्षों से अधिक के सावधि ऋण निम्नलिखित दर पर दिए जाते हैं।

| | (वार्षिक प्रतिशत) |
|---|---|
| (क) छोटे किसानों को | 10·00 |
| (ख) अन्य को | 12.50 |

10,000/- रु० तक की ऋण राशि पर मार्जिन नहीं लिया जाना चाहिए। इससे अधिक की ऋण राशि पर मार्जिन 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक अलग-अलग होगा चल परिसम्पत्तियां अर्जित की जाती हैं, वहां 10,000/- रु० तक के ऋणों पर बैंक को भूमि को दृष्टिबन्धक बना कर सम्पार्शिवक प्रतिभूति या अन्य पक्ष गारंटी नहीं लेना चाहिए।

मत्स्यन के सभी पहलुओं के विकास के लिए अर्थात मछली पकड़ने से लेकर निर्यात के स्तर तक, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक उपस्करों के वित्तपोषण, टैंकों (साफ पानी में मत्स्यन) के पुनरूज्जीवन, मछली उत्पादन आदि के लिए बैंक सावधि ऋण देते हैं।

**केरल के निर्यात में कमी**

10619. **श्री टी० बशीर** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान केरल से होने वाले विभिन्न मदों के निर्यात में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) कोचीन पत्तन तथा त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से प्रमुख वस्तुओं के समग्र निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तथापि, इलायची, काली मिर्च और चाय के निर्यात में गिरावट रही।

(ख) गिरावट सम्बन्धी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| वस्तुएं | 88 अप्रैल-89 फरवरी | | 89 अप्रैल-90 फरवरी | |
|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| इलायची | 112 | 118.37 | 13 | 11.93 |
| काली मिर्च | 31306 | 13575.22 | 23858 | 11403.67 |
| चाय | 18975 | 4252.93 | 11251 | 3898.26 |

(ग) इसके कारण थे:—

**काली मिर्च** : कमजोर फसल, फसल की देर से आवक तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक आपूर्ति स्थिति का होना।

**इलायची** : कमजोर फसल तथा उच्च घरेलू कीमतों का होना।

**चाय** : कम उत्पादन होना।

**राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खनिजों की खोज**

10620. **श्री एन० डेनिस** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने गत वर्ष के दौरान खनिजों के भण्डारों का पता लगाने के लिए कोई खोज कार्य प्रारंभ किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मन्त्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किये गये खोज कार्य का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

| राज्य | किए गए खोज कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा |
|---|---|
| (क) आंध्र प्रदेश | —बुक्कुबन्दा तथा ठापस कोंडा में टंगस्टन तथा ग्रेफाइट हेतु, कृष्णा जिले में हीरायुक्त लौह निक्षेप, विशाखापट्टणम जिले में लेमिनाइट बियरिंग बीच सैण्ड्स। |
| (ख) हिमाचल प्रदेश | -- अर्की में कम सिलिकायुक्त चूना-पत्थर। |
| (ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य | —पंथाल में कम सिलिकायुक्त मैग्नेसाइट तथा डोलोमाइट निक्षेप। |
| (घ) कर्नाटक | —करवार तथा शिमोगा जिले में बैनेडिफरस मैग्नेसाइट निक्षेप। |
| (ङ) मध्य प्रदेश | —बैलाडिला में लौह अयस्क निक्षेप। |

### पाली में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

10621. श्री गुमान मल लोढा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के पाली में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) राजस्थान के पाली नगर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर मार्च, 1988 से पहले से ही कार्य कर रहा है।

### भुवनेश्वर में प्रेस सूचना ब्यूरो का कार्यालय खोला जाना

10622. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कटक और भुवनेश्वर के समाचार केन्द्रों के रूप में महत्व को देखते हुए भुवनेश्वर में सूचना केन्द्र और ग्रन्थालय के साथ-साथ प्रेस सूचना ब्यूरो का कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) और (ख) जी हां, इसकी आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य सरकार ने यह कार्यालय शीघ्र खोलने हेतु सभी संभव सहायता देने का भी प्रस्ताव किया। समाचार केन्द्र के रूप में नगर के महत्व को देखते हुए, आठवीं योजना में एक प्रस्ताव शामिल किया गया है। इसे कार्य रूप देना साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

### बैंकों द्वारा कम मूल्य वर्ग के नोटों की सप्लाई

10623. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आदि जैसे कम मूल्यवर्ग के नोटों की कोई कमी है;

(ख) क्या नई दिल्ली में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक 100 रुपये से कम के नोट नहीं देते हैं

और ग्राहकों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के ग्राहकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए एक क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए जैसे कम मूल्य वर्ग के नोटों की कोई कमी नहीं है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि नई दिल्ली स्थित कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक 100/- से कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट नहीं देते हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**विश्व बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति**

10624. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की ऋण देने सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन है;

(ख) यदि हां, तो ये परिवर्तन क्या हैं; और

(ग) इन परिवर्तनों से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

**सेविल्ला (स्पेन) में आयोजित यूनिवर्सल एक्सपोजिशन में भारत का भाग लेना**

10625. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन के सेविल्ला में अप्रैल, 1992 में आयोजित की जाने वाली यूनीवर्सल एक्सपोजिशन मे भारत के भाग लिए जाने को रद्द कर दिया गया है, और

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) और (ख) जी, हां। बजट सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण यह निर्णय लिया गया है कि सेविला (स्पेन) में अप्रैल, 1992 में होने वाले यूनिवर्सल एक्सपोजिशन में हम भाग लेने का कार्यक्रम रद्द कर दें।

**स्वर्ण नीति**

10626. **श्री काशी राम राणा**
**श्री सन्तोष कुमार गंगवार**
**श्री शांताराम पोठुले**
**श्री दिलीप सिंह जू देव**
**श्री जनार्दन तिवारी**
**श्री वाई० एस० महाजन**
: क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोने की जमाखोरी समाप्त करने, गलत तरीके से कमाए गए धन को सोने में बदलने तथा सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या अभी किन्हीं "स्वर्ण बांडों" की अदायगी शेष है;

(ग) यदि हां; तो कितने मूल्य के बांडों की अदायगी की जाती है;

(घ) क्या सरकार की एक नई स्वर्ण नीति बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) सरकार का विचार है कि स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम को समाप्त किए जाने से व्यापार में होड़ के पैदा होने के साथ-साथ उसमें खुलापन आएगा तथा सोने के व्यवसाय में स्वतन्त्रता आएगी जिससे सोने की जमाखोरी समाप्त होगी।

सरकार, काले धन के उत्पादन, उसकी वृद्धि तथा उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के निमित्त ऐसे सभी आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपाय करती है जिससे स्वर्ण में काले-धन के निवेश पर रोक लगाई जा सके।

सोने की तस्करी की रोकथाम के लिए तस्करी-निवारण अभियान में तेजी लाई गई है और तस्करी-निवारण मशीनरी, विशेष रूप से, समुद्री-तट के सुगम्य क्षेत्रों, भू-सीमाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों तथा हवाई-अड्डों पर निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहती है। यात्रियों के जिस्म पर और उनके असबाब/कारगो में छिपाए गए सोने का पता लगाने एव इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के निमित्त तस्करी निवारण के अत्याधुनिक उपकरणों, जैसे एक्स-रे असबाब मशीनों तथा धातु-खोजी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तस्करी-निवारण और उसका पता लगाने से सबंधित सभी एजेन्सियों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार जिन स्वर्ण बांडों की पुनर्अदायगी की जानी अपेक्षित थी :—

| स्वर्ण बांड | परिपक्वता की तारीख | बकाया धन-राशि |
|---|---|---|
| (I) 1977 के स्वर्ण बांडों का 6½% (रुपयों में पुनर्अदायगी योग्य | 11.12.77 | 19.27 लाख रु. |
| (II) 1980 के स्वर्ण बांडों का 7% (रुपयों में पुर्अदायगी योग्य) | 2.3.80 | 3.06 लाख रु. |
| (III) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड-1980 :— | | |
| "क" सीरीज | 27.10.80 | 5,72,760 ग्राम |
| "ख" सीरीज | 27.10.80 | 2,55,353 ग्राम |
| (सोने में पुनर्अदायगी योग्य) | | |

(घ) (ङ) सरकार ने वर्तमान स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है।

## गुजरात के हिस्से के बारे में वित्त आयोग की सिफारिशें

10627. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि उसका हिस्सा सातवें वित्त आयोग पचाट के 4.6 प्रतिशत से गिरकर आठवें वित्त आयोग पचाट में 3.87 प्रतिशत रह गया था तथा अन्ततः नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों में यह और घटकर 3.5 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने यह बताया है कि यह पंचाट राज्य के पक्ष में नहीं है तथा गुजरात सरकार के हिस्से के साथ भी बड़ा अन्याय किया गया है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने नवें वित्त आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया था कि संसाधनों के समग्र अन्तरण में उनका हिस्सा कम होता जा रहा है।

(ग) नवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को संसाधनों के अन्तरण की सिफारिश करते समय गुजरात सरकार के निवेदन सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा।

## दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया जाना

[हिन्दी]

10628. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की नीति में संशोधन करने का है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्योरा क्या है, और

(ग) नए समाचार पत्रों (दैनिक और साप्ताहिक) को विज्ञापन प्रदान किए जाने की सूची में शामिल करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) :** (क) और (ख) जी, हां। सरकार की विज्ञापन नीति के पहलुओं पर विचार करने के लिए गठित समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) सभी समाचार पत्र जो आवेदन करते हैं और जो विज्ञापन नीति (सलग्न विवरण के अनुसार) में दिए गए मानदण्ड को पूरा करते है, उन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की मीडियम सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाता है।

### विवरण

### (भारत सरकार की विज्ञापन नीति)

**(अ) प्रस्तावना :**

1. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों की ओर से विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। अनेक स्वायत्तशासी निकाय और सार्वजनिक उद्यम भी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापन देते हैं।

2. सरकारी विज्ञापनों का मूल उद्देश्य समाचार या सामयिक विषयों पर टिप्पणियां छापने वाले समाचार पत्रों तथा विज्ञान, कला, साहित्य, खेल व फिल्मों की मानक पत्रिकाओं के माध्यम से यथासमय अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापन देते समय सम्बद्ध प्रकाशन की राजनीतिक प्रतिबद्धता या संपादकीय नीति पर ध्यान नहीं दिया जाता है फिर भी ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, जो साम्प्रदायिक भावना भड़काते हों या हिंसा का प्रचार करते हों, अथवा भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर आघात करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदर्शों सम्बन्धी सर्वमान्य परम्पराओं पर आघात करते हों।

(ख) नीति निर्देश :

1. सरकारी नीति में प्रचार आवश्यकताओं और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों को एक संतुलित और सम्यक् आधार पर वितरण का ध्येय रखा जाना है। सरकारी विज्ञापनों का प्रयोजन, किसी समाचार पत्र-पत्रिका को आर्थिक सहायता देना नहीं है। सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए और विभिन्न श्रेणियों को पत्र/पत्रिकाओं के बीच दरों में समानता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार की पत्र/पत्रिकाओं को उपलक्ष भन (वेटेज) दिया जाएगा या उनके प्रति उदारता बरती जा सकती है :—

(अ) छोटे और मझौले समाचारपत्र/पत्रिकाएं।

(आ) विशेष सामग्रीयुक्त, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं।

(इ) भाषाई समाचारपत्र/पत्रिकाएं।

(ई) पिछड़े, दूरस्थ एवं सीमावर्ती स्थानों से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं।

2. छोटे, मझौले एवं बड़े समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है :—

(अ) छोटे—जिनकी प्रसार संख्या 15,000 प्रति अंक तक हो।

(आ) मझौले—जिनकी प्रचार संख्या 15,000 से 50,000 प्रति अंक के बीच हो।

(इ) बड़े—जिनकी प्रसार संख्या 50,000 प्रति अंक से अधिक हो।

3. सरकारी विज्ञापन देते समय समाचारपत्र/पत्रिकाओं के चयन में नीचे लिखी बातों को ध्यान में रखा जाएगा :—

(अ) समाज के सभी वर्गों के पाठकों तक विशेषतः राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानों को पहुंचाना।

(आ) विज्ञापन में निहित संदेश के आधार पर प्रचार अभियानों को समाज के सम्बद्ध विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना। छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को प्रेरक तथा शिक्षा अभियानों के बारे में विज्ञापन देने को विशेष ध्यान में रखा जायेगा।

(इ) समाचार पत्रिकाएं/प्रकाशन की कोई अन्य श्रेणी जिन्हें सरकार समय-समय पर उचित समझें।

(ई) घरेलू पत्र-पत्रिकाओं तथा स्मारिकों को सरकारी विज्ञापनों के लिए आमतौर से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

4. वि. दृ. प्र. नि. ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं का उपयोग करेगा जिनकी न्यूनतम विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 1000 है, फिर भी निम्नलिखित दशाओं में इस सम्बन्ध में छूट दी जा सकती है :—

(अ) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्र-पत्रिकाएं, जिनकी ग्राहक संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो।

(ब) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े क्षेत्र के साथ ही सीमांत प्रदेश व दुर्गम क्षेत्र से अथवा जन-जातीय भाषा या जन-जातीय लोगों के लिए छपने वाली पत्र/पत्रिकाएं तथा जम्मू और कश्मीर से प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाएं, जिनकी विक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रति अंक हो।

5. समाचारपत्र/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन दिए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जब उनका 4 महीने तक नियमित और अनवरत प्रकाशन होता रहा हो और प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का पालन किया गया हो। त्रैमासिक पत्रिकाओं के विषय में कम से कम 2 अंक प्रकाशित हो जाने के बाद विचार किया जा सकेगा।

6. समाचार/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन पाने का पात्र बनने के लिए निम्नांकित न्यूनतम मुद्रित स्थान होना चाहिए :—

| आवृत्ति | न्यूनतम मुद्रित स्थान |
|---|---|
| दैनिक | 760 मानक कालम से. मी. |
| साप्ताहिक और पाक्षिक | 480 मानक कालम से. मी. |
| मासिक और अन्य पत्रिकाएं | 960 मानक कालम से. मी. |

ऐसे समाचारपत्र/पत्रिकाओं को छूट दी जा सकती है जो जन-जातीय भाषा या मुख्यतः जन जातीय लोगों के लिए प्रकाशित होते हैं।

7. सभी समाचारपत्र/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या किसी चार्टर्ड एकाउटेंट या लेखाओं से सम्बन्धित किसी व्यावसायिक और प्रतिष्ठित निकाय या संस्था से प्रमाणित होनी चाहिए लेकिन जिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या प्रति अंक 2000 प्रतियों तक है वे किसी सनदी लेखापाल (चार्टर्ड एकाउटेन्ट) या सम्बद्ध जिला दंडाधिकारी (मजिस्टेट) से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी समाचार पत्र/पत्रिका की प्रसार संख्या गलत सिद्ध होगी, तो उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए अयोग्य घोषित करने के अलावा सरकार उन पर अलग से भी कोई ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।

**(ख) विज्ञापन दर :**

**सरकारी विज्ञापनों के लिए दरों का ढांचा वि. दृ. प्र. निदेशालय द्वारा उन सिद्धान्तों के**

आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसकी व्याख्या ऊपर दी गई है। वि. दृ. प्र. नि. अलग-अलग पत्र-पत्रिकाओं के साथ यथोचित दरों पर अनुबन्ध करेगा।

## मुम्बई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र तथा लघु चित्र फिल्म समारोह के बारे में जांच

[अनुवाद]

10629. श्री एम० जे० रावता : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग द्वारा फरवरी, 1990 के दौरान मुम्बई में आयोजित एक सप्ताह के अन्तर्राष्ट्रीय वृत्त चित्र तथा लघु चित्र फिल्म समारोह के दौरान धन के अपव्यय और कुप्रबन्ध होने की शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में किसी जांच का आदेश दिया है, और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : (क) "स्टेट्समैन" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में दो लेख छपे थे जिनमें बम्बई में आयोजित फिल्म समारोह के सचालन की आलोचना की गई थी। इन लेखों में फिल्म समारोह के सचालन में कथित कुप्रबन्ध और धन के अपव्यय का उल्लेख किया गया था। इन दो लेखों के अलावा, बम्बई में आयोजित सप्ताह भर के इस समारोह पर कोई विशेष आलोचना नहीं की गई।

ज्ञातव्य रहे कि फिल्म समारोह की उल्लेखनीय सफलता की आमतौर पर सराहना की गई है। भारतीय तथा विदेशी समाचार पत्रों में इस समारोह की प्रशंसा में कई लेख प्रकाशित हुए हैं। इनमें विश्व भर में फिल्मों से सम्बन्धित विषयों पर टिप्पणी करने वाली प्रतिष्ठित पत्रिका— "हालीवुड रिपोर्टर वीकली" भी शामिल है। इसके अलावा, 50 से अधिक प्रख्यात फिल्म हस्तियों ने अपने पत्रों में, इस समारोह के लिए फिल्म प्रभाग की प्रशंसा की और उसे बधाई दी है।

(ख) यह आलोचना प्रतिनिधियों के आतिथ्य, पुरस्कारों के चयन, प्रचार के अभाव प्रविष्टियों की घटिया क्वालिटी आदि को लेकर की गई थी।

(ग) किसी औपचारिक जांच की आवश्यकता नहीं है। तथापि, शिकायतों की जांच की गई है। फिल्म प्रभाग द्वारा कोई अधिक व्यय नहीं किया गया है। आशा है कि 60 लाख रुपए के स्वीकृत बजट की तुलना में कुल व्यय 54 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। निष्कर्ष यह है कि समारोह पर्याप्त रूप से सफल रहा है और अधिकांश आलोचना बढ़ा चढ़ाकर की गई है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## फिल्म नीति में संशोधन

10630. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म नीति की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नयी फिल्म नीति की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या नई फिल्म नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अधिक सक्षम बनाया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : क से (घ) फिल्म नीति बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। फिलहाल यह नहीं बताया जा सकता कि प्रस्तावित फिल्म नीति का ब्योरा क्या होगा और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को सुदृढ़ किया जायेगा अथवा नहीं और उसे किस हद तक सुदृढ़ किया जायेगा।

## भारत अमरीका आर्थिक व्यापार सम्बन्धों पर विचार-विमर्श

10631. श्री मदन लाल खुराना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1990 को "दि इंडियन एक्सप्रेस में" यू एस. बिजनेसमैन नाट इम्प्रैसड विद इंडियाज प्रोमिसेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो की गई वार्ता और इस सम्बन्ध में अमरीकी व्यापारियों की प्रतिक्रिया का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अमरीकी व्यापारियों से भारत में अधिकारी तंत्र द्वारा विलंब किए जाने के संबध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में उठाये गये अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां।

(ख) भारत-अमरीका संयुक्त कारोबार परिषद की बैठक 5 और 6 अप्रैल, 1990 को वाशिंगटन में हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों के कारोबार और उद्योग के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित पर संयुक्त रूप से सिफारिशें

की : (I) प्रौद्योगिकी-अन्तरण। (II) भारतीय निवेश और संयुक्त उद्यम कानून। (III) द्विपक्षीय व्यापार।

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त कारोबार परिषद को संबोधित किया और उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया।

(ग) संयुक्त कारोबार परिषद के सह-अध्यक्ष श्री डोनाल्ड एम. कैंडल ने अपने भाषण में सामान्य रूप से नौकरशाही का उल्लेख किया और विनियमन समाप्त करने और अर्थव्यवस्थाओं को उदार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जे०बी०सी० की बैठक के दौरान किन्हीं खास शिकायतों को नहीं उठाया गया। सामान्यतया सरकारी प्रक्रियाओं के कारण होने वाले विलम्ब का जिक्र किया गया।

(घ) प्रक्रियात्मक विलंब के कारणों को लगातार मानीटर किया जा रहा है तथा उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

## कपास की खरीद

10632. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कपास की वसूली के लिए अधिक धनराशि देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कपास की खरीद के लिए ऋण की आवश्यकताओं का सम्पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है बशर्ते कि मूलभूत सिद्धान्त की पूर्ति की जाए, अर्थात् आहरित ऋण खाद्य के मूल्य से मेल खाता है।

## आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा फार्म व्यापार को उदार बनाया जाना

10633. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों द्वारा फार्म व्यापार को उदार बनाये जाने से भारत की कृषि विकास योजनाओं विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या ऐसे उदारीकरण से हमारी निर्यात की संभावनायें नष्ट हो जायेंगी जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं का प्रमुख आधार है;

*(ग) क्या सरकार ने इस आकस्मिकता का सामना करने के लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार की हैं; और*

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरंगिल श्रीधरन)** : (क) जी, नहीं। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के देशों द्वारा कृषि व्यापार को उदार बनाए जाने के कारण इन देशों को किए जाने वाले संशोधित कृषि उत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात पर लाभकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

---

## निधन संबंधी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, मुझे बड़े दुख के साथ इस महान् सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री के० एस० हेगड़े के निधन की सूचना सदन को देनी है। वह जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक इस सभा के अध्यक्ष रहे थे। श्री हेगड़े कर्नाटक राज्य के बंगलौर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह 21 जुलाई, 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गये। इससे 1952 से 1957 तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री हेगड़े एक प्रख्यात विधिवेत्ता और विद्वान् थे तथा 1957 से 1966 तक मैसूर उच्चन्यायालय के न्यायाधीश रहे। वह 1966-67 के दौरान दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने 1967-73 के दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप कार्य किया।

अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के अलावा श्री हेगड़े दोनों सदनों की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। वह राज्य सभा में सभापति तालिका के सदस्य भी थे तथा इस सदन की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष भी रहे।

श्री हेगड़े 1954 में संयुक्त राष्ट्र के नौवें अधिवेशन में वैकल्पिक प्रतिनिधि थे तथा उसकी दूसरी समिति (सेकेन्ड कमेटी) के सदस्य थे।

इस सभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी टिप्पणियां और विनिर्णय बाद में आने वाले अध्यक्षों के लिए बड़े सहायक सिद्ध हुये।

श्री हेगड़े का निधन 81 वर्ष की आयु में कर्नाटक में उनके मूल निवास स्थान पर 24 मई, 1990 को हुआ।

**प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : श्री के० एस० हेगड़े के सम्बन्ध में जो भावनायें आपने व्यक्त की हैं; वही भावनायें हमारे मन में भी उठ रही हैं। श्री हेगड़े एक महान् विद्वान् थे तथा न्याय प्रक्रिया में उनकी गहरी पहुंच थी। वह दिल्ली और हिमाचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। उनके लेखों और पुस्तकों से न्याय प्रक्रिया की समस्याओं को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो परम्परायें स्थापित कीं वे आने वाले समय के लिए हमारी पथ प्रदर्शक रहेंगी। उनके निधन से हमने एक विद्वान और देशभक्त खो दिया है।

दुख की इस घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके परिवार को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति दे।

**प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर)** : इस अवसर पर आपने और प्रधान मंत्री ने जो कहा है हमारा दल और मैं उसमें आपके साथ हैं।

मुझे राज्य सभा में उनका सहयोगी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने पाया कि वह कृषकों के हितरक्षक थे। सभा में जब कभी प्रश्न किए जाते थे तो मैंने उन्हें सदैव ही अपना बहुत अच्छा समर्थक पाया। वह किसान आन्दोलन के अत्याधिक शुभचिन्तक थे। वह अपनी पीढ़ी के सभी देशभक्तों की भांति शुरू से कांग्रेसी थे तथा कर्नाटक के भी एक अत्यन्त प्रभावी कांग्रेसी नेता साबित हुए। महोदय, निधन पर मुझे गहरा खेद है। तथा मेरा दल उनके परिवार को संवेदना प्रकट करने में आपके साथ हैं।

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली)** : अध्यक्ष महोदय, आज प्रात:काल बैंगलोर से श्री के० एस० हेगड़े क सुपुत्र ने जब मुझे फोन से सूचना दी कि श्री हेगड़े का रात्रि को नींद की अवस्था में हो निधन ही गया है तो अनेक कारणों से बहुत शोक हुआ बहुत अफसोस हुआ। सामाजिक जीवन में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शालीनता, सहृदयता और साथ-साथ जिन सिद्धान्तों में विश्वास करते है, उनके प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, श्री के० एस० हेगड़े उन सिद्धान्तों की ऐसी ज्वलन्त प्रतिमूर्ति थे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय होने के बाद जब न्यायाधीश बनते हैं, तो फिर अपनी राजनीतिक निष्टाओं को अपन न्यायमूर्ति क नाते जो दायित्व है, उनको कलुषित नहीं होने दिया। यह उनमें से थे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट इन सब से होते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। 1973 में सुपरसेशन के इशू पर उन्होंने त्यागपत्र दिया तब पहली बार उनसे सम्पर्क आया। तब से ले करके जीवन-पर्यन्त उनसे सम्बन्ध रहा और विगत दस वर्षों में वे मेरे दल के वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ सहयोगी थे। कभी भी कोई समस्या किसी बात पर होती थी तो उनकी सलाह हमारे लिये बहुत मूल्यवान रहती थी।

रंगा जी ने अभी उनकी कृषकों में जो रुचि थी, उसका उल्लेख किया। मैं जानता हूं कि 1981 में या 982 में जब गुजरात में एक बहुत प्रबल आन्दोलन आरक्षण के खिलाफ चला था, मेरी पार्टी में भी कुछ लोग थे जो कि उस आन्दोलन से प्रभावित हुए थे, तो उसके बाद जब हमने मिल करके कोचीन में इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया तो उन्होंने हमारी पार्टी के प्रमुख सदस्यों को सबसे अधिक प्रभावित किया। श्री के० सदानन्द हेगड़े ने वर्षों तक हम सब को प्रभावित किया और

कहा कि इस मामले में हम को किसी भी प्रकार की ढीली बात नहीं करनी चाहिये और वह जो हमारे हरिजन या वनवासी बन्धु हैं, जिनके साथ शताब्दियों से अन्याय होता रहा है, थोड़ा बहुत लाभ आरक्षण से उनको जो प्राप्त होता है, उसके बारे में अगर हम पुनर्विचार करने लगेंगे तो कुल मिला कर समाज का बहुत बड़ा अहित होगा और हानि होगी। इस बात का उल्लेख मैंने इसलिये किया है कि हर मामले में एक न्यायप्रिय एप्रोच, प्रेक्टिकल एप्रोच, प्रेगमैटिक एप्रोच और आइडलिस्टिक एप्रोच का बहुत बढ़िया सम्मिश्रण मैंने उसमें पाया। मैं आपके साथ, प्रधान मंत्री जी और विपक्ष के श्री रंगा जी की भावनाओं के साथ अपने को समबद्ध करते हुए, दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर श्री के० एस० हेगड़े के बारे में कहे गए कथन से हमारा दल और मैं पूर्णतया आपके साथ हैं तथा हम उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

मुझे निजी तौर पर श्री हेगड़े को एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, इस सभा के माननीय सदस्य तथा अन्ततः इस पुनीत सभा के एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष के रूप में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री हेगड़े के सम्पर्क में आने वाला हर व्यक्ति हमारे संवैधानिक ढांचे, तथा इसमें निहित मौलिक अधिकारों तथा निदेशक सिद्धान्तों में उनके गहन विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनेक महत्वपूर्ण विनिर्णय दिये तथा 'केपाक' के केस में अपने निर्णय में उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया, इसे न्यायशास्त्र में एक दीप स्तम्भ माना जाता है। हमें उनको ऐसे अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में जानने का अवसर भी प्राप्त हुए जिन्होंने इस सभा की कार्यवाही को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उस समय सभा के किसी भी वर्ग को कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि कोई ऐसा सदस्य है जिसे सभा में अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया। मैं उस समय एक संसदीय समिति का अध्यक्ष था तथा मुझे कई अवसरों पर विभिन्न मामलों पर उनसे चर्चा करने का सुअवसर मिला और मैंने उन्हें सहायक पाया तथा उनके सुझाव रचनात्मक होते थे। मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता। मैं अपनी पार्टी तथा अपनी तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा)** : महोदय, श्री के०एस० हेगड़े के दुखद निधन पर मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा कही गई बातों से मैं तथा मेरी पार्टी के सभी सदस्य सहमत हैं।

महोदय, मुझे निजी तौर पर उनके साथ काम करने का सौभाग्य तो नहीं मिला लेकिन मैंने अन्य लोगों से अध्यक्ष के रूप में उनकी योग्यता के बारे में सुना है, वह यहां पर न्यायिक सेवाओं की पृष्ठिभूमि से आए थे और मेरे विचार से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

दूसरी बात यह है कि मैंने सुना है कि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। मैं समझती हूं कि आज के परिवेश में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए तथा इस गुण का अनुकरण करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदय, आप से यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री के० एस० हेगड़े अब नहीं रहे। अभी-अभी हमारे प्रधानमंत्री तथा प्रो० रंगा, श्री आडवाणी और मेरे अन्य साथियों ने उनकी न्यायिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में उनकी सेवाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने न्याय व्यवस्था में ही न्याय सुनिश्चित नहीं किया बल्कि राजनैतिक जीवन में भी न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने 1977 के कठिन समय में इस सभा की अध्यक्षता की तथा उन्होंने एक उत्कृष्ट अध्यक्ष के रूप में भी सभा का संचालन बहुत सावधानीपूर्वक से किया तथा बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया; जैसा कि रंगा जी ने कहा है, उन्होंने राज्य सभा तथा लोकसभा में भी अनेक मद्दे उठाए हैं। वह कृषकों के हितों का संरक्षण किया। उन्होंने एक न्यायमूर्ति के रूप में भी बहुत अच्छा न्याय दिया वह अब हमारे बीच नहीं रहे।

मैं अपनी पार्टी और स्वयं अपनी ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने ग्रुप की ओर से श्री हेगड़े के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपने अन्य साथियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं तथा श्री हेगड़े के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप द्वारा तथा प्रधानमंत्री और अन्य साथियों द्वारा भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री हेगड़े के निधन पर व्यक्त किए गये विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे उनके निधन पर बहुत दुख हुआ है। वह बहुत ही ईमानदार तथा चरित्रवान व्यक्ति थे। उन्होंने न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया तथा वह न सिर्फ कर्नाटक तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे बल्कि बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी बने। वह 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे तथा सौभाग्य से मैं उस समय लोकसभा में था। उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही का प्रशंसनीय ढंग से संचालन किया और इस सभा की गरिमा को कायम रखा।

हमें बहुत अफसोस है तथा मैं अपनी तथा अपनी पार्टी मुस्लिम लीग की तरफ से शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं तथा उनकी आत्मा को शान्ति की कामना करता हूं।

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री, आपके द्वारा तथा प्रो० रंगा जी और अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूं।

यद्यपि मुझे श्री हेगड़े को एक सिद्धान्त वाले नेता के रूप में जानने का सौभाग्य तो मिला लेकिन इस सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें जानने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला।

महोदय, हम केन्द्रीय कक्ष में इस उच्च पद पर आसीन रह चुके व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। मैंने स्वर्गीय श्री हेगड़े के बारे में यह सुना कि वह एक न्यायाधीश के रूप में तथा इस पुनीत सभा के अध्यक्ष के रूप में एक बहुत साहसी व्यक्ति थे। मैंने सुना कि कभी-कभी जब विधिवेत्ता तथा कानून के विद्वान व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं तो बड़े सीमित दायरे में कार्य करते हैं। मैंने श्री हेगड़े के एक और अनूठे गुण के बारे में भी सुना है कि विभिन्न मुद्दों के मामले में बहुत अधिक सख्त नहीं थे। उनमें सौम्यता तथा अत्यधिक विवेक था और उन्होंने इस उच्च पद की गरिमा बढ़ाई। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

**कुमारी मायावती (बिजनौर)** : अध्यक्ष महोदय, आपने, माननीय प्रधान मंत्री जी और मुझ से सीनियर माननीय सदस्यों ने श्री हेगड़े जी की काबलियत और इन्सानियत पर काफी विस्तार से तो नहीं, लेकिन बहुत ही संक्षेप में इस सदन के सामने जानकारी रखी है। मैंने तो उनको कभी सुना नहीं है, न मुझे उन्हें देखने का मौका मिला, लेकिन अखबारों के माध्यम से और मैगजीन्स के माध्यम से मुझे उनके बारे में जानकारी मिलती रही है।

मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से श्री हेगड़े जी के निधन पर गहरा दुःख प्रकट करती हूं।

[अनुवाद]

**श्री चित्त बसु (बारसाट)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके इस सभा के नेता तथा सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ इस सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री के० एस० हेगड़े को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि आपने कहा है, वह भारतीय न्यायपालिका के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और अन्ततः वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गए थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर गहन चिन्तन किया तथा 'दि क्राइसिस ऑफ जुडिसियरी' नामक एक पुस्तक भी लिखी। वह एक योग्य सांसद थे। जैसा कि आपने कहा है, वह राज्य सभा तथा इस सभा के भी सदस्य रहे तथा उन्होंने अनेक संसदीय समितियों में उल्लेखनीय योगदान किया।

महोदय, मुझे उनकी अध्यक्षता के अन्तर्गत 1977 में इस सभा में कार्य करने का सौभाग्य मिला। मुझे उनके द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां याद हैं जो समस्त सभा के लिए बहुत ज्ञानवर्धक थीं। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विनिर्णय भी दिये हैं जो हमारे देश की संसदीय प्रक्रियाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैं उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी सवेदना व्यक्त करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करेगी।

सभा अब दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहे।

**तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।**

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सोमवार, 28 मई 1990 के ग्यारह बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

12.20 म प.

**तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 28 मई, 1990/7 ज्येष्ठ, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म प तक के लिए स्थगित हुई।**

---

मुद्रक : एस० नारायण एण्ड सन्स, 7117/18 पहाड़ी धीरज, दिल्ली-110006